



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3392] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 17, 2019/आश्विन 25, 1941
No. 3392] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2019/ASVINA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3732(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को प्रतिभूति निर्गम का अंतरण) विनियम, 2017 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियम, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

(ख) "आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3 के अधीन रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(ग) "प्राधिकृत बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम, 2016 में है ;

(घ) "प्राधिकृत व्यौहारी" के अंतर्गत अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) “ऋण नोट” से ऐसा नोट अभिप्रेत है जिसे आरंभ में धारक के विकल्प पर प्रतिदेय ऋण के रूप में धन की प्राप्ति को अभिस्वीकार करने वाली स्टार्ट अप कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया है या जो लिखत में तय पाये गए और उपदर्शित अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर संपरिवर्तनीय नोट के निर्गम की तारीख से पांच वर्ष की अनधिक अवधि के भीतर उस कंपनी ने साधारण शेयरों की ऐसी संख्या में संपरिवर्तनीय हैं ;

(च) “ऋण लिखित” से इस नियम के खंड (कझ) में परिभाषित गैर ऋण लिखतों से भिन्न सभी सभी लिखितें अभिप्रेत हैं ;

(छ) “निक्षेपागार रसीद” से किसी विदेशी मुद्रा में अंकित लिखत अभिप्रेत है, चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या नहीं, जिसे किसी विदेशी निक्षेपागार द्वारा, उस विदेशी निक्षेपागार द्वारा जारी पात्र प्रतिभूतियों के आधार पर अनुज्ञेय अधिकारिता में जारी किया गया हो या अंतरित किया गया हो और जिसका किसी घरेलू अभिरक्षक के पास निक्षेप किया गया हो तथा इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित ‘वैश्विक निक्षेपागार’ रसीद सम्मिलित है ;

(ज) “घरेलू अभिरक्षक” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अभिप्रेत है ;

(झ) “घरेलू निक्षेपागार” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत अभिरक्षक और जिसे जारीकर्ता निकाय द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है ;

(ञ) “ईएसओपी” से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा परिभाषित ‘कर्मचारी स्टॉक विकल्प’ और जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अधीन जारी किया गया है, अभिप्रेत है ;

(ट) “साम्या लिखत” से साम्या शेयर, संपरिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमानी शेयर और किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयर वारंट अभिप्रेत हैं ;

स्पष्टीकरण :—

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार जारी साम्या शेयरों में वह साम्या शेयर सम्मिलित हैं, जिनका भागतः संदाय किया गया है। “संपरिवर्तनीय डिबेंचर” से पूर्णतया, अनिवार्यता और आज्ञापकतः संपरिवर्तनीय डिबेंचर अभिप्रेत हैं। “अधिमानी शेयर” से पूर्णतया, अनिवार्यता और आज्ञापकतः अधिमानी शेयर अभिप्रेत हैं। शेयर वारंट वे वारंट हैं, जिन्हें किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अनुसार जारी किया गया है। किसी साम्या लिखत में एक वर्ष की न्यूनतम लॉक इन अवधि या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए यथाविहित अवधि, जो भी उच्चतर हो, के अध्यक्षीन कोई वैकल्पिकता खंड अंतर्विष्ट हो सकता है किंतु उसमें किसी बीमांकित कीमत पर बाह्यगमन का कोई विकल्प या अधिकार नहीं होगा ;

(ii) भागतः संदत्त शेयर, वे शेयर हैं, जिन्हें भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को जारी किया गया है, उन्हें ऐसे निर्गमन के बारह मास के भीतर या समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्णतया प्रदत्त कर दिया जाएगा। प्रतिफल की कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत को (जिसके अंतर्गत शेयर प्रीमियम है, यदि कोई हो) पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा ;

(iii) शेयर वारंट की दशा में प्रतिफल का कम से कम पच्चीस प्रतिशत पहले ही प्राप्त किया जाएगा और शेष रकम को शेयर वारंट जारी करने के अठारह मास के भीतर प्राप्त किया जाएगा ;

(कठ) “निवासी भारतीय नागरिक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में निवासी व्यक्ति है और भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर भारत का नागरिक है ;

(कड) “क्षेत्र विषयक उच्चतम सीमा” से अधिकतम विनिधान, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी की साम्या और ऋण लिखतों में भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा संप्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी विनिधान और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान दोनों सम्मिलित हैं जब तक अन्यथा उपबंध न किया जाए, अभिप्रेत है। यह भारतीय निवेशी अस्तित्व के लिए संयुक्त सीमा होगी :-

स्पष्टीकरण :-

(i) ऐसे लिखतों, जो ऋण की प्रकृति में हैं, का आधार रखने वाले “एफसीसीबी और डीआर” को क्षेत्र विषयक उच्चतम सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा च

(ii) किसी ठहराव के अधीन किसी लिखत के संपरिवर्तन से उद्भूत भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किसी साम्या को धारण करना ।

(कढ) “स्टार्ट अप कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 से निगमति और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सा.का.नि. सं. 180(अ), तारीख 17 फरवरी, 2016 के अधीन पहचान की गई कोई प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है ;

(कण) “श्रम साध्य साधारण शेयर” से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित श्रम साध्य साधारण शेयर अभिप्रेत है ;

(कत) “अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर)” का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों में उसका है ;

(कथ) “यूनिट” से किसी विनिधान यान में विनिधानकर्ता का फायदाग्राही हित अभिप्रेत है ;

(कद) “उद्यम पूंजी निधि” से किसी न्यास, कंपनी, जिसके अंतर्गत निगमित निकाय भी है, के रूप में स्थापित और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निधि अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः इस अधिनियम, नियमों और विनियमों में है ।

(ठ) “एफडीआई संबद्ध कार्य निष्पादन स्थितियां” से विदेशी विनिधान प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए इन नियमों की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विशिष्ट स्थितियां अभिप्रेत है ;

“एसक्रो खाता” से विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम, 2016 के अनुसार अनुरक्षित खाता अभिप्रेत है ;

(ड) “एफवीसीआई” से भारत से बाहर निगमित और स्थापित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता अभिप्रेत है ;

(ढ) “विदेशी केंद्रीय बैंक” से भारत से बाहर स्थापित और उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन केंद्रीय बैंक के कृत्यों को करने का उत्तरदायित्व सौंपी गई कोई संस्था या संगठन या निगमित निकाय अभिप्रेत है ;

(ण) “एफसीएनआर (बी) खाता” से विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम, 2016 के अनुसार रखा गया विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता अभिप्रेत है ;

(त) “विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र” से विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र निर्गम और साधारण शेयर (निक्षेपागार रसीद तंत्र के माध्यम से), स्कीम, 1993 के अधीन जारी बंधपत्र अभिप्रेत हैं ;

(थ) “एफडीआई” या “विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान” से भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में साम्या लिखतों के माध्यम से विनिधान; या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूर्णतया तनुक्रित आधार पर निर्गम पञ्च संदत्त साम्या पूंजी का दस प्रतिशत या अधिक अभिप्रेत है ;

टिप्पण : भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में साम्या लिखतों में विद्यमान विनिधान पूर्णतया तनुक्रित आधार पर निर्गम पञ्च साम्या पूंजी के दस प्रतिशत से नीचे के स्तर पर आ जाता है तो विनिधान को एफडीआई के रूप में समझा जाता रहेगा ;

स्पष्टीकरण :-- पूर्णतया तनुक्रित आधार से शेयरों की कुल संख्या, जो संपरिवर्तन के सभी संभव स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात्, जो बकाया होगी, अभिप्रेत है ।

(द) “विदेशी विनिधान” से प्रत्यावासित आधार पर किसी भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों या किसी सीमित भागीदारी की पूंजी में भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई विनिधान अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण :-- यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा धृत फायदाप्रद हित के विषय में कोई घोषणा की जाती है तो किसी भारतीय निवासी नागरिक द्वारा किए गए विनिधान के होते हुए भी उसकी गणना विदेशी विनिधान के रूप में की जाएगी ;

टिप्पण : भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट भारतीय कंपनी में या तो एफडीआई के रूप में या एफपीआई के रूप में विदेशी विनिधान धारण कर सकेगा ;

(ध) “विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान” से भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा साम्या लिखतों के माध्यम से किया गया विनिधान, जहां ऐसा विनिधान किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूर्णतया तनुकृत आधार पर निर्गम पञ्च संदत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से कम या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्या लिखत की प्रत्येक शृंखला में संदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से कम है, अभिप्रेत है ;

(न) “एफपीआई” या “विदेश पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(प) “सरकारी अनुमोदन” से तत्कालीन औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार और/या तत्कालीन विदेशी विनिधान संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) और/या भारत सरकार का यथास्थिति, कोई मंत्रालय या विभाग से अनुमोदन अभिप्रेत है ;

(फ) “समूह कंपनी” से दो या अधिक उपक्रम अभिप्रेत हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः (i) अन्य उपक्रम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकार का उपयोग करने; या (ii) अन्य उपक्रम में निदेशक बोर्ड में पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य नियुक्त करने की स्थिति में हैं ;

(ब) “संकर प्रतिभूतियां” से संकर लिखत अभिप्रेत है जैसे वैकल्पिक रूप से या आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर या डिबेंचर और अन्य ऐसे लिखत, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिन्हें किसी भारतीय कंपनी या न्यास द्वारा भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है ;

(भ) “भारतीय कंपनी” से भारत में निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(म) “आईडीआर” या “भारतीय निक्षेपागार” से भारत में किसी घरेलू निक्षेपागार द्वारा सृजित निक्षेपागार रसीद के रूप में कोई लिखत और जिसे भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा ऐसी निक्षेपागार रसीदें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है ;

(य) “भारतीय अस्तित्व” से कोई भारतीय कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत होगी ;

(यक) “विनिधानकर्ता कंपनी” से ऐसी भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो किसी अन्य भारतीय कंपनी/कंपनियों में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे धृति या प्रतिभूतियों में व्यापार करने से भिन्न केवल विनिधान धारण कर रही है ;

(यख) “विनिधान” से भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या यूनिट को प्रतिश्रुत करना, अर्जित करना, धारण करना या अंतरित करना अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण :--

(i) विनिधान के अंतर्गत भारत से बाहर जारी निक्षेपागार रसीदों का अर्जन करना, धारण करना या अंतरण करना सम्मिलित है, जिसकी अंडरलाइन भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा जारी कोई प्रतिभूति है ;

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के प्रयोजन के लिए विनिधान से पूंजी अभिदाय या लाभ शेयरों का अर्जन या अंतरण अभिप्रेत होगा ;

(यग) “संप्रत्यवर्तन के आधार पर विनिधान” से करें के पश्चात् कोई विनिधान, विक्रय या परिपक्वता आगत अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर संप्रत्यवर्तन के लिए पात्र है और “गैर-संप्रत्यवर्तन के आधार पर विनिधान” पद का

तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(यघ) “विनिधान यान” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विनियमित कोई अस्तित्व या उस प्रयोजन के लिए अभिहित कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, अर्थात् :- (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2014 (आरईआईटी) द्वारा प्रशासित भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) ; (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2014 (आईएनवीएलटीएस) द्वारा प्रशासित अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीएलटीएस) (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2012 (एआईएफ) द्वारा प्रशासित वैकल्पिक विनिधान निधियां (एआईएफ); (iv) ऐसी पारस्परिक निधियां, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 द्वारा प्रशासित साम्या में पचास प्रतिशत से अधिक विनिधान करती हैं ;

(यङ) “एलएलपी” से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है ;

(यच) “सूचीबद्ध भारतीय कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसके पास उसके कोई साम्या लिखत या ऋण लिखत भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और “असूचीबद्ध भारतीय कंपनी” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(यछ) “विनिर्माण” से उसके व्याकरणीय रूप भेदों के अनुसार किसी गैर-जीवित भौतिक पदार्थ या चीज या वस्तु में कोई परिवर्तन अभिप्रेत है :- (i) जिसका परिणाम पदार्थ या वस्तु या चीज के किसी नए और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज में संपरिवर्तन के रूप में होता है, जिसका भिन्न नाम, चरित्र और उपयोग है ; या (ii) किसी नए और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज को नए अस्तित्व में भिन्न रसायनिक संरचना या अभिन्न ढांचे के साथ अस्तित्व में लाना है ;

(यज) “गैर-ऋण लिखत” से निम्नलिखित लिखत अभिप्रेत हैं :-

(i) निगमित अस्तित्वों : लोक, प्राइवेट, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध में साम्या लिखतों में सभी विनिधान ;

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी में पूंजी सहभागिता ;

(iii) समय-समय पर अधिसूचित एफडीआई नीति में मान्यताप्राप्त विनिधान के सभी लिखत ;

(iv) वैकल्पिक विनिधान निधियों (एआईएफ), भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीएलटीएस) की यूनिटों में विनिधान ;

(v) ऐसी पारस्परिक निधियों या विनिमय-व्यापार निधि (ईटीएफ), जो अपनी साम्या का पचास प्रतिशत से अधिक का विनिधान करती हैं, की यूनिटों में विनिधान ;

(vi) प्रतिभूतिकरण ढांचे की सर्वाधिक कनिष्ठ परत (अर्थात् साम्या ट्रांचे) ;

(vii) स्थावर संपत्ति का अर्जन, विक्रय या उसमें प्रत्यक्ष व्यवहार ;

(viii) न्यासों में अभिदाय ; और

(ix) साम्या लिखतों के लिए जारी निक्षेपागार रसीदें ;

(यझ) “एनआरआई” या “अनिवासी भारतीय” से भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है ;

(यञ) “ओसीआई” या “भारत का विदेशी नागरिक” से भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7(क) के अधीन भारत का कार्डधारी विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(यट) “निवासी भारतीय नागरिक” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत में निवासी व्यक्ति है तथा जो भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 के कारण भारत का नागरिक है, अभिप्रेत है ;

(यठ) “खंडीय ऊपरी सीमा” से अधिकतम विनिधान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा संप्रत्यावर्तन के आधार पर किसी साम्या में और यथास्थिति, किसी कंपनी के ऋण लिखतों में या किसी सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी में दोनों विदेशी विनिधान और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान सम्मिलित है जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए। यह किसी भारतीय विनिधानकर्ता अस्तित्व के लिए समिश्र सीमा होगी :-

स्पष्टीकरण :-- (i) एफसीसीबी और डीआर, जिनके पास किसी लिखत की ऋण की प्रकृति की अंडरलाइन है, को खंडीय ऊपरी सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ;

(ii) किसी ठहराव के अधीन किसी ऋण लिखत के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति की किसी धृति को खंडीय परिसीमा के अधीन गणना में लिया जाएगा ;

(यड) “श्रम साध्य साधारण शेयर” से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित श्रम साध्य साधारण शेयर अभिप्रेत हैं ;

(यढ) “अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर)” का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों में है ;

(यण) “यूनिट” से किसी विनिधान यान में किसी विनिधानकर्ता कोई फायदाप्रद हित अभिप्रेत है ;

(यत) “जोखिम पूंजी निधि” से किसी न्यास, कंपनी के रूप में स्थापित कोई निधि अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय सम्मिलित है।

(2) सभी शब्द और पद, जो इसमें अनुप्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम, नियमों और विनियमों में है।

अध्याय 2

सभी विनिधानकर्ताओं को लागू साधारण शर्तें

3. भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा भारत में विनिधान पर निर्बंधन- अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भारत से बाहर के कोई निवासी भारत में कोई विनिधान नहीं करेगा :

परंतु यह कि अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार किए गए और इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को धारित विनिधान को इन नियमों के अधीन किया गया समझा जाएगा और तदुनसार इन नियमों द्वारा शासित होगा :

परंतु यह और कि रिजर्व बैंक, उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए और केंद्रीय सरकार के परामर्श से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसे विचार करना आवश्यक है, भारत में विनिधान करने के लिए भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को अनुज्ञा दिया जा सकेगा।

4. विनिधान प्राप्तकर्ता पर निर्बंधन - अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए कोई भारतीय अस्तित्व या किसी विनिधान यान या जोखिम पूंजी निधि या व्यक्तियों के फर्म या संगम या संबद्ध सांपत्तिक भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से भारत में कोई विनिधान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या उसके खातों में ऐसे विनिधान रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा :

परंतु यह कि रिजर्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए और केंद्रीय सरकार के परामर्श से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसे विचार करना आवश्यक है, कोई भारतीय अस्तित्व या किसी विनिधान यान या जोखिम पूंजी निधि या व्यक्तियों के फर्म या संगम या संबद्ध सांपत्तिक भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से भारत में कोई विनिधान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या ऐसे विनिधान रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

5. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान करने के लिए अनुमति—इन नियमों या अनुसूचियों में जब तक कि कोई अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई विनिधान, यथास्थिति, प्रवेश मार्ग,

क्षेत्रीय उच्चतम सीमाएं या विनिधान सीमाएं और इन नियमों में अधिकथित ऐसे विनिधान के लिए तत्संबद्ध सशर्तताएं नहीं होगी।

अध्याय 3

भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान

6. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधानें : भारत से बाहर के निवासी कोई व्यक्ति विनिधान कर सकेगा :

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों की रीति और अधीन भारतीय कंपनी को साम्या लिखतों को प्रतिश्रुत, क्रय या विक्रय कर सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है, बांग्लादेश या पाकिस्तान में निगमित अस्तित्व को सरकार के अनुमति के बिना साम्या लिखतों का क्रय नहीं करेगा :

परंतु यह और कि पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में निगमित किसी अस्तित्व का सरकारी मार्ग के माध्यम से भी विदेशी विनिधान के लिए निर्बंधित रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और क्षेत्रों और क्रियाकलापों में विनिधान नहीं करेगा।

टिप्पण : भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से भारतीय कंपनियों द्वारा तेलक्षेत्रों में "भाग लेने वालों का हित या अधिकार" का मुद्दा या अंतरण को विदेशी विनिधान के रूप में माना जाएगा और अनुसूची-1 में अधिकथित शर्तों का पालन किया जाएगा।

(ख) बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से भिन्न भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति या बांग्लादेश या पाकिस्तान में निगमित अस्तित्व को अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों की रीति से और उसके अध्यक्षीन एलएलपी, के लाभ में हिस्से का या तो पूंजी अंशदान के रूप में या अर्जन या अंतरण के रूप में विनिधान किया जा सकेगा।

(ग) बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से भिन्न, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति या बांग्लादेश या पाकिस्तान में निगमित अस्तित्व को अनुसूची VIII में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों की रीति से और उसके अध्यक्षीन विनिधानयान के यूनिट में विनिधान कर सकेगा।

(घ) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट रीति से तथा निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन पात्र प्रतिभूतियों के लिए विदेशी निक्षेपकों द्वारा जारी निक्षेपागार प्राप्ति में विनिधान कर सकेगा।

7. उचित अधिकार या बोनस निर्गमन के माध्यम से अर्जन-भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति और भारतीय कंपनी में विनिधान करने वाले को, ऐसी कंपनी द्वारा जो राइट्स इस्सू या बोनस इस्सू के रूप में साम्या लिखतों (शेयर वारंट से भिन्न) में विनिधान कर सकेगा,

परंतु यह कि,-

- (क) भारतीय कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन में प्रस्ताव किया जाएगा;
- (ख) ऐसा मुद्दा कंपनी को लागू सेक्टरल कैप के भंग होने का परिणाम नहीं होगा;
- (ग) उसके आधार पर शेयर धारण करना जिसके आधार पर राइट्स इस्सू या बोनस इस्सू को अर्जित करना आवश्यक हो गया है और उसे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (घ) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के राइट्स इस्सू, कंपनी द्वारा अवधारित कीमत पर होगा;
- (ङ) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के राइट्स इस्सू, भारत में निवासी व्यक्तियों से प्रस्तावित कीमत से अन्यून कीमत पर नहीं होगा;
- (च) राइट्स इस्सू या बोनस इस्सू के माध्यम से किया गया ऐसा विनिधान, शर्तों के अध्यक्षीन होगा, जो ऐसा इस्सू के समय पर लागू थे;
- (छ) ऐसे लेनदेन के लिए संदाय की पद्धति और तत्संबद्ध शर्तें रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी;

- (ज) ऐसा व्यक्ति, जो भारत से बाहर कोई निवासी व्यक्ति है और जो ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है जो उसे तब प्रदत्त किया गया था जब वह भारत में निवासी व्यक्ति था और संप्रत्यावर्तन आधार पर विकल्प का प्रयोग करते हुए इस प्रकार अर्जित साम्या लिखतों (जो शेयर वारंटों से भिन्न है) को धारण करेगा।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त शर्तें, उस दशा में भी लागू होंगी जब भारत से बाहर कोई निवासी व्यक्ति किसी भारतीय कंपनी द्वारा ऐसे राइट्स इस्सू के रूप में, जिन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वे प्रस्थापित किए गए थे परित्यक्त किया गया है, निर्गमित साम्या लिखतों, जो शेयर वारंटों से भिन्न है) में विनिधान करता है।

8. कर्मचारी स्टाक विकल्पों और स्वीट साम्या शेयरों का भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को निर्गम:- कोई भारतीय कंपनी अपने ऐसे कर्मचारियों या निदेशकों या धृति कंपनी या संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुसंगी या अनुसंगियों के ऐसे कर्मचारी या निदेशकों को जो भारत से बाहर निवासी हैं, "कर्मचारी स्टाफ विकल्प" और/या "स्वीट साम्या शेयरों" का निर्गम कर सकेगी:

परंतु यह कि-

- (क) स्कीम या तो यथास्थिति, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अधीन जारी विनियमों के शर्तों के अनुसार तैयार की जाती है;
- (ख) नियमों या विनियमों के अधीन इस प्रकार जारी "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" उक्त कंपनी को लागू सेक्टरल कैप के अनुपालन में हैं;
- (ग) ऐसा कंपनी जो अननुमोदन मार्ग के अधीन है भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान "कर्मचारी स्टाक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" निर्गम किया जाना है, सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपेक्षा किया जाएगा और बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से "कर्मचारी स्टाक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" का निर्गम सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी है और जो विकल्प का प्रयोग कर रहा है जो उसे तब प्रदत्त किया गया था जब वह भारत में निवासी व्यक्ति था और संप्रत्यावर्तन आधार पर विकल्प का प्रयोग करते हुए इस प्रकार अर्जित साम्या लिखतों को धारण करेगा।

9. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा या भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों का अंतरण- इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाइयों या भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति साम्या लिखत धारण करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन में, इन नियमों के अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, इस प्रकार उसके द्वारा धारित ऐसे साम्या लिखतों या इकाइयों का अंतरण कर सकेगा:

- (1) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, जो भारत के निवासी नहीं हैं या भारत के विदेशी नागरिक हैं या तत्कालीन विदेशी निगमित निकाय हैं, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को उसके धारित भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों को विक्रय या दान के उद्देश्य से अंतरण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: इसके अंतर्गत भारत से बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत इकाइयों या कंपनियों का समापन या विलयन या निर्विलयन और समावेशन के अनुसरण में भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों का अंतरण भी है:

परंतु यह कि:-

- (i) कंपनी की दशा में, यदि वह सेक्टर में लगा हुआ है, जिसका सरकार से अनुमोदन लेना आवश्यक है, कोई अंतरण के लिए सरकार से पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करना होगा;
- (ii) जहां साम्या लिखतें गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा धारित है विक्रय के उद्देश्य से अंतरण किया जाना है वहां प्रत्यावर्तनीय आधार पर साम्या लिखतें धारित करने के उद्देश्य से अंतरित की इन नियमों में यथा विहित, प्रवेश मार्ग, सेक्टरल कैप्स या विनिधान सीमाओं के अनुसार या उसके अधीन होंगे और ऐसे अंतरण जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए ऐसा विनिधान, मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों, प्रलेखीकरण और रिपोर्टगत अपेक्षाओं के लिए तत्संबद्ध शर्तें होंगी;

- (2) भारत से बाहर के कोई निवासी व्यक्ति, जो इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाईयों का साम्या लिखतें धारण किया हुआ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विहित रीति में भारत में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही विक्रय या दान या क्रय के उद्देश्य से भारत में निवासी व्यक्ति से वैसा ही अंतरण कर सकेगा:

परंतु यह कि -

- (i) विक्रय के माध्यम से अंतरण मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों, प्रलेखीकरण और ऐसे अंतरण के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं जो रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से समय समय पर परामर्श करके विनिर्दिष्ट की जाएं, के अनुपालन में और उसकी अनुशक्ति के अधीन रहते हुए किया जाएगा;
- (ii) जहां साम्या लिखतें गैर प्रतिसंवेद्य आधार पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा धारण किया गया है, वहां परंतुक के मद (i) की शर्तें लागू नहीं होंगी।
- (3) भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय कंपनी या इकाईयों का साम्या लिखतें धारण किए हुए हैं, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए यथा लागू प्रवेश मार्गों, सेक्टरल कैप्स या विनिधान सीमाओं, मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों और अन्य तत्संबद्ध शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए और ऐसे अंतरण के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से समय समय पर परामर्श करके प्रलेखीकरण और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विक्रय के उद्देश्य से भारत से बाहर व्यक्ति को वैसा ही अंतरण कर सकेगा।
- (4) भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति जो गैर प्रतिसंवेद्य आधार पर भारतीय कंपनी का साम्या लिखतें या इकाईयां धारण किए हुए हैं रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों में विहित रीति में और उसके अधीन दान के उद्देश्य से भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से वैसा ही अंतरण कर सकेगा, अर्थात्:-

- (i) अदाता इन नियमों की अनुसूचियों के अधीन ऐसी प्रतिभूति धारण करने के लिए पात्र है;
- (ii) दान, भारतीय कंपनी की समादत्त पूंजी या प्रत्येक पारस्परिक निधि स्कीम के डिबेंचरों की प्रत्येक आवली का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है;

स्पष्टीकरण : भारतीय कंपनी की समादत्त पूंजी या डिबेंचरों की प्रत्येक आवली या प्रत्येक पारस्परिक निधि स्कीम की समादत्त पूंजी का पांच प्रतिशत एकल व्यक्ति द्वारा किसी अन्य एकल व्यक्ति के लिए संचयी आधार पर होगा।

- (iii) भारतीय कंपनी में लागू सेक्टरीय सीमा का भंग नहीं किया जाता है;
- (iv) दाता और अदाता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 77 के अर्थान्तर्गत “नातेदार” होंगे;
- (v) वित्तीय वर्ष के दौरान दान के रूप में भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति को दाता द्वारा किसी अंतरित प्रतिभूति सहित अंतरित की जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य पचास हजार यूएस डॉलर के समतुल्य रूप से अधिक नहीं होता है;
- (vi) ऐसी अन्य शर्तें, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में आवश्यक समझी जाएं।
- (5) भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के अनुसार वैकल्पिकता खंड अंतर्विष्ट करने वाली भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों को धारण करता है और विकल्प या अधिकार का प्रयोग करता है, इन नियमों में विहित कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों और एक वर्ष की न्यूनतम परिवंधन अवधि या इन नियमों में यथाविहित न्यूनतम परिवंधन अवधि, जो भी अधिक हो, के अधीन रहते हुए, किसी आश्वासन विवरणी के बिना बाहर निकल सकेगा।
- (6) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के बीच साम्या लिखतों के अंतरण के मामले में कुल प्रतिफल के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक की रकम,-

- (i) अंतरण करार की तारीख से अठारह मास से अनधिक की अवधि के भीतर आस्थगित आधार पर क्रेता द्वारा संदत्त की जा सकेगी; या
- (ii) अंतरण करार की तारीख से अठारह मास से अनधिक की अवधि के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच निलम्ब ठहराव के माध्यम से चुकाई जा सकेगी; या

(iii) पूर्ण प्रतिफल के संदाय की तारीख से अठारह मास से अनधिक की अवधि के लिए विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकेगी, यदि कुल प्रतिफल का संदाय क्रेता द्वारा विक्रेता को किया गया है :

परंतु शेयरों के लिए अंतिम रूप से संदत्त कुल प्रतिफल लागू कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगा ।

(7) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के बीच साम्या लिखतों के अंतरण के मामले में भारत से बाहर निवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियम, 2016 के अनुसार निलम्ब खाता खोल सकेगा और ऐसा निलम्ब खाता बैंककारी चैनलों के माध्यम से या प्राधिकृत डीलर बैंक द्वारा जारी गारंटी के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध गारंटी विनियम, 2000 में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, आवक प्रेषण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकेगा ।

(8) भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों या विनिधान यान की यूनिटों का गिरवी रखकर अंतरण निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन है, अर्थात् :-

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी (उधार लेने वाली कंपनी) का संप्रवर्तक है जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार देना और उधार लेना) विनियम, 2000 के अनुपालन में बाह्य वाणिज्यिक उधार ली है, निम्नलिखित और शर्तों के अधीन रहते हुए, उधार लेने वाली कंपनी द्वारा ली गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों या उसकी सहयुक्त निवासी कंपनियों के शेयरों को गिरवी रख सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी गिरवी की अवधि अंतर्हित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ सह-विस्तारी होगी ;

(ख) गिरवी के आह्वान के मामले में अंतरण इन नियमों और रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार होगा ;

(ग) कानूनी संपरीक्षक ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उधार लेने वाली कंपनी अनुज्ञात अंतः उपयोग के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार के आगमन का उपयोग करेगी या उनका उपयोग कर लिया है ;

(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे शेयर को तब तक गिरवी नहीं रखेगा, जब तक प्राधिकृत डीलर बैंक से यह अनापत्ति प्राप्त नहीं कर ली गई हो कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है ।

(ii) भारत से बाहर कोई निवासी व्यक्ति, जो भारतीय कंपनी या विनिधान यान की यूनिटों में साम्या लिखत धारण करता है, यथास्थिति, साम्या लिखतों या यूनिटों को,-

(क) सद्भावी प्रयोजनों के लिए, ऐसी भारतीय कंपनी को दी जा रही प्रत्यय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भारत में किसी बैंक के पक्ष में ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को, जो ऐसी भारतीय कंपनी का या ऐसी भारतीय कंपनियों के विदेशी समूह कंपनी का संप्रवर्तक है, को दी जा रही प्रत्यय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंक के पक्ष में ;

(ग) सद्भावी प्रयोजनों के लिए, ऐसी भारतीय कंपनी को दी जा रही प्रत्यय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के पक्ष में ;

(घ) इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा नियत शर्तों के अनुपालन का स्वयं का समाधान करने वाले प्राधिकृत डीलर बैंक के अधीन रहते हुए गिरवी रख सकेगा ।

(iii) गिरवी के आह्वान के मामले में भारतीय कंपनी या यूनिटों के साम्या लिखतों का अंतरण प्रवेश मार्गों, सेकटरीय सीमाओं या विनिधान परिसीमाओं, कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों और गिरवी के सृजन के समय अन्य विद्यमान शर्तों के अनुसार होगा ।

अध्याय 4

विदेशी संविभाग विनिधानकर्ताओं (एफपीआई) द्वारा विनिधान

10. एफपीआई द्वारा विनिधान -- एफपीआई निम्नानुसार विनिधान कर सकेंगे:-

(1) एफपीआई किसी भारतीय कंपनी जो मान्यता प्राप्त भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध की जानी है की साम्या लिखतों का क्रय या विक्रय, और/अथवा साम्या लिखतों से भिन्न अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय अनुसूची 2 विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेंगे।

टिप्पण -एफपीआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं और अनुसूची - 2 में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी विनिमय व्यापार व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार या विनिधान कर सकेंगे।

(2) एफपीआई अनुसूची 10 में यथा विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारत के बाहर निवासी और भारतीय पूंजी बाजार में जारी कंपनियों के भारतीय निक्षेप प्राप्तियों (आईडीआरएस) का क्रय, उन्हें धारित या उनका विक्रय कर सकेंगे।

11. एफपीआई द्वारा भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों का अंतरण -- इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाई की साम्या लिखतों धारण करने वाले एफपीआई, इन नियमों की संबंधित अनुसूचियों में विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में और उसके अधीन विहित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उनके द्वारा इस प्रकार धारित साम्या लिखतों या इकाइयों को अंतरित कर सकेंगे, ;

(1) एफपीआई भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उसके द्वारा धारित भारतीय कंपनी या इकाई की साम्या लिखतों का विक्रय अथवा दान के माध्यम से अंतरण कर सकेंगे;

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अंतरण में भारत के बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत इकाइयों या कंपनियों के समापन, विलयन, निर्विलयन और समामेलन के अनुसरण में किसी भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों का अंतरण भी सम्मिलित है।

परंतु यह कि :-

- (i) कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है उस दशा में किसी अंतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- (ii) जहां इन नियमों की अनुसूची 2 के अधीन एफपीआई द्वारा किया गया साम्या लिखतों का अर्जन लागू सकल एफपीआई सीमाओं या क्षेत्रीय सीमाओं का भंग करता है, वहां अनुसूची 2 के पैरा (1) के उपपैरा क(iii) के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय 5

अनिवासियों भारतीयों या विदेशी भारतीय नागरिक द्वारा विनिधान

12. एनआरआई या ओसीआई द्वारा विनिधान -- एनआरआई या ओसीआई निम्नानुसार विनिधान कर सकेंगे :-

- (1) एनआरआई या ओसीआई संप्रत्यावर्तन के आधार पर अनुसूची 3 में विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए के सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय कर सकेंगे।
- (2) एनआरआई या ओसीआई गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों या अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय अथवा सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म या संपत्तिक समुत्थान में पूंजी का अभिदाय कर सकेंगे।

टिप्पण - एनआरआई या ओसीआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं और अनुसूची 3 में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी विनिमय व्यापार व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार या विनिधान कर सकेंगे।

- (3) एनआरआई या ओसीआई अनुसूची 10 में यथा विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारत के बाहर निवासी और भारतीय पूंजी बाजार में जारी कंपनियों के भारतीय निक्षेप प्राप्तियों (आईडीआरएस) का क्रय, उन्हें धारित कर सकेंगे या उनका विक्रय कर सकेंगे।

13. एनआरआई या ओसीआई द्वारा साम्या लिखतों का अंतरण -- इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाई की साम्या लिखतों को धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई, इन नियमों की अनुसूचियों में विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में और उसके अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, इनके द्वारा इस प्रकार धारित साम्या लिखतों या यूनिटों को अंतरित कर सकेंगे, ;

- (1) संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या इकाई की साम्या लिखतों को धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को, उसे विक्रय या दान के माध्यम से अंतरण कर सकेंगे;

परंतु यह कि :-

- (i) कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है उस दशा में किसी अंतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ii) जहां इन नियमों की अनुसूची 3 के अधीन एनआरआई या ओसीआई द्वारा किया गया साम्या लिखतों का अर्जन लागू सकल एफपीआई सीमाओं या क्षेत्रीय सीमाओं का भंग करता है वहां एनआरआई या ओसीआई केंद्रीय सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत समय के भीतर ऐसी लिखतों को धारण करने के लिए पात्र भारत में निवासी व्यक्तियों को ऐसी साम्या लिखतें विक्रय कर सकेंगे और अर्जन और विक्रय की बीच की अवधि के लिए ऐसे अर्जन के आधार पर उक्त सकल या क्षेत्रीय सीमा का भंग, उपबंधित करता है कि विक्रय विहित सीमा के भीतर हैं, इन नियमों के अधीन उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

(2) गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या इकाईयों में साम्या लिखतें धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई अथवा इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता प्रवेश मार्गों, क्षेत्रीय कैपों या विनिधान सीमाओं, कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांतों और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए यथा लागू अन्य तत्संबद्ध शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, विक्रय के माध्यम से भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को, अंतरित कर सकेंगे और ऐसे अंतरण के लिए प्रलेखीकरण और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं वह होगी जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श करके विनिर्दिष्ट की जाए।

परंतु प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय कैपों या विनिधान सीमाएं या कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत और अन्य तत्संबद्ध शर्तें ऐसे विनिधान का अर्जन करने वाले एनआरआई या ओसीआई या इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता को अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे।

(3) गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी में साम्या लिखतें या इकाईयां धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई अथवा इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता, विहित रीति में और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से दान के माध्यम से भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उन्हें अंतरित कर सकेंगे, अर्थात् :-

- (i) दाता इन नियमों की सुसंगत अनुसूची के अधीन ऐसी प्रतिभूति धारण करने के लिए पात्र हो ;
(ii) दान भारतीय कंपनी या प्रत्येक म्युचल फंड स्कीम की समादत्त पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो ;

स्पष्टीकरण – पांच प्रतिशत किसी एकल व्यक्ति द्वारा दूसरे एकल व्यक्ति को संचयी आधार पर होगा।

(iii) भारतीय कंपनी में लागू क्षेत्रीय कैप का भंग नहीं किया गया है;

(iv) दाता और अदाता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) के अर्थों में “संबंधी” होंगे ;

- (v) दाता द्वारा अंतरित की जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान दान के रूप में भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को अंतरित की गई किसी प्रतिभूति के साथ यूएसडी पचास हजार के समतुल्य रुपयों से अधिक नहीं होगा ;
- (vi) ऐसी अन्य शर्तें जो केंद्रीय सरकार द्वारा लोक हित में आवश्यक समझी जाएं ।
- (4) गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या इकाइयों में साम्या लिखतें धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई अथवा इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता, इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन किसी एनआरआई या ओसीआई या पात्र विनिधानकर्ता को दान के माध्यम से उसे अंतरित कर सकेगा जो उसे गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर धारित करेगा ।
- (5) तत्कालीन ओसीबी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए साम्या लिखतों का अंतरण कर सकेंगे ।

स्पष्टीकरण – “विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी)” से विदेशी विनिमय प्रबंधन [विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी) को साधारण अनुज्ञा का प्रत्याहरण] विनियम, 2003 के माध्यम से अमान्यता प्राप्त की गई इकाई अभिप्रेत है ।

अध्याय 6

अन्य अनिवासी विनिधानकर्ताओं द्वारा विनिधान

14. अन्य अनिवासी विनिधानकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियों में विनिधान -- अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता अनुसूची 5 में विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगा ।

15. अन्य अनिवासी विनिधानकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण -- इन नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों को धारण करने वाले अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता अनुसूची 5 में विहित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए प्रतिभूतियों का अंतरण कर सकेंगे ।

अध्याय 7

विदेशी कंपनी पूंजी विनिधानकर्ता द्वारा विनिधान

16. एफवीसीआई द्वारा विनिधान – विदेशी कंपनी पूंजी विनिधानकर्ता (एफवीसीआई) अनुसूची 7 में विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए विनिधान कर सकेंगे ।

17. एफवीसीआई को या द्वारा किसी भारतीय कंपनी की साधारण शेयरों की लिखत का अंतरण – इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाई में साम्या लिखतों को धारण करने वाले एफवीसीआई या भारत में निवासी व्यक्ति इन नियमों के अनुसूची 7 में विहित या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में उसके द्वारा इस प्रकार धारित साम्या लिखतों या इकाइयों का अंतरण कर सकेंगे ।

अध्याय 8

साधारण उपबंध

18. भारतीय स्टार्ट अप कंपनी द्वारा संपरिवर्तनीय नोटों का निर्गम – (1) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है या कोई ऐसा अस्तित्व है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में रजिस्ट्रीकृत या निगमित है) एकल अंश में पांच लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए किसी भारतीय स्टार्ट अप कंपनी द्वारा जारी संपरिवर्तनीय नोटों का क्रय कर सकेगा ।

(2) ऐसी स्टार्ट अप कंपनी, जो ऐसे किसी सेक्टर में लगी हुई है, जहां भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान में सरकारी अनुमोदन की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे अनुमोदन के साथ ही भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को संपरिवर्तनीय नोट जारी कर सकेगी और ऐसे संपरिवर्तनीय नोटों के प्रति साधारण शेयरों का निर्गम विदेशी विनिधान के लिए किसी प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विषयक सीमाओं, कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों और अन्य आनुषंगिक शर्तों के अनुपालन में होगा ।

(3) संदाय का ढंग या विक्रय या परिपक्वता आगमों के प्रति प्रेषण के लिए अन्य आनुषंगिक शर्तें ।

(4) अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक इन नियमों के अनुसूची 4 के अनुसार, गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर संपरिवर्तनीय नोट अर्जित कर सकेंगे।

(5) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, भारत में या भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति से या उसको विक्रय के माध्यम से संपरिवर्तनीय नोटों को अर्जित कर सकेगा या उन्हें अंतरित कर सकेगा परंतु तब जब अंतरण पूंजी लिखतों के लिए यथाविहित प्रवेश मार्गों और कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

19. भारतीय कंपनियों का विलयन या अविलयन अथवा समामेलन -- जहां दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन या समामेलन की स्कीम या भारतीय कंपनी के अविलयन के माध्यम से या अन्यथा पुनःसंनिर्माण, राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, वहां, यथास्थिति, अंतरिती कंपनी या नई कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, भारत के बाहर निवासी अंतरक कंपनी के विद्यमान धारकों को साम्या लिखतें जारी कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) अंतरण या निर्गम, यथास्थिति, प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय कैपों या विनिधान सीमाओं के और भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान की आनुषंगिक शर्तों के अनुपालन में है :

परंतु जहां प्रतिशतता से क्षेत्रीय सीमाओं या आनुषंगिक शर्तों के भंग होने की संभावना है, वहां अंतरक कंपनी या अंतरिती अथवा नई कंपनी केंद्रीय सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सकेगी।

(ख) अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी या नई कंपनी, भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए प्रतिषिद्ध किसी सेक्टर में कार्य नहीं करेगी।

(2) जहां दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन या समामेलन या किसी भारतीय कंपनी का अविलयन के माध्यम से या अन्यथा पुनःनिर्माण की स्कीम है, वहां अंतर्वलित कंपनियों में से कोई भी अंतर्वलित कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक पर सूचीबद्ध है, वहां तब प्रबंधन की स्कीम सेबी (बाध्यता का सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में होगी।

20. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं -- भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी विनिधान के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगी।

21. कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत -- (1) इन नियमों में विहित कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुसार किए गए विक्रय के माध्यम से किसी अंतरण के लिए लागू नहीं होगी जहां कीमत निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(2) इन नियमों में अन्यथा विहित के सिवाय, भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों की कीमत निम्नानुसार होगी --

(क) ऐसी कंपनी द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी निम्नलिखित से कम नहीं होगी

- (i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साम्या का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसार असूचीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार तय की गई कीमत ;
- (ii) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर या व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा भुजा लंबाई आधार पर सम्यक रूप से प्रमाणित मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार किया गया साम्या लिखतों का मूल्यांकन।

(ख) भारत में निवासी व्यक्ति से भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को अंतरण निम्नलिखित से कम नहीं होगा --

- (i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तय की गई कीमत ;

(ii) कीमत जिस पर, सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साधारण शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसार असूचीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी की दशा में यथालागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन शेयरों के अधिमानी आबंटन किए जा सकते हैं ;

(iii) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर या व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा भुजा लंबाई आधार पर सम्यक रूप से प्रमाणित मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार किया गया साम्या लिखतों का मूल्यांकन।

(ग) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को अंतरण निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा—

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तय की गई कीमत ;

(ii) कीमत जिस पर, सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साधारण शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसार असूचीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी की दशा में यथालागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन शेयरों के अधिमानी आबंटन किए जा सकते हैं ;

परंतु सुसंगत तारीख से पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए कीमत अवधारित की जाती है जो शेयरों के क्रय या विक्रय की तारीख होगी।

(iii) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर या व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा भुजा लंबाई आधार पर सम्यक रूप से प्रमाणित मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार किया गया साम्या लिखतों का मूल्यांकन ;

स्पष्टीकरण – मार्गदर्शक सिद्धांत यह होंगे कि भारत के बाहर निवासी व्यक्ति ऐसे विनिधान या करार को करते समय ऐसी सुनिश्चित निकास कीमत को प्रतिभूत नहीं करेंगे और निकास के समय विद्यमान कीमत पर निर्गम होंगे ।

(iv) साम्या लिखतों के विनिमय की दशा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रकम पर ध्यान दिए बिना विनिमय व्यवस्था में अंतर्वलित मूल्यांकन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत मर्चेंट बैंकर या मेजबान देश में समुचित विनियामक प्राधिकरण के साथ भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत विनिधान बैंकर द्वारा किया जाना चाहिए;

(v) जहां संगम जापान में अंशदान के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को भारतीय कंपनी में शेयर जारी किए जाते हैं तो ऐसा विनिधान प्रवेशमार्ग और क्षेत्रीय कैपों के अध्यधीन रहते हुए अंकित मूल्य पर किया जाएगा ;

(vi) शेयर वारंट की दशा में उनकी कीमत का निर्धारण और कीमत या संपरिवर्तन सूत्र अग्रिम अवधारित किया जाएगा ।

परंतु यह कीमत निर्धारण मार्गदर्शक निर्धारण सिद्धांत गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा साम्या लिखतों के आधार पर लागू नहीं होंगे ।

22. कर और विक्रय आगमों का प्रेषण – (1) कर- इन नियमों के अधीन सभी संव्यवहार भारत में बैंकिंग चैनल के माध्यम से और भारत में लागू करों और अन्य शुल्कों या उद्घरणों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए किए जाएंगे ।

(2) विक्रय आगम का प्रेषण – (क) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा धारित किसी भारतीय प्रतिभूति के विक्रय आगम का प्रेषण इन नियमों, सुसंगत अनुसूची में विहित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार से भिन्न नहीं किया जाएगा ।

(ख) एक प्राधिकृत व्यवहारी भारत के बाहर निवासी शेयरों के विक्रेता को (लागू करों का योग) प्रतिभूति के विक्रय आगमों का प्रेषण अनुज्ञात कर सकेगा ।

परंतु यह कि

- (i) प्रतिभूति विक्रेता द्वारा संप्रत्यावर्तन आधार पर धारित हो ; और
- (ii) प्रतिभूति कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में विक्रय की गई है या प्रतिभूतियों के विक्रय और इस प्रकार विक्रय आगमों आदि के प्रेषण के लिए अन्य मामलों में रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(22) अनुप्रवाह विनिधान – (1) भारतीय अस्तित्व जो अप्रत्यक्ष विनिधान से ग्रहण किया गया है, विदेशी विनिधान के लिए यथा लागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्रिय कैपो, मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत और अन्य तत्संबद्ध दशाओं का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण – सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा अनुप्रवाह विनिधान जो निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या भारत से बाहर सरने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है सेक्टर में चल रही भारतीय कम्पनी में वहां अनुज्ञात किया जाता जहां एक सौ प्रतिशत तक विदेशी विनिधान स्वतः मार्ग के अधीन अनुज्ञात किया जाता है और कोई प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान संबंध निष्पादन शर्तें नहीं हैं।

(2) 31 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त कॉर्पोरेट पुनर्संरचना के अधीन किया गया अनुप्रवाह विनिधान या अन्य ऋण पुनर्संरचना तंत्र, या व्यापार पुस्तक में या ऋण व्यतिक्रम के कारण शेयरों को अर्जन के लिए, किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 खंड (ग) में परिभाषित किया गया है, भारत में निगमित है, जो निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है या भारत कि बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में गिना नहीं जायेगा तथापि उसका नीतिगत अनुप्रवाह विनिधान कम्पनी जिसमें ऐसा विनिधान किया गया है के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में गिना जायेगा।

(3) भारतीय कम्पनीयों में कुल विदेशी विनिधान संगणना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न प्रकार है –

(क) कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर निवासी है, द्वारा कोई साम्या धारण किया गया है किसी करार के अधीन किसी ऋण लिखत के संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल विदेशी विनिधान के रूप में संगणित होगा।

(ख) ऋण की प्रकृति में लिखित के अन्तर्निहित वाले एफसीसीबीएस और डीआरएस की कुल विदेशी विनिधान के लिए संगणना नहीं की जायेगी।

(ग) कुल विदेशी विनिधान की संगणना करने के लिए विधि तंत्र भारतीय कम्पनीयों में विनिधान के प्रत्येक स्तर पर लागू होगा और इस प्रकार हर और प्रत्येक भारतीय कम्पनी में लागू होगा।

(घ) अनुप्रवाह विनिधान के उद्देश्य के लिए संविभाग विनिधान जो अनुप्रवाह विनिधान करने के लिए भारतीय कम्पनी में पिछले वित वर्ष में 31 मार्च को किया गया है उसका कुल विदेशी विनिधान संगणना के लिए विचार लिया जायेगा।

(ङ) किसी भारतीय कम्पनी के किसी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी द्वारा ग्रहण किया गया अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान अनुप्रवाह विनिधान की गई कम्पनी द्वारा ग्रहण कुल विदेशी विनिधान को सीमित करेगा।

(4) विनिधानकर्ता अस्तित्व के लिए, अनुप्रवाह विनिधान जो अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना गया है निम्न लिखित शर्तों के अध्याधीन होना अर्थात् –

(क) अनुप्रवाह विनिधान बोर्ड के निदेशक जो शेयर धारक भी है का अनुमोदन प्राप्त करेगा, करार, यदि कोई हो।

(ख) अनुप्रवाह विनिधान के प्रयोजन के लिए अनुप्रवाह विनिधान करने वाले भारतीय अस्तित्व विदेश से अपेक्षित निधि लायेगा और घरेलू बाजार से उधार ली गई निधि में उपयोग नहीं करेगा और अनुप्रवाह विनिधान आंतरिक प्रोद्धवन के माध्यम किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए आंतरिक प्रोद्धवन कर के संदाय करने के पश्चात आरक्षित खाते के लिए अंतरित लाभ अभिप्रेत होगा: आगे ऋण का जुटाना और इसका उपयोग अधिनियम, नियमों या इसके अधीन बने विनियमों के अनुपालन में होगा।

(5) किसी भारतीय कंपनी के साम्य विनिधान, जो अन्य भारतीय कंपनी द्वारा धारित किए गए हैं, जिसने विदेशी विनिधान ग्रहण किया है और निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है—

- (क) रिजर्व बैंक द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्ट के अध्यक्षीन भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को ;
- (ख) मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत के लिए अनुषक्ति के अध्यक्षीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को ;
- (ग) कोई भारतीय कंपनी, जिसने विदेशी विनिधान ग्रहण किया है और निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, को अंतरित किए जा सकेंगे ।
- (6) अनुप्रवाह विनिधान करने वाली पहली स्तरीय भारतीय कंपनी दूसरे स्तर पर और आदि और आगे इसके द्वारा किए गए अनुप्रवाह विनिधान के लिए उन नियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी पहली स्तरीय कंपनी वार्षिक आधार पर इसके कानूनी लेखा परीक्षक से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी और इन नियमों के ऐसे अनुपालन भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट में उल्लेखित होंगे । कानूनी लेखा परीक्षक की दशा में अर्हित रिपोर्ट दी जाए, वैसी ही स्थिति रिजर्व बैंक, जिसकी अधिकारिता में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के प्रादेशिक कार्यालय की जानकारी में तत्काल लाई जाएगी और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से अभिस्वीकृति प्राप्त भी की जाएगी ।
- (7) नियम 22 के उपबंध (5) और (6) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

टिप्पण : अनुप्रवाह विनिधान, जो कि 13 फरवरी, 2009 के पहले विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसरण किए गए विनिधानकर्ता अस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माने गए हैं, इन नियमों के पुष्टिकरण के लिए कोई उपांतरण अपेक्षित नहीं होगा और सभी ऐसे विनिधान, उक्त तारीख के पश्चात् इन नियमों की परिधि के अधीन आएंगे । अनुप्रवाह विनिधान जो कि 13 फरवरी, 2009 और 21 जून, 2013 के बीच किया गया विनिधाकर्ता के अस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना है, जिसकी इन नियमों के साथ पुष्टि नहीं की है । इन नियमों में ऐसे मामले को परिवार के रूप में मानने के लिए 3 अक्टूबर, 2013 तक रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए ।

स्पष्टीकरण :-- इन नियमों के प्रयोजन के लिए,--

- (क) किसी भारतीय कंपनी का स्वामित्व से ऐसी कंपनी के साम्य लिखतों के पचास प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला फायदाग्राही अभिप्रेत होगा और "किसी सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व (एलएलपी)" से अपनी पूंजी में पचास प्रतिशत से अधिक के अंशदान और बहुसंख्या लाभ शेयर रखता है, अभिप्रेत है ;
- (ख) "निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्वाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिक में और/या भारतीय कंपनी में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी भारतीय नागरिक द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जा रही है, अभिप्रेत है और "निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाली सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से किसी सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जो निवासी भारतीय नागरिक और/या भारतीय अस्तित्व में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी नागरिक द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जा रही है, अभिप्रेत है ;
- (ग) "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है, अभिप्रेत है और "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से कोई सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है, अभिप्रेत है ;
- (घ) "नियंत्रण" से निदेशकों की बहुसंख्या नियुक्ति करने का अधिकार या प्रबंध को नियंत्रित करना या विनिश्चय नीति, जिसमें अपने शेयर धारण करने या प्रबंध अधिकार या शेयर धारण करने या मत अधिकार भी शामिल है, अभिप्रेत है और सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए "नियंत्रण" से पदाभिहित भागीदारी की बहुसंख्या की नियुक्ति अधिकार, जहां ऐसा पदाभिहित भागीदार अन्य के लिए विनिर्दिष्ट अपवर्जन सहित, किसी सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) की सभी नीतियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, अभिप्रेत है ;
- (ङ) "निवासी भारतीय नागरिक के नियंत्रणाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक और/या भारतीय कंपनी में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है और "निवासी भारतीय नागरिक के नियंत्रणाधीन सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से कोई सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक और/या भारतीय अस्तित्व में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है ;

- (च) "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रण में है, अभिप्रेत है और "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से कोई सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रण में है, अभिप्रेत है ;
- (छ) "अनुप्रवाह विनिधान" से किसी भारतीय अस्तित्व द्वारा किया गया विनिधान, जो इसमें कुल विदेशी विनिधान रखता है या पूंजी लिखत में कोई विनिधान यान पर पूंजी जैसी भी स्थिति हो, की अन्य भारतीय अस्तित्व अभिप्रेत है ;
- (ज) "नियंत्रि कंपनी" से समान अर्थ अभिप्रेत है, जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समनुदेशित किया गया है ;
- (झ) "अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान" से किसी भारतीय अस्तित्व द्वारा ग्रहण किया गया अनुप्रवाह विनिधान --
- (क) कोई अन्य भारतीय अस्तित्व (आईई), जो विदेशी विनिधान से ग्रहण किया गया है और (i) भारतीय अस्तित्व, जो निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या (ii) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है ; या
- (ख) कोई विनिधान यान, जिसका प्रायोजक या प्रबंधक या विनिधान प्रबंधक (i) निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या (ii) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है ;
- परंतु कोई भारत में निवासी व्यक्ति किसी भारतीय अस्तित्व के अलावा अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान ग्रहण नहीं कर सकता ।
- (ज) "कुल विदेशी विनिधान" से विदेशी विनिधान का कुल और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान तथा उसी प्रकार के पूर्ण तनुकृत आधार पर संगणना से अभिप्रेत होगा ;
- (ट) "नीति अनुप्रवाह विनिधान" से अपनी समनुषंगी में भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा विनिधान सह उद्यम और सहयुक्त अभिप्रेत है ।

अध्याय 9

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण)

24. किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत में संपत्ति का अर्जन और अंतरण—एक अनिवासी भारतीय या एक विदेशी नागरिक

(क) किसी कृषि भूमि या फार्म हाऊस या बागान संपत्ति के अलावा भारत में स्थावर संपत्ति अर्जन कर सकेगा :

परंतु अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो :

(i) भारत से बाहर किसी स्थान से आवक विप्रेषणादेश द्वारा बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में निधि ग्रहण किया जाएगा ; या

(ii) अधिनियम, नियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार पोषित किसी अनिवासी खाते में धारित निधियों से किया जाएगा ;

परंतु यह और कि स्थावर संपत्ति का कोई अंतरण करने के लिए कोई संदाय इस खंड के अधीन अनुज्ञात विनिर्दिष्ट रीति के अलावा या तो यात्री चैक विदेशी करेंसी नोट या अन्य रीति द्वारा नहीं किया जाएगा ;

(ख) भारत में निवासी किसी व्यक्ति से या किसी अनिवासी भारतीय से या किसी विदेशी नागरिक से दान के द्वारा, कृषि भूमि या फार्म हाऊस या बागान संपत्ति के अलावा भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अर्जन, जो किसी मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) में यथा परिभाषित से संबंधित है ;

(ग) भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति से उत्तराधिकार द्वारा भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अर्जन, जिसने ऐसी संपत्ति—

(i) उसके द्वारा अर्जन के समय पर प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विधि के उपबंधों के अनुसार या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अर्जित की है ;

(ii) भारत में निवासी किसी व्यक्ति से अर्जित की है ;

(घ) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण ;

(ङ) किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी नागरिक को कृषि भूमि या फार्म हाऊस या बागान संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति का अंतरण ।

25. किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी भारतीय नागरिक के पति या पत्नि द्वारा सयुक्त अर्जन : कोई अनिवासी भारतीय या कोई विदेशी भारतीय नागरिक न होते हुए भारत से बाहर निवासी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी भारतीय नागरिक का पति या पत्नि हैं, अपने अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक पति या पत्नि के साथ सयुक्त रूप से एक स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि या फार्म हाऊस या बागान सम्पत्ति से भिन्न) का अर्जन कर सकेगा:

परंतु –

(क) अंतरण के लिए प्रतिफल–

- (i) भारत से बाहर किसी स्थान से आवक विप्रेषणादेश द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में निधि ग्रहण किया जाएगा ; या
- (ii) अधिनियम के उपबंधों और रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए किसी अनिवासी के खाते में धारित निधि से किया जाएगा ;

(ख) स्थावर संपत्ति के किसी अंतरण के लिए कोई संदाय या तो यात्रि चैक द्वारा या विदेशी मुद्रा नोट द्वारा या किसी ऐसे अन्य माध्यम द्वारा जिसे इस खंड के अधीन विशिष्ट रूप से अनुज्ञात किया गया है से भिन्न नहीं किया जायेगा :

परंतु यह कि विवाह रजिस्ट्रिकृत किया गया है और ऐसी समिति के अर्जन से ठीक पिछले दो वर्षों से अन्युन अवधि से लगातार इसका निर्वाह किया गया है

परंतु यह और की अनिवासी पति या पत्नि ऐसे अर्जन से अन्यथा निषिद्ध है।

26. अनुज्ञात क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए स्थावर संपत्ति का अर्जन – भारत से बाहर निवासी कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी शाखा कार्यालय या किसी संपर्क कार्यालय या किसी परियोजना कार्यालय या कारबार के किसी अन्य स्थान की भारत के स्थापन) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित किसी संपर्क कार्यालय के अपवर्जन करते हुए कोई क्रियाकलाप भारत में किसी शाखा कार्यालय या कारबार के लिए अन्य स्थान पर चलाया जा रहा है ;

(क) भारत में कोई स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकेगा, जो ऐसे क्रियाकलाप को चलाने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो :

परंतु –

- (i) तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों, नियम और विनियम का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए ; और
- (ii) व्यक्ति, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आईपीआई प्ररूप में एक घोषणा पत्र रिजर्व बैंक में फाइल करे, जो ऐसे अर्जन की तारीख से नब्बे दिनों के पश्चात् न हो ;

(ख) किसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी प्राधिकृत व्यवहारी के लिए बंधक द्वारा संपत्ति का अंतरण, नियम 26 के खंड (क) के अनुसरण में अर्जित की गई स्थावर संपत्ति :

परंतु पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान या चायना या ईरान या हांगकांग या मकाऊ या नेपाल या भूटान या कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) का कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, पांच वर्ष से अधिक के लिए स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं करेगा ।

27. विदेशी राजदूतावासों या राजनयिकों या महाकौसलावास द्वारा स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय—कोई विदेशी राजदूतावास या राजनयिक या महाकौसलावास भारत में कृषि भूमि, बागान संपत्ति या फार्म हाऊस के सिवाय स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय कर सकेगा परंतु :

- (i) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से ऐसे क्रय या विक्रय के लिए समाशोधन प्राप्त करेगा ; और

(ii) भारत में स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए प्रतिफल बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश से प्रेषित निधि से संदाय किया जाएगा।

28. किसी लंबी अवधि बीजा धारक द्वारा अर्जन – कोई व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक होते हुए इन देशों में अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई से संबंधित है, जो भारत में निवास करता है और केंद्रीय सरकार द्वारा लंबी अवधि बीजा (एलटीबी) दिया गया है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्वतः अधिभोग के लिए निवास एकक के रूप में भारत में एक आवासीय स्थावर संपत्ति और स्वतः नियोजन चालान के लिए केवल एक स्थावर संपत्ति क्रय कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) संपत्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित निर्बंधित या संरक्षित क्षेत्र में और ईद-गिर्द और छावनी क्षेत्र में अवस्थित नहीं होगी ;

(ख) व्यक्ति उस जिले के राजस्व प्राधिकारी को, जहां संपत्ति अवस्थित है, निधि के स्रोत को विनिर्दिष्ट करते हुए और कि वह एलटीबी पर भारत में निवास कर रहा है, एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा ;

(ग) संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में राष्ट्रीयता और तथ्य कि ऐसा व्यक्ति एलटीबी पर है, उल्लेखित होंगे ;

(घ) ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उसके भारत विरोधी क्रियाकलाप में शामिल होने पर कुर्क या अधिग्रहित की जा सकेगी ;

(ङ) क्रय संपत्ति के दस्तावेज की एक प्रति पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) या विदेशी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (एफआरओ) या संबंधित विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय (एफईआरओ) और गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) को प्रस्तुत की जाएगी ;

(च) ऐसा व्यक्ति केवल भारतीय नागरिकता ग्रहण के पश्चात् संपत्ति विक्रय करने के लिए पात्र होगा तथापि नागरिकता ग्रहण करने से पहले संपत्ति का अंतरण करने के लिए संबंधी डीसीपी या एफआरओ या एफआरआरओ का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

29. विक्रय आगमों का संप्रत्यावर्तन – (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी रिजर्व बैंक की साधारण या विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के सिवाय उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय आगमों का भारत से बाहर संप्रत्यावर्तन नहीं करेगा ।

(2) भारत में एनआरआई या ओसीआई द्वारा कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान संपत्ति से भिन्न स्थावर संपत्ति के विक्रय की दशा में प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर विक्रय आगमों के संप्रत्यावर्तन को अनुज्ञात कर सकेगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, अर्थात्:-

(क) विक्रेता द्वारा अर्जन के समय प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विधि के उपबंधों के अनुसार या इन नियमों के उपबंधों के स्थावर संपत्ति अर्जित की गई थी ;

(ख) स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए रकम, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता या अनिवासी बाह्य खाता में धारित निधियों में से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा में संदत्त की गई थी ;

(ग) निवासिय संपत्ति की दशा में विक्रय आगमों का संप्रत्यावर्तन दो से अधिक ऐसी संपत्तियों तक निर्बंधित है ।

(3) समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अधीन भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्संदाय की असफलता की दशा में बैंक जो एक प्राधिकृत व्यापारी है, समुद्रपारीय उधारदाता या प्रतिभूति न्यासी (जिसके पक्ष में ईसीबी को प्रतिभूत करने के लिए स्थावर संपत्ति पर प्रभार सृजित किया गया है) को इस बात के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय केवल भारत में निवासी किसी व्यक्ति को (के द्वारा) कर सके जिस पर उधार प्रतिभूत किया गया था और उस उधार के संबंध में न कि किसी अन्य उधार के संबंध में बकाया शोध्यों के लिए विक्रय आगमों को संप्रत्यावर्तित कर सके ।

30. भारत में स्थावर संपत्ति के अंतरण पर प्रतिषेध - (1) अधिनियम या नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा:

परंतु यह कि: -

- (क) रिजर्व बैंक, पर्याप्त कारणों से ऐसी शर्तों के अधीन जो आवश्यक समझी जाएँ, अंतरण को अनुज्ञात कर सकेगा ;
- (ख) कोई बैंक जो कि प्राधिकृत व्यापारी है, रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त जारी किए गए निदेशों के अधीन रहते हुए भारत में निवासी किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति को इस बात के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि वह भारत में अपनी स्थावर संपत्ति पर किसी समुद्रपारीय उधारदाता या प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अधीन लिए गए किसी बाह्य वाणिज्यिक उधार को प्रतिभूत करने के लिए प्रभार सृजित करे;
- (ग) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी समुद्रपारीय उधारदाता का संपर्की होते हुए इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन रहते हुए भारत से बाहर कंपनी का निदेशक होते हुए एनआरआई या ओसीआई द्वारा भारत में स्वामित्वाधीन स्थावर संपत्ति पर उक्त समुद्रपारीय उधारदाता से कंपनी द्वारा लिए जाने वाले उधार के लिए बंधक सृजित कर सकेगा:

परंतु यह और कि :-

- (i) निधियों का उपयोग उधार लेने वाली कंपनी द्वारा केवल इसके समुद्रपारीय केन्द्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा;
- (ii) प्रभार के अभिचार की दशा में, भारतीय बैंक पात्र अर्जक को स्थावर संपत्ति का विक्रय करेगा और विक्रय आगमों को समुद्रपारीय उधारदाता को प्रेषित करेगा।

(2) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे अर्जन के समय प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विधियों के अनुसरण में या रिजर्व बैंक की साधारण या विनिर्दिष्ट अनुज्ञा से भारत में किसी स्थावर संपत्ति को अर्जित किया है, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का अंतरण कर सकेगा बशर्ते यह संव्यवहार भारत में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हो, परंतु यह और कि निवासी ऐसे अर्जन से अन्यथा प्रतिषिद्ध न हो।

31. कतिपय देशों के नागरिकों द्वारा भारत में स्थावर संपत्ति के अंतरण या अर्जन पर प्रतिषेध- कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान, हांगकांग या मकाऊ या कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) का नागरिक है रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना पांच वर्ष से अनधिक पट्टा से भिन्न, भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन या अंतरण नहीं करेगा :

परंतु यह कि यह प्रतिषेध ओसीआई को लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए “नागरिक” शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक अस्तित्व सम्मिलित होंगे।

32. प्रकीर्ण- इस नियमों के अधीन स्थावर संपत्ति के अर्जन या अंतरण को अंतर्वलित करने वाला कोई संव्यवहार:-

- (क) भारत में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा;
- (ख) भारत में लागू करें और अन्य शुल्कों या उद्ग्रहण के संदाय के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

32. व्यावृत्ति- भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थावर संपत्ति की विद्यमान धारिता को जो ऐसे अर्जन के समय अस्तित्व में रहने वाली किसी नीति के अनुसरण में हुई है, इन नियमों के अनुरूप होने के लिए किन्हीं उपांतरणों की अपेक्षा नहीं होगी।

अनुसूची 1

(नियम 6(क) देखें)

भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद या बिक्री**(1) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद या बिक्री।**

- (क) एक भारतीय कंपनी भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को इस अनुसूची में विहित प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा और अनुवर्ती शर्तों के अधीन इक्विटी लिखित जारी कर सकती है।
- (ख) भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों को खरीद सकता है:

बशर्ते,

- (i) निवेश करने वाले भारत के बाहर रह रहे व्यक्ति ने पहले ही सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार इस तरह की कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया है और इस तरह के नियंत्रण को बनाए रखा है ;
- (ii) प्रतिफल राशि का भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट संदाय के ढंग के अनुसार या भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति ने सेबी(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार अधिग्रहण किया है और उसका नियंत्रण जारी रखा है, द्वारा देय लाभांश से किया जा सकता है बशर्ते यह कि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया जा चुका है और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से विनिर्दिष्ट गैर ब्याज वाले रुपए खाते में लाभांश राशि को जमा कर दिया गया है।
- (ग) एक अनिवासी अस्तित्व द्वारा भारत में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी जो एक ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही है, जहां स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और कोई भी एफडीआई से जुड़ी हुई निष्पादन की शर्त नहीं है, उक्त अनिवासी अस्तित्व को पूर्व निगमन /पूर्व परिचालन व्यय के संबंध में उक्त अनिवासी अस्तित्व द्वारा खर्च किए गए अपनी प्राधिकृत पूंजी के पांच प्रतिशत की सीमा या 500,000 अमेरिकी डालर तक, जो भी कम हो, इक्विटी लिखत जारी कर सकती है जो इन शर्तों के अधीन है कि इक्विटी लिखतों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लेकिन निगमन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि में या ऐसे समय जो रिजर्व बैंक अनुमति दे, भारतीय कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार रिजर्व बैंक को संव्यवहार की रिपोर्ट करेगी।
- (घ) भारतीय कंपनी समय समय पर केन्द्रीय सरकार और/या रिजर्व बैंक द्वारा विहित शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए भारत के बाहर रह रहे किसी व्यक्ति को यदि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी स्वचालित मार्ग क्षेत्र से जुड़ी है तो निम्नलिखित के संबंध में इक्विटी लिखत जारी कर सकती है,-

(i) इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की अदला बदली ; या

(ii) पूंजीगत वस्तु या मशीनरी या उपकरणों (पुरानी मशीनरी को छोड़कर) का आयात; या

(iii) पूर्व कार्यकारी या पूर्व-निगमन व्यय (किराया आदि के भुगतान सहित) :

परन्तु यदि भारतीय निवेशक कम्पनी सरकारी रूट के अधीन लगी हुई है तो सरकार से अनुमोदन लिया जाएगा और समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाएगा।

(ङ) एक भारतीय कम्पनी भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को देय किसी भी निधि के विरुद्ध इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, जिसका प्रेषण अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके अधीन जारी निदेशों के अधीन अनुज्ञात है

या अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके अधीन जारी निदेशों के अधीन केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है या अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके अधीन जारी निदेशों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात है।

परन्तु जहाँ रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषण के लिए अनुज्ञा दे दी गई है वहाँ ऐसे प्रेषण के विरुद्ध भारतीय कम्पनी इक्विटी शेयरी जारी कर सकती है जिसके लिए अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन देरी या उल्लंघन की बाबत सभी विनियामक क्रियाएँ पूरी हो चुकी है।

(च) परिपक्वता आय या विक्रय के प्रेषण के लिए संदाय का प्रकाट और अन्य सम्बद्ध शर्तें रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँगी।

(2) एफडीआई के लिए प्रतिषिद्ध सेक्टर -

(क) सरकारी या प्राइवेट लाटरी, ऑनलाइन लाटरी आदि सहित लाटरी कारोबार।

(ख) केसिनो सहित जुआ और शर्त, आदि।

(ग) चिट फंड।

(घ) निधि कम्पनी।

(ङ) हस्तांतरणीय विकासात्मक अधिकारों का व्यापार।

(च) रियल एस्टेट कारबार या फार्म हाऊस का निर्माण।

स्पष्टीकरण- इस नियम के उद्देश्य के लिए, टाउनशिप का विकास, रेसिडेन्शियल (निवासी) या कमर्शियल (व्यावसायिक) परिसर रोड या पुल का निर्माण और SEBI (REITs) विनियम, 2014 के अधीन रजिस्टर्ड और विनियमित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) रियल एस्टेट कारबार में सम्मिलित नहीं होंगे।

(छ) तम्बाखू या तम्बाखू के विकल्प की सिगार चिरूट, सिगालोस और सिगरेट का विनिर्माण।

(ज) गतिविधियाँ और सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर निवेश के लिए खुली नहीं है, उदाहरण (I) परमाणु ऊर्जा और (II) रेलवे संचालन (अनुसूची 1 के खंड 3 में उल्लिखित अनुज्ञात गतिविधियों से भिन्न)

(i) लाइसेंस के लिए फ्रेन्चाइस ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंधन संविधा सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी लाटरी व्यवसाय और जुआ और शर्त लगाने की गतिविधियों के लिए निषेध है।

3. कुल विदेशी निवेश के लिए अनुज्ञात सेक्टर, एन्ट्री रूट और सेक्टरल केप

अन्यथा जब तक इन नियमों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट न हो, भारतीय इकाई में कुल विदेशी निवेश के लिए एन्ट्री रूट और सेक्टरल केप निम्नानुसार होंगे -

(क) **एन्ट्री रूट -**

(i) “ऑटोमेटिक रूट” से वह एन्ट्री रूट अभिप्रेत है जिसके द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ;

(ii) “सरकारी रूट” से वह रूट अभिप्रेत है जिसके द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है और इस रूट के अधीन प्राप्त विदेशी निवेश सरकार के अनुमोदन द्वारा नियत शर्तों के अनुसार होगा।

(iii) पूर्ण मंद आधार पर प्रदत्त पूंजी का 49% तक एकत्र विदेशी पोर्टफोलियों निवेश का सेक्टरल या कानूनी केप, जो भी कम हो, के लिए यथास्थिति सरकारी अनुमोदन या सेक्टरल शर्तों के अनुपालन की अपेक्षा नहीं होगी यदि ऐसे निवेश का परिणाम निवासी भारतीय नागरिकों से निवासी कम्पनी के स्वमित्व और नियंत्रण के अंत्रण अथवा भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को स्वामित्व या नियंत्रण का अंतरण नहीं होता है और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अन्य निवेश सरकार के अनुमोदन की शर्तों तथा इन नियमों में अधिकथित सेक्टरल शर्तों के अधीन होंगे।

(ख) सेक्टरल केप -

(i) सारणी में विनिर्दिष्ट सेक्टर और गतिविधियों के लिए प्रत्येक सेक्टर के सामने निर्दिष्ट सीमा सेक्टरल केप है। कुल विदेशी निवेश सेक्टरल या कानूनी केप से अधिक नहीं होगा।

(ii) निम्नलिखित सेक्टर या गतिविधियों में विदेशी निवेश लागू कानून या विनियम, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगा।

(iii) ऐसे सेक्टर और गतिविधियों में, जो नीचे सूचीबद्ध नहीं हैं या इन नियमों की अनुसूची-1 के खंड-2 के अधीन निषेध नहीं है, लागू कानून या विनियम, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन आटोमेटिक रूट पर 100% विदेशी निवेश अनुज्ञात है।

परन्तु नीचे क्रम संख्यांक “F” के अधीन निर्दिष्ट से भिन्न वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

(iv) जहाँ भी न्यूनतम पूँजीकरण की आवश्यकता होती है, उसमें सम्मिलितों के अंकित मूल्य के साथ प्राप्त प्रीमियम केवल तब सम्मिलित है, जब भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी ऐसे लिखतों को कम्पनी द्वारा इसे प्राप्त किया गया है और अंतरीती द्वारा पोस्ट-इश्यू ट्रांसफर के दौरान सांय की गई राशि पूँजी लिखत की जारी कीमत से ज्यादा है तो उसे न्यूनतम पूँजीकरण अपेक्षाओं की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(v) (क) निवेश करने वाला ऐसी कम्पनी जो रिजर्व बैंक में नॉन बैंकिंग कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है और इन कोर निवेश कम्पनी, दोनों ही भारतीय आस्तियों से भिन्न पूँजी के निवेश की गतिविधियों में प्रवृत्त है, में विदेशी निवेश के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

टिप्पण - कोर निवेश कम्पनी द्वारा इन नियमों का अनुपालन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन एन वी एफ सी के रूप में ऐसी कम्पनियों को विहित विनियामक ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त है।

(v) (ख) रिजर्व बैंक के साथ नॉन बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड निवेश कम्पनियों में विदेशी निवेश 100% आटोमेटिक रूट के अधीन होगा।

(vi) उन क्रियाकलापों को करने के लिए जो आटोमेटिक रूट के अधीन है और एफडीआई संबंध निष्पादन शर्तों के बिना हैं। कोई भारतीय कम्पनी जिसका कोई प्रचालन नहीं है और जिसने कोई अधोगति निवेश नहीं किया है जिसे निवेशी आस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, आटोमेटिक रूट के अधीन भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों से अपने साम्यालिखतों में निवेश प्राप्त कर सकेगी तथापि ऐसी कम्पनियों के लिए क्रियाकलाप करने हेतु जो सरकारी रूट के अधीन है सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जब कभी ऐसी कम्पनी कारबार आरंभ करती है या निवेशी आस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाने वाला अधोगति निवेश करती है, उसे एंट्री रूट, शर्तों और केप पर सुसंगत सेक्टरल शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(vii) इस तरह के विदेशी निवेश और परिचर शर्तों पर क्षेत्रीय और वैधानिक सीमाओं के अनुपालन का भार, यदि कोई हो, तो विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी पर होगा।

(viii) जहाँ कहीं भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जिसने निवेश किया है, विशेष रूप से भारतीय निवेश कर्ता कंपनी के लेखापरीक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क रखने वाले लेखापरीक्षक या संपरीक्षक फर्म को निर्दिष्ट करता है, तो ऐसी विदेशी कंपनी की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखापरीक्षा के रूप में किया जायेगा जबकि लेखापरीक्षक में से एक उसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।

सारणी

क्र.सं. (1)	क्षेत्र/क्रियाकलाप (2)	क्षेत्रीय सीमा (3)	प्रवेश मार्ग (4)
1.	कृषि और पशुपालन		
1.1	(क) सीमित शर्तों के अधीन फूल, बागवानी और सब्जियों और मशरूम की खेती ; (ख) बीजों और रोपण सामग्रियों का विकास और उत्पादन ; (ग) पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मछलीपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन ; और (घ) कृषि और संबंध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं । टिप्पण: उपरोक्त के अलावा, विदेशी निवेश की और किसी कृषि क्षेत्र या क्रिया कलाप में अनुमति नहीं है ।	100%	स्वतः
1.2	अन्य शर्तें		
	शब्द 'सीमित शर्तों के अधीन' निम्नलिखित सम्मिलित है : 'सीमित शर्तों के अधीन खेती' श्रेणियां जिसमें फूलवानी, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती की प्रथा है जिसमें वर्षा, तापमान, सौर विकिरण, हवा, आर्द्रता और खेती के माध्यम सीमित शर्तों के अधीन है ।		
	इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउसों, नेट हाउसों, पॉली हाउसों या किसी अन्य उन्नत सुविधाओं के अधीन संरक्षित कृषि के माध्यम से वहां किया जा सकेगा, जहां सूक्ष्म जलवायु दशाएं मानवोद्भव वैज्ञानिक रूप से विनियमित की जाती हैं ।		

2.	बागान		
2.1	(क) चाय सेक्टर, जिसके अंतर्गत चाय बागान भी हैं (ख) कॉफी बागान (ग) रबर बागान (घ) इलायची बागान (ङ) ताड़ तेल वृक्ष बागान (च) जैतून तेल वृक्ष बागान टिप्पण : विदेशी विनिधान ऊपर सूचीबद्ध बागान सेक्टर/क्रियाकलाप से भिन्न किसी बागान/क्रियाकलाप में अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।	100%	स्वतः
2.2	अन्य शर्तें		
	किसी भावी भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में सम्बन्धित राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है ।		
3.	खनन		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन धातु और गैर-धातु अयस्कों, जिनके अन्तर्गत हीरा, सोना, चांदी और बहुमूल्य अयस्क भी हैं किन्तु इनके अन्तर्गत टाइटेनियम धारक खनिज और इसके अयस्क नहीं हैं, का खनन और उनकी खोज ;	100%	स्वतः
3.2	कोयला और लिग्नाइट		
	(क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन और उसके अध्याधीन अनुज्ञात विद्युत परियोजनाओं, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र क्रियाकलापों द्वारा नियंत्रित उपभोग के लिए कोयला और लिग्नाइट खनन । (ख) धावनशालाओं, जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थापना करना कि कंपनी कोयला खनन नहीं करेगी और खुले बाजार में अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से धुले हुए कोयला या आमापित कोयला का विक्रय नहीं करेगी और धुले हुए या आमापित कोयला का प्रदाय उन पक्षकारों को करेगी जो धुलाई या आमापन के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को अपरिष्कृत कोयले का प्रदाय कर रहे हैं ।	100%	स्वतः

3.3	टाइटेनियम धारक खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसके मूल्य परिवर्धन और एकीकृत क्रियाकलाप		
	(क) सेक्टरिय विनियम और खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अधीन रहते हुए टाइटेनियम धारक खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसके मूल्य परिवर्धन और एकीकृत क्रियाकलाप	100%	सरकारी
3.4	अन्य शर्तें		
	(क) टाइटेनियम धारक खनिजों और अयस्कों के पृथक्करण के लिए विदेशी विनिधान विभिन्न शर्तों के अधीन रहते हुए होगा : (i) मूल्य परिवर्धन सुविधाएं प्रौद्योगिकी के अंतरण के साथ भारत के अंदर स्थापित की जाती हैं ; (ii) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों, जैसे-खनिज पृथक्करण के दौरान अपशिष्ट का निपटान परमाणु ऊर्जा विकिरण संरक्षण नियम, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान नियम), 1987 के अनुसार किया जाएगा । (ख) विदेशी विनिधान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 61(अ), तारीख 18.1.2006 में सूचीबद्ध "विहित पदार्थों" के खनन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । स्पष्टीकरण : (i) टाइटेनियम धारक अयस्कों, जैसे इलिमनाइट, ल्यूकोसिन तथा रुटाइल धारक के लिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड रंजक और टाइटेनियम स्पंज का विनिर्माण मूल्य परिवर्धन का गठन करते हैं । इलिमनाइट को कृत्रिम रुटाइल या टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करने के लिए मध्यवर्ती मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में प्रसंस्कृत किया जा सकता है । (ii) उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग अनुप्रवाह उद्योगों की स्थापना करने के लिए किया जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी को देश के भीतर ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है । इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ इस नियम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है तो उपरोक्त (क)(i) में विहित शर्तों को पूरा किया जाना समझा जाएगा ।		
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज और क्रियाकलाप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विपणन से सम्बन्धित अवसंरचना, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों, प्राकृतिक गैस/पाइपलाइनों का विपणन, एलएनजी पुनः गैसीकरण अवसंरचना, बाजार अध्ययन और सूत्रीकरण तथा प्राइवेट सेक्टर में पेट्रोलियम परिष्करण, जो तेल विपणन सेक्टर में विद्यमान सेक्टरिय नीति को विनियामक कार्य ढांचे तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों के तेल की खोज और खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता सम्बन्धी सरकार की नीति के अध्ययधीन है ।	100%	स्वतः
4.2	वर्तमान पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में किसी विनिवेश या घरेलू साधारण शेयर के तनुकरण के बिना पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पेट्रोलियम परिष्करण	49%	स्वतः
5.	विनिर्माण		
		100%	स्वतः
5.1	विनिर्माता को थोक विक्रय और/या खुदरा, जिसके अन्तर्गत सरकारी अनुमोदन के बिना ई-वाणिज्य के माध्यम से भी है, के माध्यम से भारत में अपने विनिर्मित उत्पादों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । व्यापार सेक्टर के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबंधों के होते हुए भी, भारत में विनिर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों की बाबत सरकारी अनुमोदन मार्ग के अधीन व्यापार के लिए शत प्रतिशत विदेशी विनिधान, जिसके अन्तर्गत ई-वाणिज्य के माध्यम से विनिधान भी है, अनुज्ञात किया जाता है । खाद्य पदार्थ खुदरा व्यापार में विदेशी विनिधान के लिए आवेदनों पर सरकार द्वारा विचार किए जाने से पूर्व औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में प्रक्रिया की जाएगी ।		

6.	रक्षा		
6.1	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अधीन रहते हुए, रक्षा उद्योग और आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अधीन लघु शस्त्र और गोला-बारूद का विनिर्माण ;	100%	49% तक स्वतः मार्ग जहां कहीं आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने के परिणाम की संभावना है या ऐसे अन्य कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, वहां सरकारी मार्ग 49% से परे
6.2	अन्य शर्तें		
	(क) ऐसी कंपनी में, जो औद्योगिक अनुज्ञप्ति की मांग नहीं करती है, अनुज्ञात स्वतः मार्ग के भीतर नए विदेशी विनिधान में, जिसका परिणाम विद्यमान विनिधानकर्ता द्वारा स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन करना या उसके द्वारा पण का नए विदेशी विनिधानकर्ता को अंतरण करना है, सरकारी अनुमोदन अपेक्षित होगा । (ख) अनुज्ञप्ति सम्बन्धी आवेदनों पर विचार किया जाएगा और अनुज्ञप्तियां औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के परामर्श से प्रदान की जाएंगी । (ग) इस सेक्टर में विदेशी विनिधान रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा अनापत्ति और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन है । (घ) निवेशी कंपनी उत्पाद डिजाइन और विकास क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने के लिए संरचित की जानी चाहिए । विनिर्माण सुविधा के साथ निवेशी/संयुक्त उद्यम कंपनी को भारत में विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद के रख-रखाव और जीवन चक्र पोषण सुविधा भी रखनी चाहिए ।		
7.	प्रसारण		
7.1	प्रसारण वहन सेवा		
7.1.1	(क) टेलीपोर्ट्स (अपलिकिंग हब्स/टेलीपोर्टों की स्थापना) ; (ख) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ; (ग) केबल नेटवर्क राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर प्रचालित किए जा रहे बहुप्रणाली प्रचालक (एमएसओएस और अंकीकरण तथा संबोधनीयता के लिए नेटवर्क का उन्नयन करना ; (घ) मोबाइल टीवी ; (ङ) हेड-एण्ड-इन-द स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस) ;	100%	स्वतः
7.1.2	केबल नेटवर्क (ऐसे अन्य एमएसओएस, जो अंकीकरण तथा संबोधनीयता और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए नेटवर्क के उन्नयन नहीं कर रहे हैं)	100%	स्वतः
7.1.3	टिप्पण : किसी ऐसी कंपनी में ऊपर 7.1.1 और 7.1.2 में निर्दिष्ट सेक्टरों के लिए 49% से परे नए विदेशी विनिधान के अनुप्रेरण में, जो सेक्टरीय मंत्रालय से अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा प्राप्त करने की वांछा नहीं करती है, जिसका परिणाम विद्यमान विनिधानकर्ता द्वारा स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन या उसके द्वारा नए विनिधानकर्ता को पण का अंतरण करना है, सरकारी अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।		
7.2	प्रसारण अन्तर्वस्तु सेवाएं		
7.2.1	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए स्थली प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो)	49%	सरकारी
7.2.2	'समाचार और समसामयिकी' टीवी चैनलों का अपलिकिंग	49%	सरकारी
7.2.3	'गैर-समाचार और समसामयिकी' टीवी चैनलों का अपलिकिंग/टीवी चैनलों की डाउनलिकिंग	100%	स्वतः
7.3	अन्य शर्तें		

(क) ऊपर कथित सभी सेवाओं में लगी हुई सभी कंपनियों में विदेशी विनिधान सुसंगत विनियमों तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन होगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं । (ख) ऊपर कथित प्रसारण वहन सेवाओं में विदेशी विनिधान ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन होगा जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं । (ग) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा किए गए प्रसारण सेवा संस्थापन, सुरक्षा के लिए परिसंकट नहीं बनेगा और किसी परिनियम, नियम या विनियमों और लोक नीति का उल्लंघन नहीं करेगा । (घ) जहां सेक्टरीय सीमा 49% तक है, वहां सूचना और प्रसारण सेक्टर में, कंपनी, निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा या ऐसी भारतीय कंपनियों, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन हैं, के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन होनी चाहिए । (i) इस प्रयोजन के लिए, 'विशालतम भारतीय शेयरधारक' द्वारा धारित साम्या, कुल साम्या का कम से कम 51% होगा, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में पब्लिक सेक्टर बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित साम्या नहीं है और इस खंड में प्रयुक्त 'विशालतम भारतीय शेयरधारक' पद निम्नलिखित में से कोई या उसके संयोजन सम्मिलित होंगे, अर्थात् :- (1) व्यष्टिक शेयरधारक के मामले में, (कक) व्यष्टिक शेयरधारक । (खख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अर्थ के भीतर शेयरधारक का कोई नातेदार । (गग) कोई ऐसी कंपनी या कंपनियों का ऐसा समूह, जिसमें ऐसा व्यष्टिक शेयरधारक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, जिससे उसका सम्बन्ध है, प्रबंधन और नियंत्रणकारी हित रखता है । (2) किसी भारतीय कंपनी के मामले में, (कक) भारतीय कंपनी (खख) उसी प्रबंधन और स्वामित्व नियंत्रण के अधीन भारतीय कंपनियों का समूह (3) इस प्रयोजन के लिए, "भारतीय कंपनी" ऐसी कंपनी होगी जिसके पास कंपनी अधिनियम, 2013/एचयूएफ की धारा 2(77) के अधीन यथा परिभाषित निवासी भारतीय या नातेदार होना चाहिए जो एकल रूप से या एक साथ मिलकर का कम से कम 51% शेयर धारण करते हैं । (4) परंतु ऊपर उपखंड (घ)(i) में उल्लिखित सभी या किन्हीं अस्तित्वों के संयोजन के मामले में, पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार ने आवेदक कंपनी के विषयों के मामले का प्रबंध करने में एकल यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए विधिक रूप से आवद्धकर करार कर लिया हो ।			
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और सम-सामयिकों से सम्बन्धित समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2	समाचार और सम-सामयिकी से सम्बन्धित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2.1	अन्य शर्तें		
	(क) इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए, 'पत्रिका' एक ऐसे आवधिक प्रकाशन के रूप में परिभाषित की जाएगी जो गैर-दैनिक आधार पर निकाली जाती है और जिसमें लोक समाचार या लोक समाचारों पर टीका-टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती हैं । (ख) विदेशी विनिधान 4-12-2008 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी समाचार और सम-सामयिकी से सम्बन्धित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यक्षीन भी होगा ।		
8.3	यथा लागू विधिक कार्यवाही के अनुपालन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका या/ विशिष्ट जर्नल आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन या मुद्रण ।	100%	सरकारी
8.4	विदेशी समाचार पत्रों की अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी
8.4.1	अन्य शर्तें		

	(क) विदेशी विनिधान ऐसे मूल विदेशी समाचार पत्र के स्वामी द्वारा किया जाएगा जिसका अनुलिपि संस्करण भारत में लाया जाना प्रस्तावित है। (ख) विदेशी समाचार पत्रों के अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी अस्तित्व द्वारा ही किया जा सकता है। (ग) विदेशी समाचार पत्र के अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन समाचारों और सम-सामयिकियों से सम्बन्धित समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के भी अधीन होगा तथा 31-3-2006 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी विदेशी समाचार पत्रों का अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन।		
9.	नागर विमानन		
9.1	नागर विमानन सेक्टर में विमान पत्तन अनुसूचित, गैर-अनुसूचित, घरेलू यात्री एयरलाइन, हेलीकॉप्टर सेवा या समुद्री विमान सेवा, भू-प्रबंधन सेवा, अनुरक्षण और मरम्मत संगठन, उड़ान प्रशिक्षण संस्थान तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। नागर विमानन सेक्टर के प्रयोजनों के लिए : (क) "विमानपत्तन" से विमानों के उतरने और उड़ान भरने का कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर प्रायिकतः रनवे और वायुयान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और इसके अन्तर्गत वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में यथा परिभाषित विमान क्षेत्र भी है ; (ख) "विमानक्षेत्र" से जल या थल निश्चित या सीमित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान के लिए आश्रित है और उसके अन्तर्गत उस पर या उससे जुड़े हुए सभी भवन, शेड, यान, प्रस्तम्भ और अन्य संरचनाएं आती हैं ; (ग) "वायु परिवहन सेवा" से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए व्यक्तियों, डाक या किसी अन्य सजीव या निर्जीव वस्तु के वायु द्वारा परिवहन के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है, चाहे ऐसी सेवा एकल उड़ान की हो या उड़ान आवलियों की हो ; (घ) "वायु परिवहन उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जिसके कारबार के अन्तर्गत यात्रियों, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए वायुयान द्वारा स्थौरा का वहन भी है ; (ङ) "वायुयान घटक" से कोई ऐसा पुर्जा अभिप्रेत है जिसकी मजबूती और सही कार्यकरण, जब उसे वायुयान में फिट किया जाता है, वायुयान की सतत उड़ान योग्यता या सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसके अंतर्गत उपस्कर की कोई मद भी सम्मिलित है ; (च) "हेलीकॉप्टर" से पर्याप्त रूप से ऊर्ध्वाधर धुरी पर एक या अधिक शक्तिचालित रोटारों पर वायु की प्रतिक्रियाओं द्वारा उड़ान में अवलंबित वायुयान की तुलना में भारी वायुयान अभिप्रेत है ; (छ) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से ऐसी वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है जो उन्हीं दो या दो से अधिक स्थानों के बीच की जाती है और प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या इतनी नियमित या बारंबार उड़ानों सहित, जो मान्य रूप से क्रमबद्ध आवलियां गठित करती हों, प्रचालित की जाती है और जो, प्रत्येक ऐसी फ्लाइट जनता के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुली हो ; (ज) "गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो एक अनुसूचित वायु परिवहन सेवा नहीं है और जिसके अन्तर्गत कार्गो एयरलाइन होगी ; (झ) "कार्गो एयरलाइन" से ऐसी एयरलाइन अभिप्रेत होगी जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं में दी गई शर्तों को पूरा करती है ; (ञ) "समुद्री विमान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो जल पर एक मात्र रूप से सामान्यतः उड़ान भरने और उतरने में समर्थ हो ; (ट) "भू-प्रबंधन" से अभिप्रेत है (i) ढालान प्रबंधन ; (ii) यातायात प्रबंधन जिनमें से दोनों में समय-समय पर वैमानिक सूचना परिपत्रों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे और (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य क्रियाकलाप, जो या तो ढालान प्रबंध या यातायात प्रबंध का भाग हो।		
9.2	विमानपत्तन		
	(क) हरित क्षेत्र परियोजना	100%	स्वतः
	(ख) विद्यमान परियोजना	100%	स्वतः
9.3	वायु परिवहन सेवा		
	(क) (i) अनुसूचित वायु परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन (ii) प्रादेशिक वायु परिवहन सेवा	100%	49% तक स्वतः 49% से परे सरकारी मार्ग (अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए स्वतः 100% तक)

	(ख) गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवा	100%	स्वतः
	(ग) नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन की अपेक्षा करने वाली हेलीकॉप्टर सेवा या समुद्री विमान सेवा	100%	स्वतः
9.4	नागर विमानन सेक्टर के अधीन अन्य सेवाएं		
	(क) सेक्टरिय विनियमों और सुरक्षा अनापत्ति के अधीन रहते हुए भू-प्रबंधन सेवाएं	100%	स्वतः
	(ख) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन, उड़ान प्रशिक्षण संस्थान तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं	100%	स्वतः
9.5	अन्य शर्तें		
	(क) वायु परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन, गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्र विमान सेवाएं सम्मिलित होंगी। (ख) विदेशी एयरलाइनों को स्थौरा एयरलाइनों, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाओं में ऊपर उल्लिखित सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार विदेशी विनिधान करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। (ग) विदेशी एयरलाइनों को ऐसी भारतीय कंपनियों की पूंजी में विनिधान करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है जो भारतीय निवेशी कंपनी की समादत्त पूंजी का 49 प्रतिशत की सीमा तक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवा प्रचालित करते हैं। ऐसा विदेशी विनिधान निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा, अर्थात् :- (i) यह सरकारी अनुमोदन मार्ग के अधीन होगा। (ii) विदेशी विनिधान भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के सुसंगत विनियमों और साथ ही अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा। (iii) अनुसूचित प्रचालक अनुज्ञापत्र केवल कंपनी को ही अनुदत्त किया जा सकेगा : (1) जो रजिस्ट्रीकृत है और जिसका कारबार का मुख्य स्थान भारत में है ; (2) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो-तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं ; और (3) जिसका सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों में निहित है। (iv) ऐसे सभी भारतीय नागरिकों को, जिनकी भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं से सहयुक्त होने की संभावना है, ऐसे विदेशी विनिधान के परिणामस्वरूप परिनियोजन से पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से निकाल दिया जाएगा ; और (v) सभी तकनीकी उपस्करों को, जो ऐसे विदेशी विनिधान के फलस्वरूप भारत में आयात किए जा सकेंगे, नागर विमानन मंत्रालय में सुसंगत प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करनी अपेक्षित होगी। (घ) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त, मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी विनिधान निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा: (i) मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी विनिधान, जिसके अंतर्गत विदेशी एयरलाइन (एयरलाइनों) का विदेशी विनिधान भी है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः 49% से अधिक नहीं होगा। (ii) मैसर्स एयर इंडिया लिमिटेड का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों में निहित होता रहेगा।” टिप्पण : (1) उपरोक्त पैरा 9.3(क) और पैरा 9.3(ख) में उल्लिखित सेक्टरिय सीमाएं या प्रवेश मार्ग उस स्थिति में लागू होते हैं, जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई विनिधान नहीं किया जाता है। (2) 100% तक विदेशी विनिधान के बारे में अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए व्यवस्था उपरोक्त 9.5(ग) में विनिर्दिष्ट विनिधान प्रणाली के सम्बन्ध में लागू होगी। (3) निवेशी कंपनी को अतिरिक्त रूप से केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा।		
10	संनिर्माण विकास : नगरक्षेत्र, आवासन और निर्मित अवसंरचना		
10.1	संनिर्माण विकास परियोजनाएं (जिनके अंतर्गत नगरक्षेत्र का विकास आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों, पुलों, होटलों, रिसॉर्टों, शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, नगर और प्रादेशिक स्तर की अवसंरचना, नगरक्षेत्रों का संनिर्माण भी है।	100%	स्वतः
10.2	अन्य शर्तें		

- 10.2 (क) संनिर्माण विकास परियोजना का प्रत्येक चरण एक पृथक परियोजना के रूप में समझा जाएगा।
- (ख) विनिधानकर्ता को परियोजना के पूरे हो जाने पर या मुख्य मार्ग अवसंरचना अर्थात् सड़क, जल, प्रदाय, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकास और मल वहन का विकास होने के पश्चात् बाहर जाने की अनुमति होगी।
- (ग) ऊपर (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर किसी अनिवासी व्यक्ति को स्वतः मार्ग के अधीन परियोजना के पूरा हो जाने से पूर्व विदेशी विनिधान से बाहर जाने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परंतु यह तब जब कि तीन वर्ष की परिवंधन अवधि, जो विदेशी विनिधान के प्रत्येक अंश के प्रतिनिर्देश से संगणित की गई है, पूरी हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत से बाहर निवासी व्यक्ति से, भारत से बाहर निवासी अन्य व्यक्ति को विदेशी विनिधान के प्रत्यावर्तन के बिना पण का अंतरण न तो किसी परिवंधन अवधि और न ही किसी सरकारी अनुमोदन के अधीन होगा।
- (घ) परियोजना, सन्नियमों तथा मानकों के अनुरूप होगी जिसके अंतर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार या नगरपालिका या स्थानीय निकाय को लागू भवन निर्माण नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और अन्य विनियमों में यथा अधिकथित भू-उपयोग अपेक्षाएं तथा सामुदायिक सुख-सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं का उपबन्ध भी है।
- (ङ) भारतीय निवेशी कंपनी को केवल विकसित भू-खंडों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। इस नीति के प्रयोजनों के लिए 'विकसित भू-खंडों' से ऐसे भू-खंड अभिप्रेत होंगे जहां मुख्य मार्ग अवसंरचना अर्थात् सड़क, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकास और मल वहन उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- (च) भारतीय निवेशी कंपनी सभी आवश्यक अनुमोदन, जिनके अंतर्गत भवन निर्माण या अभिविन्यास रेखांकों, आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने, विकास के संदाय, बाह्य विकास और अन्य प्रभारों तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/नगरपालिका या स्थानीय निकाय को लागू नियमों/उपविधियों/विनियमों के अधीन यथा विहित सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने का अनुमोदन भी है, प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (छ) सम्बद्ध राज्य सरकार या नगरपालिका या स्थानीय निकाय, जो भवन निर्माण/विकास योजनाओं का अनुमोदन करती है, विकासकर्ता द्वारा ऊपर दी गई शर्तों के अनुपालन को मॉनीटर करेगी।

टिप्पण :

- (1) विदेशी विनिधान किसी ऐसे अस्तित्व में अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो भू-संपदा कारबार, कृषि फार्म हाउसों के संनिर्माण, अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में लगा हुआ है या उनमें लगने का प्रस्ताव करता है।
- (2) परिवंधन अवधि की शर्त, होटलों, पर्यटक रिसॉर्टों, अस्पतालों, विशेष आर्थिक जोनों, शैक्षणिक संस्थाओं, वृद्ध आश्रमों और अनिवासी भारतीयों या प्रवासी भारतीय नागरिकों को लागू नहीं होगी।
- (3) परियोजना का समापन राज्य सरकारों की स्थानीय उपविधियों/नियमों और अन्य विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
- (4) स्वतः मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी विनिधान नगरक्षेत्रों, मालों/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा कारबार केन्द्रों का प्रचालन करने और उनका प्रबंध करने के लिए संपूरित परियोजनाओं में अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसे विदेशी विनिधान के परिणामस्वरूप भारत में निवासी व्यक्तियों से भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को निवेशी कंपनी के स्वामित्व का अंतरण और/या उसका नियंत्रण भी अनुज्ञात किया जाता है, तथापि, विदेशी विनिधान के प्रत्येक अंश के प्रतिनिर्देश से संगणित तीन वर्ष की परिवंधन अवधि होगी और इस अवधि के दौरान अचल संपत्ति या उसके भाग का अंतरण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(5) इस सेक्टर के सम्बन्ध में "अंतरण" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,-

- (क.) आस्तियों का विक्रय, आदान-प्रदान या त्याग ; या
- (ख.) उसमें किन्हीं अधिकारों का निर्वापन ; या
- (ग.) किसी विधि के अधीन उसका अनिवार्य अर्जन ; या
- (घ.) किसी संव्यवहार में ली जाने वाली संपत्ति या संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क में निर्दिष्ट प्रकृति के संविदा के भागतः निष्पादन में धारित किसी अचल संपत्ति के कब्जे को अनुज्ञात करना अंतर्वलित है ; या
- (ङ.) किसी कंपनी में ऐसे किसी संव्यवहार द्वारा, पूंजी लिखत अर्जित करके या किसी करार या ठहराव के माध्यम से या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, जिसका किसी अचल संपत्ति के अंतरण करने या उसका उपभोग करने में समर्थ बनाने का प्रभाव है।

- (6) भू-संपदा कारबार से ऐसा कारबार अभिप्रेत है जो भूमि और अचल संपत्ति में उससे लाभ उपार्जित करने की दृष्टि से किया जाता है और इसके अंतर्गत नगरक्षेत्रों का विकास, आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों या पुलों या शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, नगर और प्रादेशिक स्तर की अवसंरचना, नगरक्षेत्रों का संनिर्माण नहीं है ;

स्पष्टीकरण :-

- (क.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2014 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विनियमित भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) की यूनितों में विनिधान भी "भू-संपदा कारबार" की परिभाषा से अपवर्जित किया जाएगा।

- (ख.) संपत्ति के पट्टे पर किराया आय का उपार्जन, जो अंतरण की कोटि में नहीं आता है, भू-संपदा कारबार की कोटि में नहीं आएगा।

- (ग.) भू-संपदा के सम्बन्ध में अंतरण के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,-

11.	औद्योगिक पार्क	100%	स्वतः
11.1	इस सेक्टर के प्रयोजन के लिए : (क) "औद्योगिक पार्क" ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित भूमि के भू-खंडों या निर्मित स्थान या सामान्य सुविधाओं वाले संयोजन के रूप में क्वालिटी अवसंरचना विकसित की जाती हैं और औद्योगिक क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए सभी आवंटित यूनिटों को उपलब्ध कराई जाती है। (ख) "अवसंरचना" औद्योगिक पार्क में अवस्थित यूनिटों के कार्यकरण के लिए अपेक्षित सुविधाओं को निर्दिष्ट करती है और इसके अंतर्गत सड़क (पहुँच मार्गों सहित), रेल लाइन/साइडिंग जिनके अन्तर्गत विद्युतीकृत रेल लाइन भी हैं।		

(1)	(2)	(3)	(4)
	मुख्य रेलवे लाईन, जलापूर्ति और सीवेज, सामान्य बहिर्शाप उपचार सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, विद्युत का जनन और वितरण, वायुसंवादन। (ग) सामान्य सुविधाओं के अन्तर्गत औद्योगिक पार्क स्थित सभी युनिटों के लिए उपलब्ध सुविधाएं हैं। जिसमें विद्युत, सड़क (पहुँच मार्गसहित), रेलवे लाईन, विद्युतिकरण रेलवे लाईन और मुख्य रेलवे लाईन से संयोजन, जलापूर्ति और सीवेज, सामान्य बहिर्शाप उपचार, सामान्य परीक्षण, दूरसंचार सेवाएं, वायुसंवादन, सामान्य सुविधा भवन, औद्योगिक कैटिन, बैठक हॉल, पार्किंग, यात्राडैस्क, सुरक्षा सेवा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, एम्बुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं सम्मिलित हैं जो औद्योगिक पार्क में स्थित युनिटों के सामान्य उपयोग के लिए हैं। (घ) औद्योगिक पार्क में आवंटनीय क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है। (i) विकसित भूमि के प्लॉट के मामले में युनिटों के आवंटन के लिए उपलब्ध कुल स्थल क्षेत्र जिसमें सामान्य सुविधाओं का क्षेत्र अपर्वजित है। (ii) निर्मित स्थान के मामले में सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया सतह क्षेत्र और निर्मित स्थान। (iii) विकसित भूमि और निर्मित क्षेत्र के संयोजन के मामले में युनिटों को आवंटन के लिए उपलब्ध कुल स्थल और सतह क्षेत्र जिसमें सामान्य सुविधाओं का क्षेत्र अपर्वजित है। (ङ) औद्योगिक क्रियाकलाप से विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलआपूर्ति, डाक और दूरसंचार, सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श और आपूर्ति, डाटा प्रक्रमण, डाटाबेस क्रियाकलाप और इलैक्ट्रॉनिक अंतरवस्तु का वितरण, कम्प्यूटर संबंधी क्रियाकलाप, मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी का विकास, भेषज विज्ञान या जीवन विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और इंजनीयरिंग, कारबार और प्रबंधन परामर्श क्रिया-कलाप और वास्तुकला इंजनीयरिंग और अन्य तकनीकी क्रिया-कलाप।		
11.2	औद्योगिक पार्कों में विदेशी निवेश उपर पैरा 10 में वर्णित निर्माण विकास परियोजनाओं के लिए लागू शर्तों के अधीन नहीं होगा परन्तु औद्योगिक पार्क नीचे वर्णित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। (क) यह न्यूनतम 10 युनिटों से मिलकर बना होगा और कोई भी एकल युनिट आवंटनीय क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं घेरेगी। (ख) औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए आवंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आवंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम नहीं होगा।		
12.	उपग्रह स्थापना और प्रचालन		
	उपग्रह स्थापना और प्रचालन अंतरिक्ष विभाग/ आई एस आर ओ के सैक्टरीय दिशा निर्देशों के अधीन	100%	सरकारी
13.	निजी सुरक्षा अभिकरण	49%	सरकारी

14.	दूरसंचार सेवाएं(दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता प्रवर्ग 1 समेत)		
14.1	अन्य सेवा प्रदाताओं के सिवाय सभी दूरसंचार सेवाएं जिनके अंतर्गत दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता प्रवर्ग 1 अर्थात् मूलभूत, सैलूलर, एकीकृत पहुँच सेवाएं, एकीकृत अनुज्ञप्ति (पहुँच सेवाएं), एकीकृत अनुज्ञप्ति, राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी, वाणिज्य वीसैट, पब्लिक मोबाईल रेडियो ट्रंक सेवाएँ, ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन सेवाएं, सभी प्रकार के आई एस पी अनुज्ञप्ति, बॉइस मेल/ आडियों टैक्सट / यु एम एस, आई पी एल सी का पुनःविक्रय, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, अवसंरचना प्रदाता प्रवर्ग 1 (ड्राफ्ट फाइबर, राइट आफ वेब, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करना)	100 %	49%तक आटोमैटिक, 49% से आगे गर्वनमेंट रूट
14.2	अन्य शर्तें		
	समय-समय पर दूरसंचार विभाग द्वारा यथा अधिसूचित अनुज्ञप्ति और सुरक्षा शर्तें, अन्य सेवा प्रदाता में विदेशी निवेश के सिवाय जो आटोमैटिक रूट के अधीन 100% तक अनुज्ञात है, अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ निवेशकों द्वारा भी पालन की जाएंगी।		
15.	व्यापार		
15.1	कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार (एम एस ई से श्रोत समेत)	100 %	आटोमैटिक
15.1.1	परिभाषा (क) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार से खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थानिक या अन्य वर्तिक कारबार कर्ताओं अथवा अन्य थोक और संबंधित अधिनस्थ सेवा प्रदाताओं को माल या वाणिज्या का विक्रय अभिप्रेत है। (ख) तदनुसार थोक व्यापार का अर्थ निजि उपभोग के प्रयोजन के लिए विक्रय के विपरीत व्यापार, कारबार और वृत्तिक प्रयोजन के लिए विक्रय है। यह निर्धारित करने के लिए की विक्रय थोक है या नहीं, पैमाना ग्राहकों का प्रकार होगा जिन्हें विक्रय किया जाता है न कि विक्रय का आकार और परिमाण। थोक व्यापार के अंतर्गत पुनः विक्रय, प्रसंस्करण और तत्पश्चात् विक्रय, निर्यात/एक्स बाडेड भंडागारों के साथ बड़ी मात्रा में आयात, कारबार विक्रय और बी2बी ई-वाणिज्य है।		
15.1.2	अन्य शर्तें		
	(क) थोक व्यापार करने के लिए राज्य सरकार या सरकारी निकाय अथवा सरकारी प्राधिकारी या स्थानीय स्वशासी निकाय के सुसंगत अधिनियमों या विनियमों अथवा नियमों या आदेशों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाएगा। (ख) सरकार को विक्रय के मामलों के सिवाय, थोक विक्रेता द्वारा किए गए विक्रय केवल तभी वैध कारबार ग्राहकों के साथ कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार माने जाएंगे जब थोक व्यापार निम्नलिखित अस्तित्वों को किया जाता है। (i) विक्रय कर या वैट रजिस्ट्रीकरण या सेवा कर अथवा उत्पाद शुल्क या माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण धारण करने वाले अस्तित्व या (ii) व्यापार अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अस्तित्व अर्थात् सरकारी प्राधिकारी या सरकारी निकाय अथवा सरकारी प्राधिकारी या स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा दुकान और अधिस्थापन अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा		

	सदस्यता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण, जिससे यह दर्शित होता हो कि यथा स्थिति अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा सदस्यता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण, धारण करने वाला अस्तित्व या व्यक्ति स्वयं वाणिज्यिक क्रियाकलाप अंतर्वलित करने वाले कारबार लगा हुआ है या (iii) खुदरा व्यापार करने के लिए सरकारी प्राधिकारियों या स्वशासी निकायों से अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अस्तित्व (जैसे तहबाजारी और हॉकरों के लिए सामान अनुज्ञप्ति) या (iv) सोसाइटी के रूप में निगमीकरण या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रखने वाले संस्थान या स्वयं उपभोग के लिए लोकन्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण। टिप्पण: कोई अस्तित्व जो थोक व्यापार करता है, उपर (i) से (iv) में से कोई एक शर्त पूरी कर सकेगा। (ग) ऐसे विक्रय के सभी व्यौरों दर्शित करने वाले सभी अभिलेख जैसे अस्तित्व का नाम, प्रकार, रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति / अनुज्ञापत्र, संख्या, विक्रय की रकम दैनिक आधार पर रखा जाएगा। (घ) माल का थोक व्यापार सामान समुह की कंपनियों के बीच अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि ऐसा थोक व्यापार समुह कंपनियों को मिलाकर, थोक बैचर के कुल आर्वत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (ङ) थोक व्यापार सामान्य कारबार व्यवहार के अनुसार किया जा सकता है जिसके अंतर्गत लागू विनियमों के अधीन प्रत्यय सुविधाएं बढ़ाना भी है। (च) थोक या कैश एंड कैरी व्यापारी पैरा 15.3 में वर्णित शर्तों के अधीन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग कर सकता है। थोक / कैश एंड कैरी के साथ-साथ खुदरा कारबार करने वाला कोई अस्तित्व के लिए कारबार की इन दो भुजाओं के लिए पृथक लेखा बहियां रखना आज्ञापक होगा और उनकी कानूनी संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् संपरीक्षा की जाएगी। थोक या कैश एंड कैरी कारबार और खुदरा कारबार के लिए इन नियमों के अधीन शर्तें संबंधित कारबार भुजाओं द्वारा पृथक रूप से अनुपालन की जाएंगी।		
15.2	ई-कार्मस		
15.2.1	बी2बी ई-कार्मस क्रियाकलाप	100 %	स्वचालित
	ऐसी कंपनीया केवल बी2बी ई-कार्मस में संलग्न होगी न कि खुदरा व्यापार में, और अन्य बातों के साथ-साथ यह विवक्षित होगा कि घरेलू व्यापार में एफ डी आई पर विद्यमान निर्बंधन ई-कार्मस पर भी लागू होंगे।		
15.2.2	ई-कार्मस मारकेट प्लेस मॉडल	100 %	स्वचालित
15.2.3	अन्य शर्तें		
	(क) ई-कार्मस से माल और सेवाओं का क्रय और विक्रय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत डिजिटल और इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद भी है। (ख) ई-कार्मस अस्तित्व से कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी अभिप्रेत है। (ग) ई-कार्मस के इनभेटर आधारित मॉडल से कोई ई-कार्मस क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहाँ माल और सेवाओं की इनभेटर का स्वामित्व ई-कार्मस		

अस्तित्व होता है और उसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। (घ) ई-कार्मस मार्केट प्लेस मॉडल से क्रेता और विक्रेता के बीच सुकारक के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किसी ई-कार्मस अस्तित्व द्वारा सूचना प्रायोगिकी प्लेटफार्म प्रदान करना अभिप्रेत है। (ङ) डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर, टेलीविजन चैनल और आटोमेटेड रिति में जैसे वैंब-पेज, इकेस्ट्रा नेट, मोबाइल आदि में प्रयुक्त कोई अन्य इंटरनेट ऐपलिकेशन होगा। (च) मार्केट प्लेस ई-कार्मस अस्तित्व को बी2बी आधार पर इसके प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं के साथ संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (छ) ई-कार्मस मार्केट प्लेस भांडागारण लॉजिस्टिक्स, आदेश पुरा करने, कॉल सेंटर, भुगतान संग्रहण और अन्य सेवाओं के संबंध में विक्रेताओं को सहायक सेवाएँ प्रदान कर सकेगा। (ज) मार्केट प्लेस प्रदान करने वाला ई-कार्मस अस्तित्व इनभेदरी पर स्वामित्व नहीं रखेगा अर्थात् विक्रय के लिए तात्पर्यित माल। स्पष्टीकरण: किसी वेंडर की इनवैडरी ई-कार्मस मार्केट प्लेस अस्तित्व द्वारा नियंत्रित समझी जाएगी यदि ऐसे वेंडर के क्रय का 25 प्रतिशत से अधिक मार्केट प्लेस अस्तित्व या इसकी समूह कंपनियों से है जो कारबार को इनभेदरी आधारित मॉडल में ठहराएगी। (झ) ई-कार्मस मार्केटप्लेस अस्तित्व या उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा इक्विटी भागीदारी वाली ई-कार्मस मार्केटप्लेस इकाई या उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा इन्वेंट्री पर नियंत्रण रखने वाली इकाई को ऐसे मार्केटप्लेस द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। (ञ) वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए सामान / सेवाएँ स्पष्ट रूप से विक्रेता का नाम, पता और अन्य संपर्क विवरण प्रदान करेंगे। बिक्री के बाद, ग्राहकों को माल की डिलीवरी और ग्राहक की संतुष्टि विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। (ट) बिक्री के लिए भुगतान ई-कार्मस इकाई द्वारा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा सकता है। (ठ) बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की कोई भी वारंटी या गारंटी विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। (ड) बाज़ार प्रदान करने वाली ई-कार्मस इकाइयों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी और कार्य क्षेत्र के स्तर को बनाए रखेंगी। सेवाओं को ई-कार्मस मार्केटप्लेस इकाई या अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें ई-कार्मस मार्केटप्लेस एंटीटी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी या सामान्य नियंत्रण है, जो प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को बांह की लंबाई और निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से है। स्पष्टीकरण: इस तरह की सेवाओं में पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, विज्ञापन / विपणन, भुगतान, वित्तपोषण आदि शामिल होंगे, लेकिन बाज़ार की इकाइयों की खरीदारों को खरीदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद राशि उचित और गैर-भेदभावपूर्ण होगी। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी भी विक्रेता को ऐसी शर्तों पर सेवाओं का प्रावधान जो अन्य विक्रेताओं को समान परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण माना जाएगा।	
---	--

	(ढ) उपरोक्त क्रम सं. 15.1.2 पर दिए अनुसार नकदी पर दिशानिर्देश अनुसार थोक व्यापार करना बी 2 बी ई-कॉमर्स गतिविधियों पर लागू होगा। (न) कोई ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई किसी भी विक्रेता को अपने उत्पाद के किसी भी उत्पाद को विशेष रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगी। (त) सभी मौजूदा निवेशों को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में होना चाहिए। टिप्पण: ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।		
15.2.4	ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाओं की विक्री, सेक्टर विशिष्ट शर्तों, लागू कानूनों / विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन ऑटोमैटिक रूट के अधीन होगी।		
15.3	एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग (एसबीआरटी) में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेश को आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसे सामानों की उपलब्धता में सुधार करना, भारत से माल की बढ़ती सोर्सिंग को प्रोत्साहित करना और वैश्विक डिजाइनों प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।	100%	49% तक स्वचालित; 49% से आगे गवर्नमेंट रूट
15.3.1	अन्य शर्तें		
	(क) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'सिंगल ब्रांड' के होने चाहिए। (ख) उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसी ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए यानी उत्पादों को भारत के अलावा एक या एक से अधिक देशों में उसी ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। (ग) 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद-खुदरा व्यापार केवल उन्हीं उत्पादों को कवर करेगा जो विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड हैं। (घ) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, चाहे ब्रांड का मालिक हो या अन्यथा, विशिष्ट ब्रांड के लिए देश में, या तो सीधे ब्रांड के मालिक द्वारा या कानूनी तौर पर भारतीय इकाई एकल ब्रांड खुदरा व्यापार और ब्रांड के मालिक के बीच तय किए गए समझौते के माध्यम से 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी।। (ङ) 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में, खरीदे गए माल के मूल्य के 30 प्रतिशत की सोर्सिंग, भारत से, अधिमानतः एम एस एम ई गाँव और कुटीर उद्योगों, कारीगरों और शिल्पकारों से सभी क्षेत्रों में की जाएगी। घरेलू सोर्सिंग की मात्रा कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणित होगी, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से बाद में जाँच की जाएगी, जिसे कंपनी को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। व्यवसाय की शुरुआत के 1 अप्रैल से खरीदे गए सामानों के कुल मूल्य के रूप में खरीद की आवश्यकता को प्रथम बार में पूरा किया जाना है। इसके बाद इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की आवश्यकता का पता लगाने के लिए, संबंधित इकाई कंपनी होगी, जिसे भारत में निगमित किया जाएगा, जो एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली है। (च) इस पैरा में उल्लिखित शर्तों के अधीन, ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा		

	व्यापार करने के लिए एक एकल ब्रांड खुदरा व्यापार इकाई को ईट और मोटारि स्टोर के माध्यम से संचालित करने की अनुमति है। (छ) सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग इकाई को शुरुआती 5 वर्षों के दौरान वैश्विक परिचालन के लिए भारत से माल की वृद्धिशील सोर्सिंग की स्थापना हेतु, 30% की अनिवार्य सोर्सिंग आवश्यकता के खिलाफ, पहली दुकान के उद्घाटन के वर्ष की पहली अप्रैल से भारत से खरीद की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, वृद्धिशील सोर्सिंग का अर्थ भारत से उस एकल ब्रांड (आई एन आर शर्तों में) के लिए भारत से एक विशेष वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, अनिवासी संस्थाओं द्वारा किए गए एकल के लिए वैश्विक सोर्सिंग के मूल्य में वृद्धि ब्रांड खुदरा व्यापार, या तो सीधे या अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से होगा। इस 5 साल की अवधि के पूरा होने के बाद, एस बी आर टी इकाई को वार्षिक आधार पर, सीधे अपने भारत के संचालन के लिए 30% सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। टिपण्ण: (1) (ख) और (घ) में उल्लिखित शर्तें भारतीय ब्रांडों के एसबीआरटी को लागू करने के लिए लागू नहीं होंगी। (2) भारतीय ब्रांडों को निवासी भारतीय नागरिकों और / या उन कंपनियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। (3) सोर्सिंग मानदंड व्यवसाय शुरू होने से तीन साल तक लागू नहीं होंगे यानी 'अत्याधुनिक' और 'अत्याधुनिक' उत्पादों वाले एकल ब्रांड खुदरा व्यापार करने वाली संस्थाओं के लिए पहला स्टोर खोलना और जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है। इसके बाद, उपरोक्त 15.3.1 (ड) में उल्लिखित शर्त लागू होगी। नीति आयोग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और इस विषय पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ (प्रतिनिधियों) के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में एक समिति अत्याधुनिक उत्पादों के मुद्दे पर आवेदकों के दावे की जांच करेगी, जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है और इस तरह की छूट के लिए सिफारिशें देते हैं।		
15.4	मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (एमबीआरटी)	51%	सरकार
15.4.1	अन्य शर्तें		
	(क) ताजे कृषि उत्पाद, जिसमें फल, सब्जियां, फूल, अनाज, दालें, ताजे मुर्गे, मत्स्य और मांस उत्पाद शामिल हैं, बिना ब्रांड के हो सकते हैं। (ख) विदेशी निवेश के रूप में लाई जाने वाली न्यूनतम राशि यू एस डी 100 मिलियन होगी। (ग) 100 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किश्त में लाए गए कुल विदेशी निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत, तीन वर्षों के भीतर 'वैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश किया जाएगा, जहाँ 'वैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में सभी गतिविधियों पर फ्रंट-एंड इकाइयों को छोड़कर, पूंजीगत व्यय शामिल होगा। उदाहरण के लिए, वैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार,		

गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पादन बुनियादी ढांचे आदि की दिशा में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत और किराए पर व्यय, यदि कोई हो, नहीं होगा। बैंक-एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश एमबीआरटी रिटेलर द्वारा किया जाएगा, जो उसकी व्यावसायिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। (घ) निर्मित या प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद के मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश युएसडी2 मिलियन से अधिक नहीं है। यह मूल्यांकन मूल्यहास के लिए प्रदान किए बिना, स्थापना के समय मूल्य को संदर्भित करता है। 'लघु उद्योग' का दर्जा केवल रिटेलर के साथ पहले जुड़ाव के समय माना जाएगा और इस तरह का उद्योग इस उद्देश्य के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में अर्हता प्राप्त करना जारी रखेगा, भले ही वह युएसडी2 मिलियन के उक्त निवेश के दौरान उक्त खुदरा विक्रेता के साथ इसका संबंध बढ़ा हो। इस श्रेणी में कृषि सहकारी समितियों और किसान सहकारी समितियों से सोर्सिंग पर भी विचार किया जाएगा। खरीद की आवश्यकता को पूरा करना होगा, पहली बार में, खरीदे गए / संसाधित उत्पादों के कुल पांच साल के औसत मूल्य के रूप में, उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिसके दौरान विदेशी निवेश का पहला किश्त प्राप्त होता है। इसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा करना होगा। (ङ) कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन की आवश्यकता है, ताकि ऊपर क्रम सं. (ख),(ग) और (घ) की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके जिसे आवश्यक होने पर क्रॉस-चेक किया जा सकता है। तदनुसार, निवेशक वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित, खातों को बनाए रखेंगे। (च) 2011 की जनगणना या संबंधित राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में केवल खुदरा बिक्री आउटलेट स्थापित किए जा सकते हैं, और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर भी कर सकते हैं। ऐसे शहरों की नगरपालिका या शहरी ढेर सीमा के आसपास; रिटेल स्थानों को संबंधित शहरों के मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार अनुरूप क्षेत्रों तक सीमित रखा जाएगा और परिवहन कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रावधान किया जाएगा। (छ) सरकार के पास कृषि उत्पादों की खरीद का पहला अधिकार होगा। (ज) उपरोक्त नीति केवल एक सक्षम नीति है और राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री आउटलेट उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा सकते हैं जो इस नीति के तहत एमबीआरटी में विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए सहमत हुए हैं या भविष्य में सहमत हैं। जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने समझौते से अवगत कराया है, उनका उल्लेख 15.4.2 पर किया गया है। इस तरह के समझौते, भविष्य में, इस नीति के तहत खुदरा दुकानों की स्थापना की अनुमति देने के लिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को सूचित किया जाएगा और उक्त सूची में परिवर्धन किया जाएगा। खुदरा बिक्री दुकानों की स्थापना लागू राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों / विनियमों, जैसे कि दुकानें और प्रतिष्ठान आदि के	
---	--

	अनुपालन में होगी। (झ) खुदरा व्यापार, किसी भी रूप में, ई-कॉमर्स के माध्यम से, बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में लगे विदेशी निवेश वाली कंपनियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। (ञ) सरकार के अनुमोदन के लिए विचार किए जाने से पहले, प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशानिर्देशों को संतुष्ट करता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदन प्रक्रमित किए जाएंगे।		
15.4.2	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) हैं		
15.5	शुल्क मुक्त दुकानें	100 %	आटोमैटिक
15.5.1	अन्य शर्तें		
	(क) ड्यूटी फ्री शॉप्स का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या अंतराष्ट्रीय समुद्र तटों और भूमि कस्टम स्टेशनों पर कस्टम बंधित क्षेत्र में स्थापित दुकानें जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवागमन होता है। (ख) ड्यूटी फ्री शॉप्स में विदेशी निवेश सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन है। (ग) ड्यूटी फ्री शॉप इकाई देश के घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी भी खुदरा व्यापार गतिविधि में संलग्न नहीं होगी।		
16	भेषज		
16.1	ग्रीनफील्ड	100 %	आटोमैटिक
16.2	ब्राउनफील्ड	100 %	74% तक आटोमैटिक 74% से आगे गवर्नमेंट रूट
16.3	अन्य शर्तें		
	(क) 'गैर-प्रतिस्पर्धी' खंड को सरकार की मंजूरी के साथ विशेष परिस्थितियों में छोड़कर अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) संभावित निवेशक और भावी निवेशकर्ता को सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ 16.4 पर प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है। (ग) सरकार की मंजूरी ब्राउनफील्ड मामलों में विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त शर्तों को शामिल कर सकती है। (घ) ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स में विदेशी निवेश, प्रवेश मार्ग के बावजूद, निम्नलिखित स्थितियों के अधीन है (i) राष्ट्रीय दवाओं की आवश्यक सूची का उत्पादन स्तर (एनएलईएम) दवाओं और / या उपभोग्य सामग्रियों और विदेशी निवेश के प्रेरण के समय घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति, अगले पांच वर्षों में निरपेक्ष मात्रात्मक स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। इस स्तर के लिए बेंचमार्क का निर्णय तीन वित्तीय वर्षों में एनएलईएम ड्रग्स और / या उपभोग्य सामग्रियों के उत्पादन के स्तर के संदर्भ में		

किया जाएगा, जो तुरंत विदेशी निवेश के वर्ष के पहले होगा। इनमें से किसी भी तीन वर्षों में उत्पादन का उच्चतम स्तर स्तर के रूप में लिया जाएगा। (ii) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों को विदेशी निवेश के प्रेरण के समय निरपेक्ष मात्रात्मक स्तर पर 5 वर्षों के लिए मूल्य के संदर्भ में बनाए रखा जा रहा है। इस स्तर के लिए बेंचमार्क आरएंडडी खर्चों के उच्चतम स्तर के संदर्भ में तय किया जाएगा, जो कि किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी विदेशी निवेश को शामिल करने के वर्ष से पहले किया गया है। (iii) निवेशी कंपनी में विदेशी निवेश को शामिल करने के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालय को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। (iv) प्रशासनिक मंत्रालय यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भेषज विभाग या किसी अन्य नियामक अभिकरण / विकास द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित, शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा। ध्यान दें : (1) चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए आटोमैटिक रूट के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसलिए, उपरोक्त शर्तें ग्रीनफील्ड के साथ-साथ इस उद्योग की ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर भी लागू नहीं होंगी। (2) चिकित्सा उपकरण का अर्थ है: - (क) कोई भी उपकरण, उपकरण, उपकरण, इम्प्लांट, सामग्री या अन्य लेख, चाहे वह अकेले या संयोजन में उपयोग किया गया हो, जिसमें सॉफ्टवेयर शामिल है, जिसका उद्देश्य इसके निर्माता द्वारा विशेष रूप से एक या अधिक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मानव या जानवरों के लिए उपयोग किया जाना है। : - (कक) किसी बीमारी या विकार का निदान, रोकथाम, निगरानी, उपचार या उपचार; (कख) किसी चोट या अपंगता का निदान, निगरानी, उपचार, उपचार, या सहायता के लिए; (कग) शरीर रचना या शारीरिक प्रक्रिया की जांच, प्रतिस्थापन या संशोधन या सहयोग; (विज्ञापन) जीवन का समर्थन या निरंतरता; (कघ) चिकित्सा उपकरणों की कीटाणुशोधन; (कच) गर्भाधान का नियंत्रण; और जो किसी भी औषधीय द्वारा या मानव शरीर या जानवरों पर अपनी प्राथमिक इच्छित कार्यवाई को प्रतिरक्षाविज्ञानी या उपापचयी साधन द्वारा प्राप्त नहीं करता है ; (ख) इस तरह के एक साधन, उपकरण, उपकरण, सामग्री या अन्य लेख के लिए एक सहायक; (ग) "इन-विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस जो एक अभिकर्मक, अभिकर्मक उत्पाद, अंशशोधक, नियंत्रण सामग्री, किट, उपकरण, उपकरण, उपकरण या प्रणाली है, चाहे वह अकेले या संयोजन में इस्तेमाल किया गया हो, जिसका उपयोग परीक्षा	
---	--

	और चिकित्सा के लिए जानकारी प्रदान करने या मानव शरीर या जानवरों से प्राप्त नमूनों की परीक्षा के माध्यम से नैदानिक उद्देश्य के लिए किया जाता है।		
16.4	भविष्य के निवेशक द्वारा और साथ ही भविष्य के प्राप्तकर्ता अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जाना है यह प्रमाणित है कि निम्नलिखित सभी परस्पर समझौतों की पूरी सूची है, जिसमें शेयरधारकों का समझौता शामिल है, विदेशी निवेशक और निवेशकर्ता ब्राउनफील्ड भेषज इकाई के बीच किया गया है। 1. 2.। 3.। (सभी समझौतों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं) यह भी प्रमाणित है कि विदेशी निवेशकों और इन्वेस्टमेंट ब्राउनफील्ड भेषज इकाई के बीच किए गए शेयरधारकों के समझौते सहित किसी भी परस्पर समझौते में किसी भी रूप में कोई गैर-प्रतिस्पर्धा खंड नहीं है। यह आगे प्रमाणित है कि ऊपर सूचीबद्ध लोगों के अलावा विदेशी निवेशक और निवेशकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मा इकाई के बीच कोई अन्य अनुबंध / समझौते नहीं हैं। विदेशी निवेशक और इन्वेस्टमेंट ब्राउनफील्ड फार्मा इकाई ने एफआईपीबी को परस्पर समझौता करने के लिए प्रस्तुत किया है जो इस आवेदन को प्रस्तुत करने और विचार करने के बाद उनके बीच प्रविष्ट किया जा सकता है।		
17	रेलवे की अवसंरचना		
17.1	निम्नलिखित का निर्माण, संचालन और रखरखाव: (i) पीपीपी के माध्यम से उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएं, (ii) हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स, (iii) डेडिकेटेड फ्रेट लाइन्स, (iv) रोलिंग स्टॉक सहित ट्रेन सेट, और लोकोमोटिव / कोच निर्माण और रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (viii) पैसेंजर टर्मिनल, (ix) रेलवे लाइन से जुड़े औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकृत रेलवे लाइनों और मुख्य रेलवे लाइन और कनेक्टिविटी के लिए कनेक्टिविटी सहित (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।	100%	आटोमैटिक
17.2	अन्य शर्तें		
	(क) निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुले इस क्षेत्र में विदेशी निवेश रेल मंत्रालय के सैक्टरल दिशानिर्देशों के अधीन है। (ख) सुरक्षा के दृष्टिकोण से 49 प्रतिशत संवेदनशील क्षेत्रों से परे विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्ताव, रेल मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS) के समक्ष मामले के आधार पर विचार के लिए लाया जाएगा।		
च	वित्तीय सेवाएं नीचे बताए गए अन्य की तुलना में वित्तीय सेवाओं में निवेश को		

	सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।		
च.1	आस्ति पुनः निर्माण कंपनियां	100%	आटोमैटिक
च.1.1	अन्य शर्तें		
	(क) एआरसी की शेयरहोल्डिंग में एक प्रायोजक की निवेश सीमा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इसी तरह, संस्थागत या गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश को भी उक्त अधिनियम द्वारा शासित किया जाएगा।		

क्र.सं.	सेक्टर / क्रियाकलाप	क्षेत्रीय सीमा	प्रविष्टि मार्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
	(ख) एफपीआईएस, एआरसीएस द्वारा जारी किए गए सुरक्षा प्राप्तियों (एसआरएस) में निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशा-निर्देशों के अधीन, एआरसीएस द्वारा जारी एसआरएस में निवेश करने के लिए प्रत्येक किश्त के 100 प्रतिशत तक एफपीआईएस को अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। ऐसा विनिधान सुसंगत विनियामक सीमा के भीतर लागू होगा। (ग) सभी विनिधान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन होंगे।		
एफ. 2	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	74%	49% तक स्वचालित रूप से 49% से अधिक और 74% तक सरकारी मार्ग
एफ.2.1	अन्य शर्तें :		
	(क) हर समय, सिवाय विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली समुनपंगी के संबंध में समादत्त पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा निवासियों द्वारा धारित होगा। (ख) एनआरआईएस के मामले में, संप्रत्यावर्तन और गैर-संप्रत्यावर्तन दोनों पर व्यष्टि नियंत्रण कुल समादत्त पूंजी का 5 प्रतिशत तक सीमित है, और संकलित सीमा, संप्रत्यावर्तन और गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर कुल समादत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तथापि, एनआरआई नियंत्रण बैंकिंग कंपनी के सामान्य निकाय द्वारा पारित इस आशय के एक विशेष संकल्प के अधीन संप्रत्यावर्तन और गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर कुल समादत्त पूंजी का 24 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया जाएगा। (ग) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम या समुनपंगी वाले निजी बैंकों में विदेशी विनिधान के लिए आवेदन को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परामर्श में विचार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किया जा सकता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि 49 प्रतिशत की सीमा बीमा क्षेत्र के लिए लागू विनिधान का उल्लंघन नहीं होता है। (घ) एफडीआई के अधीन शेयरों का अंतरण निवासियों से गैर-निवासियों के लिए रिज़र्व बैंक और/या सरकार को जहाँ भी लागू हो, के अनुमोदन की अपेक्षा की जाएगी। (ङ) आरबीआई और अन्य संस्थाएं जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और आईआरडीएआई द्वारा विहित नीतियां और प्रक्रियाएं इन मामलों पर लागू होंगी। (च) निजी बैंक के पूंजीगत लिखत के खरीद या अन्यथा अधिग्रहण से संबंधित आर.बी.आई. के दिशानिर्देश, यदि ऐसे अधिग्रहण से किसी भी व्यक्ति के पास निजी बैंक की समादत्त पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक का नियंत्रण होता है, तो वह विदेशी विनिधान पर भी लागू होगा।		

	(छ) विदेशी बैंकों द्वारा समुनसंगी की स्थापना (i) विदेशी बैंकों को या तो शाखाओं या समुनसंगी की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों नहीं। (ii) गृह देश में बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा विनियमित विदेशी बैंकों और रिजर्व बैंक के अनुज्ञप्ति के मानदंडों को पूरा करने के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली समुनसंगी की स्थापना करने में समर्थ बनाने के लिए 100 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी। (iii) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों में से एक अर्थात् (i) शाखाओं (ii) एक पूर्ण स्वामित्व वाली समुनसंगी (iii) एक निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत तक संकलित विदेशी विनिधान के साथ एक समुनसंगी के माध्यम से संचालित हो सकता है, (iv) एक विदेशी बैंक को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली समुनसंगी या तो विद्यमान शाखा के रूपांतरण के माध्यम से या नए बैंकिंग अनुज्ञप्ति के माध्यम से स्थापित करने की अनुमति होगी। एक विदेशी बैंक को विद्यमान निजी क्षेत्र के बैंक के शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से एक समुनसंगी स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाएगी, परन्तु निजी क्षेत्र के बैंक की समादत्त पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत उपरोक्त पैरा (ग) के साथ सभी समय पर निवासियों द्वारा धारित की जाती हो। (v) विदेशी बैंक की समुनसंगी अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन होगी जो नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए व्यापक रूप से मिलकर बनती हैं। (vi) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली समुनसंगी को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। (vii) समुनसंगी की स्थापना के लिए किसी विदेशी बैंक द्वारा या भारत में समुनसंगी के लिए अपनी विद्यमान शाखाओं के रूपांतरण के लिए सभी आवेदन आरबीआई के लिए बनाए जाएंगे। (ज) बैंकिंग कंपनियों के संबंध में मतदान के अधिकार पर 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा संभावित विनिधानकर्ता द्वारा नोट किया जा सकता है। (झ) सभी विनिधान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन बैंकिंग क्षेत्र के लिए विहित दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।		
एफ.3	बैंकिंग- निजी क्षेत्र		
एफ 3.1	बैंकिंग निजी क्षेत्र, बैंकिंग कंपनियों के अधीन (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/80। इसकी अधिकतम सीमा भारतीय स्टेट बैंक पर भी लागू है।	20 %	सरकार
एफ.4	प्रतिभूति बाजार में अवसंरचना कंपनियां		
एफ.4.1	प्रतिभूति बाजार में अवसंरचना कंपनियों, अर्थात्, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम के अनुपालन में स्टॉक, विनियम, वस्तु व्युत्पाद विनियम, निक्षेपागार, समाशोधन कॉरपोरेशन	49%	स्वचालित
एफ.4.2	अन्य शर्तें :		
	(क) एफपीआई द्वारा विनिधान सहित विदेशी विनिधान, समय-समय पर केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या नियमों या विनियमों के अधीन होंगे। (ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं हैं, परन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) में परिभाषित है, या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी संबंधित विनियमों में समान अर्थ होंगे।		

	जिन्हे क्रमशः उन अधिनियमों या विनियमों में उन्हें अभिहित किया जाएगा।		
एफ.5	वस्तु स्पॉट विनियम	49%	स्वचालित
एफ.5.1	विनिधान केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।		
एफ.6	पावर एक्सचेंज		
	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 के अधीन पावर एक्सचेंज	49%	स्वचालित
एफ.6.1	अन्य शर्तें :		
	(क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति, जिसमें 5 प्रतिशत से अनधिक व्यक्ति कार्य करने वाले होने चाहिए। (ख) विनिधान भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, अन्य लागू विधियों/नियमों/ विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अनुपालन में होगा।		
एफ.7	प्रत्यय सूचना कंपनियाँ	100%	स्वचालित
	अन्य शर्तें :		
	(क) प्रत्यय सूचना कंपनियों में विदेशी विनिधान, प्रत्यय सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 और रिजर्व बैंक से विनियामक मंजूरी के अधीन है। (ख) एफपीआई विनिधान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा: (i) एक एकल इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 प्रतिशत साम्या से नीचे रहेगी; (ii) 1 प्रतिशत से अधिक किसी भी अधिग्रहण को अनिवार्य अपेक्षा के रूप में रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा; और (iii) प्रत्यय सूचना कंपनियों में विनिधान करने वाले एफपीआई अपने शेयरधारिता के आधार पर निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मांगेंगे।		
एफ.8	बीमा		
एफ.8.1	(क) बीमा कंपनी (ख) बीमा दलाल (ग) तीसरा पक्ष प्रशासक (घ) सर्वेक्षक और हानि कर-निर्धारक (ङ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अधीन नियुक्त अन्य बीमा मध्यवर्ती	49%	स्वचालित
एफ.8.2	अन्य शर्तें :		
	(क) इस क्षेत्र में विदेशी विनिधान बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुपालन के अधीन होंगे और बीमा और संबंधित क्रियाकलापों के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के अधीन होगा। (ख) एक भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण जारी किए गए नियमों / विनियमन के अनुसार केंद्रीय सरकार या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अवधारित निवासी भारतीय इकाईयों के साथ हर समय बना रहे। (ग) जहां एक बैंक जैसी इकाई, जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा क्षेत्र से बाहर है, को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उस क्षेत्र में लागू विदेशी साम्या विनिधान सीमा लागू करना जारी रखेगा, इस शर्त के अधीन है कि उनके प्राथमिक (अर्थात्, गैर-बीमा संबंधित) व्यवसाय से ऐसी ईकाईयों का राजस्व किसी भी वित्तीय वर्ष में उनके कुल राजस्व के 50 प्रतिशत से ऊपर रहना चाहिए।		

	(घ) 'बैंकिंग-निजी क्षेत्र' से संबंधित पैराग्राफ एफ.2.1 के उपबंध बैंक प्रवर्तित बीमा कंपनियों के संबंध में लागू होंगे। (ङ) पद 'नियंत्रण', 'साम्या शेयर पूंजी', 'विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान' (एफडीआई), 'विदेशी विनिधानकर्ता', 'विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', ' किसी भारतीय बीमा कंपनी का भारतीय नियंत्रण ', ' भारतीय स्वामित्व ', ' अनिवासी इकाई ', ' लोक वित्तीय संस्थान ', ' निवासी भारतीय नागरिक ', ' कुल विदेशी विनिधान 'का वही अर्थ होगा जो वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि 115 (अ) तारीख 19 फरवरी, 2015, और समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियम में उपबंध किया गया है।		
एफ.9	पेंशन क्षेत्र	49%	स्वचालित
एफ.9.1	अन्य शर्तें :		
	(क) इस क्षेत्र में विदेशी विनिधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के अनुसार होगा। (ख) पेंशन निधि में विदेशी विनिधान इस शर्त के अधीन होगा कि पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 24 के अनुसार एक भारतीय पेंशन निधि द्वारा जारी पूंजीगत लिखत में विनिधान करने वाली ईकाइयों, पीएफआरडीए से आवश्यक पूंजीकरण प्राप्त करेंगी और पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुसार अन्य अपेक्षाओं में अनुपालन करेंगी और भारत में पेंशन निधि प्रबंधन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए नियम और विनियम इसके अधीन विरचित किए गए। (ग) एक भारतीय पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण उनके द्वारा जारी किए गए नियमों या विनियमन के अनुसार भारत सरकार/ पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित नियमों या हर समय निवासी भारतीय ईकाइयों के पास रहे।		
एफ.10	अन्य वित्तीय सेवाएँ	100%	स्वचालित
	(क) अन्य वित्तीय सेवाओं का अर्थ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, अर्थात् रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र द्वारा विनियमित वित्तीय सेवा क्रियाकलाप से होगा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। (ख) 'अन्य वित्तीय सेवा' क्रियाकलापों में विदेशी विनिधान सेवा शर्तों जिसके अंतर्गत न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड भी है के अधीन किया जाएगा जो संबंधित विनियामकर्ता / सरकारी एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। (ग) 'अन्य वित्तीय सेवा' के क्रियाकलाप को वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों में से एक द्वारा विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं की क्रियाकलापों में जो किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित नहीं होती हैं या जहां वित्तीय सेवाओं के क्रियाकलाप का केवल एक हिस्सा विनियमित होता है या जहां नियामक पर्यवेक्षण के संबंध में संदेह होता है, सरकार के अनुमोदन मार्ग के अधीन न्यूनतम पूंजीकरण की अपेक्षा सहित शर्तें, 100 प्रतिशत तक विदेशी विनिधान को अनुज्ञात किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय किया जा सकता है। (घ) कोई भी क्रियाकलाप जो विशेष रूप से एक अधिनियम द्वारा विनियमित होती है, विदेशी विनिधान की सीमा उन स्तरों/सीमाओं तक सीमित होगी जो उन अधिनियम में निर्दिष्ट हो सकती हैं, यदि ऐसा उल्लेख किया गया हो। (ङ) "अन्य वित्तीय सेवाओं" में लगी हुई इन इकाइयों में से किसी के द्वारा अनुप्रवाह विनिधान, जिसे इन नियमों के अधीन विनिधान कारक इकाई के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना जाता है।		

अनुसूची II**(नियम 10 (1 देखें))****विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं द्वारा विनिधान****(1) विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता द्वारा साम्या लिखत की खरीद या बिक्री****(क) साम्या लिखत की खरीद और बिक्री।-**

एक एफपीआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी के साम्या लिखत की खरीद या बिक्री कर सकता है, अर्थात:-

(i) प्रत्येक एफपीआई या एक विनिधानकर्ता समूह द्वारा कुल नियंत्रण, पूर्ण रूप से तनुकृत आधार पर कुल समादत्त साम्या पूंजी का 10 प्रतिशत से कम या भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या वरीयता शेयर या शेयर वारंट की प्रत्येक श्रेणी के समादत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से कम होगी और इन नियमों के अधीन अनुज्ञात किसी भारतीय कंपनी में किसी भी अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान सहित एक साथ रखे गए सभी एफपीआई की कुल नियंत्रण जो इसके पूर्ण रूप से तनुकृत आधार पर समादत्त के संबंध में भारतीय कंपनी पर लागू होने वाली क्षेत्रीय सीमा से अधिक नहीं होगी या डिबेंचर या वरीयता शेयर या शेयर वारंट की प्रत्येक श्रेणी के समादत्त मूल्य की प्रतिशतता या क्षेत्रीय सीमा के समान होगी। 10 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की उक्त सीमा और उक्त क्षेत्रीय सीमा को क्रमशः प्रतिशत को व्यष्टि और संकलित सीमा कहा जाएगा :

(ii) 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी संकलित सीमा, पूर्ण रूप से तनुकृत आधार पर इसकी समादत्त साम्य पूंजी या प्रत्येक डिबेंचरों की श्रृंखला या वरीयता शेयर या शेयर वारंट की समादत्त मूल्य की ऐसी ही क्षेत्रीय कैप प्रतिशतता के संबंध में, इन नियमों की अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (ख) में यथाअधिकथित भारतीय कंपनी के क्षेत्रीय कैपों को लागू होगी।

परन्तु उपर्युक्त उपबंध के अनुसार संकलित सीमा को क्रमशः 31 मार्च, 2020 से पहले एक संकल्प के माध्यम से निदेशक मंडल और उसके सामान्य निकाय के अनुमोदन के साथ, जो वह ठीक समझे एक विशेष संकल्प द्वारा 24% या 49% या 74% से कम सीमा से संबंधित भारतीय कंपनी द्वारा घटाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यदि भारतीय कंपनी ने अपनी कुल सीमा को घटाकर 24% या 49% या 74% कर दिया है, तो क्रमशः एक विशेष संकल्प के माध्यम, निदेशक मंडल और इसके सामान्य निकाय में एक संकल्प से क्षेत्रीय सीमा या कानूनी अधिकतम सीमा को जो वह ठीक समझे, बढ़ाकर 49% या 74% तक कर सकती है, तथापि एक बार सीमा को एक अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया गया है, भारतीय कंपनी समान सीमा को कम नहीं कर सकती है।

परन्तु यह भी कि जब कुल सीमा उच्चतर अवसीमा तक बढ़ाई गई है, तब भारतीय कंपनी उसे निम्नतर अवसीमा तक नहीं घटा सकती।

परन्तु यह भी कि उस सेक्टर में, जहां विदेशी विनिधान प्रतिषिद्ध है वहां भारतीय कंपनी के संबंध में कुल सीमा 24% होगी।

स्पष्टीकरण: यदि विदेशी सरकारों/उनकी संबंधित इकाइयों में सामान्य स्वामित्व रखने वाली दो या दो से अधिक एफपीआई सम्मिलित हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पचास प्रतिशत से अधिक या सामान्य नियंत्रण वाले हैं, ऐसे सभी एफपीआई को विनिधानकर्ता समूह का हिस्सा समझा जाएगा। निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार होता है, जिसके अंतरगत शेयरधारकों या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी भी अन्य तरीके सम्मिलित हैं।

(iii) विहित सीमा के उल्लंघन में विनिधान करने वाले एफपीआई के पास उल्लंघन का कारण बनने वाले व्यवसाय के निपटान की तारीख से 5 व्यवसाय दिनों के भीतर अपने नियंत्रण को विभाजित करने का विकल्प होगा। यदि एफपीआई विभाजन नहीं चुनता है, तो ऐसे एफपीआई और उसके विनिधानक समूह द्वारा कंपनी में संपूर्ण विनिधान को विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान (एफडीआई) और एफपीआई के अधीन विनिधान के रूप में माना जाएगा और इसका विनिधानक समूह संबंधित कंपनी में आगे पोर्टफोलियो विनिधान नहीं करेगा। एफपीआई, अपने नामित संरक्षक के माध्यम से, उल्लंघन के कारण व्यवसाय के निपटान की तारीख से 7 व्यवसाय दिवसों के भीतर अपने अभिलेख में आवश्यक बदलावों को प्रभावित करने के लिए संबंधित कंपनियों के साथ-साथ निक्षेपागारों की सूचना लाएगा। विहित समय के भीतर एफडीआई के अधिग्रहण और बिक्री या रूपांतरण के

बीच की अवधि के लिए ऐसे अधिग्रहण के कारण उक्त संकलित या क्षेत्रीय सीमा का उल्लंघन, इन नियमों के अधीन अतिल्लंघन के रूप में गणना नहीं की जाएगी।

(iv) विदेशी सरकार अभिकरणों द्वारा विनिधान किसी भी कंपनी के विनिधानकर्ता समूह का हिस्सा होने पर, किसी एकल कंपनी में एफपीआई विनिधान के लिए 10 प्रतिशत की सीमा की गणना के उद्देश्य के लिए विदेशी सरकार या इसके संबंधित ईकायों द्वारा विनिधान के साथ जोड़ा जाएगा। तथापि, कतिपय विदेशी सरकारी अभिकरण और इससे संबंधित ईकायों को इस तरह जोड़े जाने की अपेक्षाओं और अन्य विनिधान स्थितियों से या तो किसी करार या संप्रभु सरकारों के साथ एक समझौते के माध्यम से या केंद्र सरकार के एक आदेश से छूट मिल सकती है।

(v) एक एफपीआई इस अनुसूची के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति और संकलित सीमा के अधीन रहते हुए, निजी प्रस्ताव या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक भारतीय कंपनी के साम्या लिखत को खरीद सकता है;

परन्तु यह कि -

(क) निजी प्रस्ताव के मामले में, जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत उस कीमत से कम नहीं है जिस पर निवासियों को शेयर जारी किए जाते हैं, और

(ख) निजी प्लेसमेंट द्वारा जारी करने के मामले में, कीमत - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के निबंधनानुसार उद्भूत कीमत, अथवा (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत रूप से लागू होने के अनुसार वाणिज्यिक बैंक या चार्टर्ड एकाउंटेंट या व्यापारत लागत लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से सनिकट आधार पर शेयरों के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार निकलने वाला उचित मूल्य, से कम नहीं होगा।

(vi) एक एफपीआई ऐसी शर्तों के अधीन जिसे समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुबंध किया जा सकता है, प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने के साथ-साथ संक्षिप्त बिक्री को अपना सकता है।

(vii) इस अनुसूची के अधीन किए गए विनिधान समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंध के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं और पार्श्व अपेक्षाओं के अधीन होंगी।

(ख) एफपीआई द्वारा साम्या लिखत के सिवाय प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री

(i) एक एफपीआई घरेलू म्यूचुअल फंड या श्रेणी III वैकल्पिक विनिधान निधि या अपतटीय निधि की इकाइयाँ को खरीद सकता है, जिसके लिए सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कोई आपत्ति जारी नहीं की जाती है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन संप्रत्यावर्तन आधार पर साम्या लिखत में 50 प्रतिशत से अधिक विनिधान करते हैं।

(ii) एफपीआई भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन संप्रत्यावर्तन के आधार पर आरईआईटीएस और इनवीटीएस की इकाइयाँ खरीद सकता है।

(2) बिक्री या परिपक्वता आय के प्रेषण के लिए भुगतान की विधि और अन्य परिचर शर्तों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची 3

(नियम 12(1) देखें)

संप्रत्यावर्तन के आधार पर अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा विनिधान**(1) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का क्रय या विक्रय**

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) संप्रत्यावर्तन के आधार पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों, भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रय या विक्रय हो सकता है, अर्थात् :--

(क) एनआरआई या ओसीआई इस उद्देश्य के लिए अधिकृत व्यवहारी द्वारा नामनिर्दिष्ट शाखा के माध्यम से साम्य लिखतों का क्रय और विक्रय ;

(ख) किसी एनआरआई या ओसीआई व्यक्ति द्वारा कुल धृति पूर्ण तरलता के आधार पर समादत्त साधारण पूंजी 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या प्रत्येक श्रेणी के डिबेंचर्स का समादत्त मूल्य 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और अधिमान शेयर या भारतीय कंपनी द्वारा निर्गत शेयर वारंट और सभी एनआरआई या ओसीआई द्वारा कुल धृति के साथ पूर्ण तरलता के आधार पर कुल समादत्त साधारण पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या प्रत्येक श्रेणी के डिबेंचरों या अधिमान शेयर या शेयर वारंट का समादत्त मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह तब जबकि भारतीय कंपनी के साधारण निकाय द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया गया हो, कुल अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत की जा सकेगी ।

(2) घरेलू पारस्परिक निधि के इकाई का क्रय या विक्रय

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) घरेलू पारस्परिक इकाई का क्रय या विक्रय कर सकता है, जो 50 प्रतिशत से अधिक निवेश साम्य में कर सकता है ।

(3) पब्लिक सेक्टर उद्यमों में शेयरों का क्रय या विक्रय

केंद्रीय सरकार द्वारा विनिधान करते हुए अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) बिना किसी सीमा के पब्लिक सेक्टर उद्यमों में शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकते हैं, परंतु निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना में प्रदान किए गए निबंधन और शर्तों के अनुसार क्रय होगा ।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अभिधान-

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शासित और प्रशासित करने के लिए एनआरआई और ओसीआई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अभिधान कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्ति पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिधान के लिए योग्य होंगे । वार्षिकी संचित बचत संप्रत्यावर्तित होंगे :

परंतु यह कि एनआरआई या ओसीआई समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसे लिखतों को, जो इन नियमों के खंड 12 के उपखंड (2) में यथाविहित व्युत्पन्न संविदा विनियम में उनके संव्यवहार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सम्पार्श्विक रूप में हों, प्रस्ताव कर सकते हैं ।

(5) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा ।

अनुसूची 4

(नियम 12(2) देखें)

एनआरआई या ओसीआई द्वारा गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर विनिधान

क. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर एलएलपी के पूंजी अभिदाय या इकाई या भारतीय कंपनी के लिखत साम्य का क्रय या विक्रय ।

(1) एलएलपी के पूंजी अभिदाय या इकाई या लिखत साम्या या संपरिवर्तनीय नोट का क्रय या विक्रय

(क) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई), जिसके अंतर्गत कंपनी, न्यास और निगमित भागीदारी फर्म, जो कि भारत के बाहर है और इसका नियंत्रण एनआरआई या ओसीआई द्वारा किया जाता हो, गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर, जैसी स्थिति हो, खरीदे या अभिदान किए जा सकते हैं, अर्थात् :-

- (i) बिना किसी सीमा के या तो स्टॉक एक्सचेंज पर या बाहर कंपनी द्वारा निकाला गया साम्या लिखत ;
- (ii) बिना किसी सीमा के या तो स्टॉक एक्सचेंज पर या बाहर विनिधान बाहक द्वारा निकाली गई इकाई ;
- (iii) बिना किसी सीमा के सीमित दायित्व भागीदारी पूंजी ।
- (iv) इन नियमों के अनुसार स्टार्ट अप कंपनी द्वारा संपरिवर्तनीय नोट ।

(ख) उपरोक्त उप-पैरा (1) के उप पैरा (क) पर विनिधान ब्यौरे को निवासियों द्वारा किए गए विनिधान के अनुसार घरेलू विनिधान समझा जाएगा ।

(2) घरेलू पारस्परिक निधि की इकाई का क्रय या विक्रय

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर घरेलू पारस्परिक निधि की इकाई द्वारा क्रय या विक्रय, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक साम्या में विनिहित किया जाएगा ।

(3) निश्चित कंपनियों के साम्या लिखतों के क्रय पर प्रतिषेध-

पैरा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एनआरआई या ओसीआई, जिसके अंतर्गत कंपनी भी है, एनआरआई या ओसीआई द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जाएगी और भारत के बाहर न्यास और निगमित भागीदारी फर्म में, इस अनुसूची के अधीन साम्या अभिदाय निधि कंपनी की इकाइयों या कृषि में लगी हुई कंपनी या बागान क्रियाकलाप या स्थावर संपदा कारबार या फार्म हाउस या विकास अधिकार के अंतरण में व्यवहार में कोई विनिधान नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : स्थावर संपदा व्यवहार का वही अर्थ होगा जो अनुसूची 1 के पैरा (3) के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है ।

(4) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा ।

(ख) फर्म या सांपत्तिक समुत्थान में विनिधान ।

(1) फर्म या सांपत्तिक समुत्थान में पूंजी का अभिदाय ।

एनआरआई या ओसीआई फर्म की पूंजी में अभिदाय के माध्यम से या इस प्रकार फर्म में उपबंधित भारत में सांपत्तिक समुत्थान या किसी भी प्रकार की कृषि या बागान क्रियाकलाप या प्रिंट मीडिया या स्थावर संपदा कारबार, सांपत्तिक समुत्थान में लगी हुई नहीं है ।

स्पष्टीकरण : स्थावर संपदा व्यवहार का वही अर्थ होगा, जो अनुसूची 1 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट है ।

(2) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा ।

अनुसूची 5

(नियम (14) देखें)

प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता को अनुमति

(1) दीर्घकालिक विनिधानकर्ता जैसे स्वायत्त धन निधि (एसडब्ल्यूएफएस), बहुपक्षीय अभिकरण, विन्यास निधि, बीमा निधि, पेंशन निधि और विदेशी केंद्रीय बैंक ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं ।

(2) “पात्र विदेशी इकाई (ईईई)” को 9 अक्टूबर, 2018 में एसईबीआई के परिपत्र में परिभाषित किया गया है और भारतीय राजकोषीय वस्तु बाजार के वास्तविक अभिदर्शन के लिए प्रतिभूति और भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढांचे के अनुसार घरेलू वस्तु विनिमय बाजार में भाग ले सकते हैं।

(3) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

अनुसूची 6

(नियम 6(ख) देखें)

सीमित दायित्व भागीदारी में विनिधान (एलएलपी)

(क) ऐसा व्यक्ति, जो भारत के बाहर का निवासी (पाकिस्तान या बांग्लादेश से भिन्न) या भारत से बाहर निगमित इकाई (पाकिस्तान या बांग्लादेश में निगमित इकाई से भिन्न), विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता (एफपीआई) के न होते हुए या विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता (एफवीसीआई), एलएलपी की पूंजी क्रियाशील सेक्टर या क्रियाकलाप अभिदाय कर सकते हैं, जहां पर विदेशी विनिधान स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत अनुज्ञात है और एफडीआई से जुड़ी शर्तों के पालन की कोई स्थिति नहीं है।

(ख) “लाभ अंश” के माध्यम से विनिधान, उपार्जन के पुनःविनिधान की श्रेणी में आएगा।

(ग) एलएलपी में विनिधान सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की शर्तों के अनुपालन के अध्वधीन है।

(घ) विदेशी निवेश वाली कंपनी, जो ऐसे सेक्टर में लगी हुई है जहां विदेशी विनिधान स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक अनुज्ञात है और एफडीआई से जुड़ी शर्तों के पालन की कोई स्थिति नहीं है, स्वचालित मार्ग के अध्वधीन एलएलपी में संपरिवर्तित हो सकती है।

(ङ.) विदेशी निवेश वाली कंपनी, जो ऐसे सेक्टर में लगी हुई है, जहां विदेशी विनिधान स्वचालित मार्ग के अध्वधीन 100 प्रतिशत तक अनुज्ञात है और एफडीआई से जुड़ी शर्तों के पालन की कोई स्थिति नहीं है, स्वचालित मार्ग के अध्वधीन कंपनी में परिवर्तित हो सकती है।

(च) एलएलपी में विनिधान या तो पूंजी अभिदाय के माध्यम से या लाभ अंश के अंतरण/अर्जन के माध्यम से, कोई मूल्यांकन सन्निधम के अनुसार उचित कीमत कम नहीं होनी चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार संव्यवहारों के अनुसार अंगीकृत और स्वीकार किया गया है (इसमें इस रूप में संदर्भित किया गया है “एलएलपी के लाभ अंश या उचित मूल्य पर पूंजी अभिदाय”) और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र या लागत लेखा व्यवसाय करने वाले या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से अनुमोदित मूल्यांकक।

(छ) पूंजी अभिदाय के अंतरण की दशा में या भारत में निवासी व्यक्ति से लाभ अंश भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को, एलएलपी के लाभ अंश या उचित मूल्य पर पूंजी अभिदाय पर अंतरण प्रतिफल से कम पर नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत के निवासी व्यक्ति से भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को लाभ अंश या पूंजी अभिदाय का अंतरण प्रतिफल के लिए होगा जो कि एलएलपी के लाभ अंश या पूंजी अभिदाय के उचित मूल्य से अधिक नहीं होगा।

(ज) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

अनुसूची 7

(नियम 16 देखें)

किसी विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता द्वारा विनिधान (एफवीसीआई)

(1) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाएं, कोई विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता (एफवीसीआई) निम्नलिखित का क्रय कर सकेगा :

- (i) इस अनुसूची के पैरा (4) में उल्लिखित किसी क्षेत्र में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियां और जो प्रतिभूतियां उक्त प्रतिभूतियों के जारी किए जाने के समय किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;
- (ii) किसी जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) या प्रवर्ग I अनुकल्पी विनिधान निधि (केट-I एआईएफ) की यूनिट या वीसीएफ या केट-I एआईएफ द्वारा स्थापित किसी स्कीम या किसी निधि की यूनिट;
- (iii) ऐसे क्षेत्र को ध्यान में लाए बिना जिसमें स्टार्टअप लगा हुआ है, किसी भारतीय स्टार्टअप द्वारा जारी इक्विटी शेयर या इक्विटी से संबद्ध लिखत या ऋण लिखत। स्टार्टअप की परिभाषा उद्योग और आंतरिक विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 364(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2018 के अनुसार होगी :

परंतु यदि विनिधान इक्विटी लिखतों में है तो क्षेत्रीय सीमा प्रविष्टि मार्ग और सहायक शर्तें लागू होंगी।

- (2) कोई एफवीसीआई या तो इन प्रतिभूतियों/लिखतों के जारीकर्ता से या ऐसी प्रतिभूतियां या लिखतें धारित करने वाली किसी व्यक्ति से ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियां या लिखतें क्रय कर सकेगा। एफवीसीआई भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगा।
- (3) एफवीसीआई, भारत में या भारत के बाहर किसी व्यक्ति से अंतरण द्वारा या विक्रय द्वारा या अन्यथा क्रय द्वारा या अन्यथा कोई ऐसी प्रतिभूति या लिखत ऐसी कीमत पर अर्जित कर सकेगा जिसमें विनिधान करने के लिए उसे अनुज्ञात किया गया है जो क्रेता और विक्रेता/जारीकर्ता को परस्पर स्वीकार्य है। एफवीसीआई, वीसीएफ या केट-I एआईएफ के परिसमापनों या वीसीएफ या केट-I एआईएफ के द्वारा स्थापित स्कीमों/निधियों के आगमों को भी प्राप्त कर सकेगा।
- (4) विक्रय/परिपक्वता आय के प्रेषण के लिए भुगतान और अन्य शर्तों का तरीका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) ऐसे क्षेत्रों की सूची जिसमें एफवीसीआई को विनिधान करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, निम्नलिखित है:-
- (क) जैव-प्रौद्योगिकी;
- (ख) हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी;
- (ग) सूक्ष्म प्रौद्योगिकी;
- (घ) बीज अनुसंधान और विकास;
- (ङ) औषधीय सेक्टर में नए रासायनिक अस्तित्वों के अनुसंधान और विकास।
- (च) दुग्ध उद्योग;
- (छ) पशुपालन उद्योग;
- (ज) जैव-ईंधन का उत्पादन;
- (झ) तीन हजार से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ होटल-सह-अभिसमय केन्द्र;
- (ञ) अवसंरचना क्षेत्र। “अवसंरचना क्षेत्र” शब्द का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित या यथा अद्यतन अधिसूचना फा.सं. 13/06/2009-आईएफ, तारीख 27 मार्च, 2012 द्वारा अनुमोदित अवसंरचना उपक्षेत्रों की सामंजस्यिक मास्टर सूची में दिया गया है।

अनुसूची 8

(नियम 6(ग) देखें)

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विनिधान संस्था में निवेश

- (1) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति (पाकिस्तान या बंगलादेश के नागरिक के अतिरिक्त) या भारत के बाहर निगमित अस्तित्व (पाकिस्तान या बंगलादेश में निगमित अस्तित्व के अलावा) विनिधान संस्था की इकाइयों में निवेश कर सकता है।

(2) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति जिसने इस अनुसूची के अनुसार यूनिट अधिग्रहीत की हैं, किसी भी रीति से विक्रय या अंतरण कर सकता है या भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इकाइयों का मोचन कर सकता है।

(3) एक विनिधान संस्था ऐसी निवेश माध्यम द्वारा अधिग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के किसी इक्विटी लिखत के स्वैप के प्रति भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को यूनिट जारी कर सकता है।

(4) भारतीय अस्तित्व में एक विनिधान द्वारा किए गए निवेश को भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता अस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना जाएगा यदि प्रायोजक या प्रबंधन या विनिधान प्रबंधक (i) भारतीय निवासी नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या (ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है।

परंतु यह कि प्रवर्तक अथवा प्रबंधक या निवेश प्रबंधक या कंपनी में एलएलपी से भिन्न रूप में उनके संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रवर्तक या प्रबंधन या निवेश प्रबंधन विदेशी स्वाधिकृत या नियंत्रित है या नहीं।

स्पष्टीकरण : एआईएफ का “नियंत्रण” “प्रवर्तक” और “प्रबंधक या निवेश प्रबंधक” के हाथों में होगा, जिसमें अन्य कोई भी सामान्यतया सम्मिलित नहीं होंगे। एआईएफ का “प्रवर्तक” और “प्रबंधक या निवेश प्रबंधक” व्यष्टि होने की स्थिति में ऐसी एआईएफ द्वारा डाउन स्ट्रीम निवेशकों घरेलू मानने के लिए “प्रवर्तक” और “प्रबंधक या निवेश प्रबंधक” निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(5) वैकल्पिक (आल्टरनेटिव) निवेश निधि प्रवर्ग-III जिसे कोई विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वह केवल उन प्रतिभूतियों या लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती है जिनमें अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन निवेश करने की अनुमति है।

(6) विक्रय या परिपक्वता आय के प्रेषण के लिए भुगतान का ढंग और अन्य अनुवर्ती शर्तों को रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची 9

(नियम 6(घ) देखें)

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निक्षेपागार रसीदों में विनिधान

(1) पात्र व्यक्ति(यों) द्वारा निक्षेपागार प्राप्तियों को निर्गमित करने के प्रयोजन के लिए पात्र लिखत का विदेशी निक्षेपागार को जारी या अंतरण करना-

(क) कोई भी प्रतिभूति या यूनिट जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन विनिधान करने की अनुमति है, निक्षेपागार रसीद स्कीम, 2014 (डीआर स्कीम, 2014) के निबंधनों के अनुसार निक्षेपागार प्राप्ति को जारी करने के लिए पात्र लिखत होगी।

(ख) कोई व्यक्ति डीआर स्कीम, 2014 और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निक्षेपागार प्राप्तियों को जारी करने के प्रयोजन के लिए विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी या अंतरण करने का पात्र होगा।

(ग) एक घरेलू अभिरक्षक डीआर स्कीम, 2014 के निबंधनों के अनुसार ऐसे खरीदी गई लिखत को निक्षेपागार प्राप्ति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति की ओर से पात्र लिखत खरीद सकता है।

(घ) पात्र लिखत जो कि विदेशी निक्षेपागार को जारी या अंतरित किए जा सकते हैं उनका समग्र जोड़ भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा पहले से रखे गए पात्र लिखत के साथ अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए ऐसे पात्र लिखतों की विदेशी धारिता सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ड) लागू नियमों के अधीन घरेलू निवेशकों का इस प्रकार के लिखत जारी अथवा अंतरित करने के तत्स्थानी माध्यम पर लागू कीमत से कम कीमत पर निक्षेपागार प्राप्ति जारी करने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी या अंतरित नहीं किया जाएगा।

(2) व्यावृत्ति-

यह समझा जाएगा कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993 के अधीन जारी निक्षेपागार रसीद डीआर स्कीम, 2014 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई है तथा इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

अनुसूची 10

(नियम 10(2) देखें)

भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन

(1) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन - भारत के बाहर निगमित कंपनियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन कर सकेगी :

(क) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण का निर्गमन) विनियमन, 2009 की अनुपालना में;

(ख) भारत में विद्यमान वित्तीय या बैंककारी कंपनियों द्वारा भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति के किसी शाखा या समनुषंगी के माध्यम से निर्गमन को क्षेत्रीय विनियामकों का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा ;

(ग) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का अंकित मूल्य केवल भारतीय रुपए में किया जाएगा;

(घ) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन के आगमों को ऐसे भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन करने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत भारत के बाहर संप्रत्यावर्तन किया जाएगा;

(2) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का क्रय या विक्रय.-

कोई एफपीआई या कोई एनआरआई या कोई ओसीआई निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का क्रय धारण या विक्रय कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) विक्रय/परिपक्वता आगमों के प्रेषण के लिए संदाय का ढंग और सहायक शर्तें वे होंगी जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ख) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का सीमित आदान प्रदान प्रतिमोचन, इस बाबत रिजर्व बैंक द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा;

(ग) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति का निर्गमन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले अंडरलाइन इक्विटी शेयरों में मोचनीय नहीं होगा;

(घ) निर्गमन वाली कंपनी के अंडरलाइन इक्विटी शेयर में मोचन या संपरिवर्तन विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या जारी करना) विनियम, 2004 की अनुपालना में होगा।

[फा. सं. 1/14/ई एम/2015]

आनन्द मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2019

S.O. 3732(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of the Foreign Exchange Management (Transfer of Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017 and the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property in India) Regulations, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (b) “asset reconstruction company” means a company registered with the Reserve Bank under section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);
- (c) “authorised bank” shall have the meaning assigned to it in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;
- (d) “authorised dealer” includes a person authorised under sub-section (1) of section 10 of the Act;
- (e) ‘convertible note’ means an instrument issued by a startup company acknowledging receipt of money initially as debt, repayable at the option of the holder, or which is convertible into such number of equity shares of that company, within a period not exceeding five years from the date of issue of the convertible note, upon occurrence of specified events as per other terms and conditions agreed and indicated in the instrument;
- (f) “debt instruments” means all instruments other than non-debt instruments defined in clause (ai) of this rule;
- (g) “depository receipt” means a foreign currency denominated instrument, whether listed on an international exchange or not, issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of eligible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with a domestic custodian and includes ‘global depository receipt’ as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (h) “domestic custodian” means a custodian of securities registered with the Securities and Exchange Board of India in accordance with the SEBI (Custodian of Securities) Regulations, 1996;
- (i) “domestic depository” means a custodian of securities registered with the Securities and Exchange Board of India and authorised by the issuing entity to issue Indian depository receipts;
- (j) “ESOP” means ‘Employees’ stock option’ as defined under the Companies Act, 2013 and issued under the regulations by the Securities and Exchange Board of India;
- (k) “equity instruments” means equity shares, convertible debentures, preference shares and share warrants issued by an Indian company;

Explanation:-

(i) Equity shares issued in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 shall include equity shares that have been partly paid. “Convertible debentures” means fully, compulsorily and mandatorily convertible debentures. “Preference shares” means fully, compulsorily and mandatorily convertible preference shares. Share Warrants are those issued by an Indian company in accordance with the regulations by the Securities and Exchange Board of India. Equity instruments can contain an optionality clause subject to a minimum lock-in period of one year or as prescribed for the specific sector, whichever is higher, but without any option or right to exit at an assured price.

(ii) Partly paid shares that have been issued to a person resident outside India shall be fully called-up within twelve months of such issue or as may be specified by the Reserve Bank from time to time. Twenty- five per cent of the total consideration amount (including share premium, if any) shall be received upfront.

(iii) In case of share warrants, at least twenty-five per cent of the consideration shall be received upfront and the balance amount within eighteen months of the issuance of share warrants.

(l) “escrow account” means an escrow account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

(m) “FDI linked performance conditions” means the sector specific conditions specified in Schedule I of these rules for companies receiving foreign investment;

(n) “FVCI” means a Foreign Venture Capital Investor incorporated and established outside India and registered with the Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000;

(o) “foreign central bank” means an institution or organisation or body corporate established in a country outside India and entrusted with the responsibility of carrying out central bank functions under the law for the time being in force in that country;

(p) “FCNR (B) account” means a Foreign Currency Non-Resident (Bank) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016;

(q) “FCCB” or “Foreign Currency Convertible Bond” means a bond issued under the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993;

(r) “FDI” or “Foreign Direct Investment” means investment through equity instruments by a person resident outside India in an unlisted Indian company; or in ten per cent or more of the post issue paid-up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company;

Note:- In case an existing investment by a person resident outside India in equity instruments of a listed Indian company falls to a level below ten percent, of the post issue paid-up equity capital on a fully diluted basis, the investment shall continue to be treated as FDI;

Explanation: - Fully diluted basis means the total number of shares that would be outstanding if all possible sources of conversion are exercised;

(s) “foreign investment” means any investment made by a person resident outside India on a repatriable basis in equity instruments of an Indian company or to the capital of a LLP;

Explanation: - If a declaration is made by a person as per the provisions of the Companies Act, 2013 about a beneficial interest being held by a person resident outside India, then even though the investment may be made by a resident Indian citizen, the same shall be counted as foreign investment;

Note:- A person resident outside India may hold foreign investment either as FDI or as FPI in any particular Indian company;

(t) “foreign portfolio investment” means any investment made by a person resident outside India through equity instruments where such investment is less than ten percent of the post issue paid-up share capital on a fully diluted basis

of a listed Indian company or less than ten percent of the paid-up value of each series of equity instrument of a listed Indian company;

(u) “FPI” or “Foreign Portfolio Investor” means a person registered in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014;

(v) “government approval” means the approval from the erstwhile Secretariat for Industrial Assistance (SIA), Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India and/ or the erstwhile Foreign Investment Promotion Board (FIPB) and/ or any of the ministry/ department of the Government of India, as the case may be;

(w) “group company” means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to (i) exercise twenty-six per cent, or more of voting rights in other enterprise; or (ii) appoint more than fifty per cent of members of Board of Directors in the other enterprise;

(x) “hybrid securities” means hybrid instruments such as optionally or partially convertible preference shares or debentures and other such instruments as specified by the Central Government from time to time, which can be issued by an Indian company or trust to a person resident outside India;

(y) “Indian company” means a company incorporated in India;

(z) “IDR” or “Indian Depository Receipts (IDRs)” means any instrument in the form of a depository receipt created by a domestic depository in India and authorised by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipts;

(aa) “Indian entity” shall mean an Indian company or a LLP ;

(ab) “investing company” means an Indian company holding only investments in other Indian company/ies directly or indirectly, other than for trading of such holdings or securities;

(ac) “investment” means to subscribe, acquire, hold or transfer any security or unit issued by a person resident in India;

Explanation:-

(i) Investment shall include to acquire, hold or transfer depository receipts issued outside India, the underlying of which is a security issued by a person resident in India;

(ii) for the purpose of LLP, investment shall mean capital contribution or acquisition or transfer of profit shares;

(ad) “investment on repatriation basis” means an investment, sale or maturity proceeds of which are net of taxes, eligible to be repatriated out of India, and the expression “investment on non-repatriation basis”, shall be construed accordingly;

(ae) “investment vehicle” means an entity registered and regulated under the regulations framed by the Securities and Exchange Board of India or any other authority designated for that purpose and shall include, namely:- (i) Real Estate Investment Trusts (REITs) governed by the Securities and Exchange Board of India (REITs) Regulations, 2014;(ii) Infrastructure Investment Trusts (InvIts) governed by the Securities and Exchange Board of India (InvIts) Regulations, 2014 (iii) Alternative Investment Funds (AIFs) governed by the Securities and Exchange Board of India (AIFs) Regulations, 2012 ;and (iv) mutual funds which invest more than fifty percent in equity governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;

(af) “LLP” means a limited liability partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(ag) “listed Indian company” means an Indian company which has any of its equity instruments or debt instruments listed on a recognised stock exchange in India and the expression “unlisted Indian company” shall be construed accordingly;

(ah) “manufacture”, with its grammatical variations, means a change in a non-living physical object or article or thing:-

(i) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (ii) bringing into existence of a new and distinct object or article or thing with a different chemical composition or integral structure;

(ai) “non-debt instruments” means the following instruments; namely :-

(i) all investments in equity instruments in incorporated entities: public, private, listed and unlisted;

(ii) capital participation in LLP;

(iii) all instruments of investment recognised in the FDI policy notified from time to time;

(iv) investment in units of Alternative Investment Funds (AIFs), Real Estate Investment Trust (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvIts);

(v) investment in units of mutual funds or Exchange-Traded Fund (ETFs) which invest more than fifty per cent in equity;

(vi) junior-most layer (i.e. equity tranche) of securitisation structure;

(vii) acquisition, sale or dealing directly in immovable property;

(viii) contribution to trusts; and

(ix) depository receipts issued against equity instruments;

(aj) “NRI” or “Non-Resident Indian” means an individual resident outside India who is a citizen of India;

(ak) “OCI” or “Overseas Citizen of India” means an individual resident outside India who is registered as an Overseas Citizen of India Cardholder under section 7A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

(al) “resident Indian citizen” means an individual who is a person resident in India and is a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 ;

(am) “sectoral cap” means the maximum investment including both foreign investment on a repatriation basis by persons resident outside India in equity and debt instruments of a company or the capital of a LLP, as the case may be, and indirect foreign investment, unless provided otherwise. This shall be the composite limit for the Indian investee entity.

Explanation:

(i) FCCBs and DRs having underlying of instruments being in the nature of debt shall not be included in the sectoral cap;

(ii) any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned under the sectoral cap;

(an) “startup company” means a private company incorporated under the Companies Act, 2013 and identified under G.S.R. 180(E), dated the 17th February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry;

(ao) “sweat equity shares” means sweat equity shares defined under the Companies Act, 2013;

(ap) “transferable development rights (TDR)” shall have the meaning assigned to it in the regulations made under sub-section (2) of section 6 of the Act;

(aq) “unit” means a beneficial interest of an investor in an investment vehicle;

(ar) “venture capital fund” means a fund established in the form of a trust, a company including a body corporate and registered under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act, rules and regulations.

CHAPTER II

GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO ALL INVESTORS

3. Restriction on investment in India by a person resident outside India.- Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made thereunder, no person resident outside India shall make any investment in India :

Provided that an investment made in accordance with the Act or the rules or the regulations made thereunder and held on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been made under these rules and shall accordingly be governed by these rules:

Provided further that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons and in consultation with the Central Government, permit a person resident outside India to make any investment in India subject to such conditions as may be considered necessary.

4. Restriction on receiving investment.- Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made thereunder, an Indian entity or an investment vehicle, or a venture capital fund or a firm or an association of persons or a proprietary concern shall not receive any investment in India from a person resident outside India or record such investment in its books:

Provided that the Reserve Bank may, on an application made to it and for sufficient reasons and in consultation with the Central Government, permit an Indian entity or an investment vehicle, or a venture capital fund or a firm or an association of persons or a proprietary concern to receive any investment in India from a person resident outside India or to record such investment subject to such conditions as may be considered necessary.

5. Permission for making investment by a person resident outside India.- Unless otherwise specified in these rules or the Schedules, any investment made by a person resident outside India shall be subject to the entry routes, sectoral caps or the investment limits, as the case may be, and the attendant conditionalities for such investment as laid down in these rules.

CHAPTER III

INVESTMENT BY PERSON RESIDENT OUTSIDE INDIA

6. Investments by person resident outside India: - A person resident outside India may make investment as under:-

(a) may subscribe, purchase or sell equity instruments of an Indian company in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule I:

Provided that a person who is a citizen of Bangladesh or Pakistan or is an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan cannot purchase equity instruments without the prior government approval:

Provided further that a citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan cannot invest in defence, space, atomic energy and sectors or activities prohibited for foreign investment even through the government route.

Note: Issue or transfer of “participating interest or right” in oil fields by Indian companies to a person resident outside India would be treated as foreign investment and shall comply with the conditions laid down in Schedule I.

(b) A person resident outside India, other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan, may invest either by way of capital contribution or by way of acquisition or transfer of profit shares of an LLP, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule VI.

(c) A person resident outside India, other than a citizen of Bangladesh or Pakistan or an entity incorporated in Bangladesh or Pakistan, may invest in units of an investment vehicle, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule VIII.

(d) A person resident outside India may invest in the depository receipts (DRs) issued by foreign depositories against eligible securities in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule IX.

7. Acquisition through rights issue or bonus issue.-A person resident outside India and having investment in an Indian company may make investment in equity instruments (other than share warrants) issued by such company as a rights issue or a bonus issue, provided that,-

(a) the offer made by the Indian company is in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013;

(b) such issue shall not result in a breach of the sectoral cap applicable to the company;

- (c) the share holding on the basis of which the rights issue or the bonus issue has been made must have been acquired and held as per the provisions of these rules;
- (d) in case of a listed Indian company, the rights issue to persons resident outside India shall be at a price determined by the company;
- (e) in case of an unlisted Indian company, the rights issue to persons resident outside India shall not be at a price less than the price offered to persons resident in India;
- (f) such investment made through rights issue or bonus issue shall be subject to the conditions as are applicable at the time of such issue;
- (g) the mode of payment and attendant conditions for such transactions shall be specified by the Reserve Bank.
- (h). an individual who is a person resident outside India exercising a right which was issued when he or she was a person resident in India shall hold the equity instruments (other than share warrants) so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis.

Explanation: The above conditions shall also be applicable in case a person resident outside India makes investment in equity instruments (other than share warrants) issued by an Indian company as a rights issue that are renounced by the person to whom it was offered.

8. Issue of Employees Stock Options and sweat equity shares to persons resident outside India.-An Indian company may issue “employees’ stock option” and/ or “sweat equity shares” to its employees or directors or employees or directors of its holding company or joint venture or wholly owned overseas subsidiary or subsidiaries who are resident outside India:

Provided that. -

- (a) the scheme has been drawn either in terms of regulations issued under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as the case may be;
- (b) the “employee’s stock option” or “sweat equity shares” so issued under the rules or regulations are in compliance with the sectoral cap applicable to the said company;
- (c) the issue of “employee’s stock option” or “sweat equity shares” in a company where investment by a person resident outside India is under the approval route shall require prior government approval and issue of “employee’s stock option” or “sweat equity shares” to a citizen of Bangladesh or Pakistan shall require prior government approval :

Provided further that an individual who is a person resident outside India exercising an option which was issued when he or she was a person resident in India shall hold the shares so acquired on exercising the option on a non-repatriation basis.

9. Transfer of equity instruments of an Indian company by or to a person resident outside India.- A person resident outside India holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules or a person resident in India, may transfer such equity instruments or units so held by him in compliance with the conditions, if any, specified in the Schedules of these rules and subject to the terms and conditions prescribed hereunder :

- (1) a person resident outside India, not being a non-resident Indian or an overseas citizen of India or an erstwhile overseas corporate body may transfer by way of sale or gift the equity instruments of an Indian company or units held by him to any person resident outside India;

Explanation: It shall also include transfer of equity instruments of an Indian company pursuant to liquidation, merger, de-merger and amalgamation of entities or companies incorporated or registered outside India.

Provided that.-

- (i) prior government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires government approval;

(ii) where the equity instruments are held by the person resident outside India on a non-repatriable basis, the transfer by way of sale where the transferee intends to hold the equity instruments on a repatriable basis, shall be in compliance with and subject to the adherence to entry routes, sectoral caps or investment limits, as specified in these rules and attendant conditionalities for such investment, pricing guidelines, documentation and reporting requirements for such transfers, as may be specified by the Reserve Bank from time to time;

(2) A person resident outside India, holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules may transfer the same to a person resident in India by way of sale or gift or may sell the same on a recognised stock exchange in India in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India :

Provided that. -

(i) the transfer by way of sale shall be in compliance with and subject to the adherence to pricing guidelines, documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by the Reserve Bank in consultation with the Central Government from time to time;

(ii) where the equity instruments are held by the person resident outside India on a non-repatriable basis, conditions at item (i) of the proviso shall not apply.

(3) A person resident in India holding equity instruments of an Indian company or units, may transfer the same to a person resident outside India by way of sale, subject to the adherence to entry routes, sectoral caps or investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions as applicable for investment by a person resident outside India and documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by the Reserve Bank in consultation with the Central Government from time to time;

(4) A person resident in India holding equity instruments or units of an Indian company on a non- repatriation basis may transfer the same to a person resident outside India by way of gift with the prior approval of the Reserve Bank, in the manner prescribed, and subject to the following conditions, namely:-

(i) the donee is eligible to hold such a security under the Schedules of these Rules;

(ii) the gift does not exceed five percent of the paid up capital of the Indian company or each series of debentures or each mutual fund scheme;

Explanation: The five percent of the paid up capital of the Indian company or each series of debentures or each mutual fund scheme will be on cumulative basis by a single person to another single person.

(iii) the applicable sectoral cap in the Indian company is not breached;

(iv) the donor and the donee shall be “relatives” within the meaning in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(v) the value of security to be transferred by the donor together with any security transferred to any person residing outside India as gift during the financial year does not exceed the rupee equivalent of fifty-thousand US Dollars;

(vi) such other conditions as considered necessary in public interest by the Central Government.

(5) A person resident outside India holding equity instruments of an Indian company containing an optionality clause in accordance with these rules and exercising the option or right, may exit without any assured return, subject to the pricing guidelines prescribed in these rules and a minimum lock-in period of one year or minimum lock-in period as prescribed in these rules, whichever is higher.

(6) In case of transfer of equity instruments between a person resident in India and a person resident outside India, an amount not exceeding twenty five percent of the total consideration,-

(i) may be paid by the buyer on a deferred basis within a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement; or

(ii) may be settled through an escrow arrangement between the buyer and the seller for a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement; or

(iii) may be indemnified by the seller for a period not exceeding eighteen months from the date of the payment of the full consideration, if the total consideration has been paid by the buyer to the seller :

Provided that the total consideration finally paid for the shares shall be compliant with the applicable pricing guidelines.

(7) In case of transfer of equity instruments between a person resident in India and a person resident outside India, a person resident outside India may open an escrow account in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 and such escrow account may be funded by way of inward remittance through banking channels and/ or by way of guarantee issued by an authorised dealer bank, subject to the terms and conditions as specified in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000.

(8) The transfer of equity instruments of an Indian company or units of an investment vehicle by way of pledge is subject to the following terms and conditions, namely :-

(i) any person being a promoter of a company registered in India (borrowing company), which has raised external commercial borrowing in compliance with the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 may pledge the shares of the borrowing company or that of its associate resident companies for the purpose of securing the external commercial borrowing raised by the borrowing company subject to the following further conditions, namely :-

(A) the period of such pledge shall be co-terminus with the maturity of the underlying external commercial borrowing;

(B) in case of invocation of pledge, transfer shall be made in accordance with these rules and directions issued by the Reserve Bank;

(C) the statutory auditor has certified that the borrowing company shall utilise or has utilised the proceeds of the external commercial borrowing for the permitted end-use only;

(D) no person shall pledge any such share unless a no-objection has been obtained from an authorised dealer bank that the above conditions have been complied with;

(ii) any person resident outside India holding equity instruments in an Indian company or units of an investment vehicle may pledge the equity instruments or units, as the case may be,-

(A) in favour of a bank in India to secure the credit facilities being extended to such Indian company for *bona fide* purposes,

(B) in favour of an overseas bank to secure the credit facilities being extended to such person or a person resident outside India who is the promoter of such Indian company or the overseas group company of such Indian company,

(C) in favour of a non-banking financial company registered with the Reserve Bank to secure the credit facilities being extended to such Indian company for *bona fide* purposes,

(D) subject to the authorised dealer bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank in this regard;

(iii) in case of invocation of pledge, transfer of equity instruments of an Indian company or units shall be in accordance with entry routes, sectoral caps or investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions at the time of creation of pledge.

CHAPTER IV

INVESTMENT BY FOREIGN PORTFOLIO INVESTOR (FPI)

10. Investment by FPI - A FPI may make investments as under:-

(1) A FPI may purchase or sell equity instruments of an Indian company which is listed or to be listed on a recognised stock exchange in India, and/or may purchase or sell securities other than equity instruments, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule II.

Note - A FPI may trade or invest in all exchange traded derivative contracts approved by Securities and Exchange Board of India from time to time subject to the limits specified by the Securities and Exchange Board of India and the conditions prescribed in Schedule II.

(2) A FPI may purchase, hold, or sell Indian Depository Receipts (IDRs) of companies resident outside India and issued in the Indian capital market, in the manner and subject to the terms and conditions as prescribed in Schedule X.

11. Transfer of equity instruments of an Indian company by FPI - A FPI holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules, may transfer such equity instruments or units so held by him in compliance with the conditions, if any, prescribed in the respective Schedules of these rules and subject to the terms and conditions prescribed hereunder and as specified by the Securities and Exchange Board of India;

(1) A FPI may transfer by way of sale or gift the equity instruments of an Indian company or units held by him to any person resident outside India;

Explanation: For the purposes of this rule transfer shall also include transfer of equity instruments of an Indian company pursuant to liquidation, merger, de-merger and amalgamation of entities or companies incorporated or registered outside India.

Provided that,-

(i) prior Government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires the Government approval.

(ii) where the acquisition of equity instruments by FPI made under Schedule II of these rules has resulted in a breach of the applicable aggregate FPI limits or sectoral limits, the provisions of sub-paragraph a (iii) of paragraph (1) of Schedule II shall apply.

CHAPTER V

INVESTMENT BY NON-RESIDENT INDIAN OR AN OVERSEAS CITIZEN OF INDIA

12. Investment by NRI or OCI - A NRI or an OCI may make investments as under:-

(1) A NRI or an OCI may, on repatriation basis, purchase or sell equity instruments of a listed Indian company and other securities in the manner and subject to the terms and conditions prescribed in Schedule III.

(2) A NRI or an OCI may, on non-repatriation basis, purchase or sell equity instruments of an Indian company or other securities or contribute to the capital of a LLP or a firm or proprietary concern, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule IV.

Note: A NRI or an OCI may trade or invest in all exchange traded derivative contracts approved by the Securities and Exchange Board of India from time to time subject to the limits specified by Securities and Exchange Board of India and conditions prescribed in Schedule III.

(3) A NRI or an OCI may purchase, hold, or sell Indian Depository Receipts (IDRs) of companies resident outside India and issued in the Indian capital market, in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule X.

13. Transfer of equity instruments by NRI or OCI - A NRI or an OCI holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules may transfer such equity instruments or units so held by him in compliance with the conditions, if any, prescribed in the Schedules of these rules and subject to the terms and conditions prescribed hereunder :

(1) A NRI or an OCI holding equity instruments of an Indian company or units on repatriation basis may transfer the same by way of sale or gift to any person resident outside India :

Provided that,-

(i) prior Government approval shall be obtained for any transfer in case the company is engaged in a sector which requires Government approval;

(ii) where the acquisition of equity instruments by an NRI or an OCI under the provisions of Schedule III of these rules has resulted in a breach of the applicable aggregate NRI or OCI limit or sectoral limits, the NRI or the OCI shall sell such equity instruments to a person resident in India eligible to hold such instruments within the time stipulated by the Reserve Bank of India in consultation with the Central Government and the breach of the said aggregate or sectoral limit on account of such acquisition for the period between the acquisition and sale, provided the sale is within the prescribed time, shall not be reckoned as a contravention under these rules.

(2) A NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule IV of these rules, holding equity instruments of an Indian company or units on a non-repatriation basis, may transfer the same to a person resident outside India by way of sale, subject to the adherence to entry routes, sectoral caps or investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions as applicable for investment by a person resident outside India and documentation and reporting requirements for such transfers as may be specified by the Reserve Bank in consultation with the Central Government from time to time;

Provided that the entry routes, sectoral caps or investment limits, pricing guidelines and other attendant conditions shall not apply in case the transfer is to an NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule IV of these rules acquiring such investment.

(3) A NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule IV of these rules holding equity instruments or units of an Indian company on a non-repatriation basis may transfer the same to a person resident outside India by way of gift with the prior approval of the Reserve Bank of India, in the manner prescribed, and subject to the following conditions, namely :-

(i) the donee is eligible to hold such a security under relevant Schedules of these rules;

(ii) the gift does not exceed five percent of the paid up capital of the Indian company or each mutual fund scheme;

Explanation: The five percent shall be on cumulative basis by a single person to another single person.

(iii) the applicable sectoral cap in the Indian company is not breached;

(iv) the donor and the donee shall be “relatives” within the meaning in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(v) the value of security to be transferred by the donor together with any security transferred to any person residing outside India as gift during the financial year does not exceed the rupee equivalent of USD 50000;

(vi) such other conditions as may be considered necessary in public interest by the Central Government.

(4) A NRI or an OCI or an eligible investor specified under Schedule IV of these rules holding equity instruments of an Indian company or units on a non-repatriation basis, may transfer the same by way of gift to an NRI or an OCI or an eligible investor under Schedule IV of these rules who shall hold it on a non-repatriable basis.

(5) An erstwhile OCB may transfer equity instruments subject to the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time in this regard.

Explanation: “Overseas Corporate Body (OCB)” means an entity de-recognised through Foreign Exchange Management [Withdrawal of General Permission to Overseas Corporate Bodies (OCBs)] Regulations, 2003.

CHAPTER VI

INVESTMENT BY OTHER NON-RESIDENT INVESTORS

14. Investment in securities by other non-resident investors - The other non-resident investors may make investments in securities in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule V.

15. Transfer of securities by other non-resident investors :- The other non-resident investors, holding securities in accordance with these rules, may transfer the securities subject to such terms and conditions prescribed in Schedule V and as specified by the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank.

CHAPTER VII

INVESTMENT BY FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTOR

16. Investment by FVCI - A Foreign Venture Capital Investor (FVCI) may make investments in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule VII.

17. Transfer of equity instruments of an Indian company by or to a FVCI - A FVCI holding equity instruments of an Indian company or units in accordance with these rules or a person resident in India, may transfer such equity instruments or units so held by him in compliance with the conditions, if any, prescribed in Schedule VII of these rules and as specified by the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank.

CHAPTER VIII

GENERAL PROVISIONS

18. Issue of Convertible Notes by an Indian startup company .-(1) A person resident outside India (other than an individual who is citizen of Pakistan or Bangladesh or an entity which is registered or incorporated in Pakistan or Bangladesh), may purchase convertible notes issued by an Indian startup company for an amount of twenty five lakh rupees or more in a single tranche.

(2) A startup company, engaged in a sector where investment by a person resident outside India requires Government approval, may issue convertible notes to a person resident outside India only with such approval. Further, issue of equity shares against such convertible notes shall be in compliance with the entry route, sectoral caps, pricing guidelines and other attendant conditions for foreign investment.

(3) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

(4) A NRI or an OCI may acquire convertible notes on non-repatriation basis in accordance with Schedule IV of these rules.

(5) A person resident outside India may acquire or transfer by way of sale, convertible notes, from or to, a person resident in or outside India, provided the transfer takes place in accordance with the entry routes and pricing guidelines as prescribed for capital instruments.

19. Merger or demerger or amalgamation of Indian companies.- (1) Where a scheme of merger or amalgamation of two or more Indian companies or a reconstruction by way of demerger or otherwise of an Indian company, has been approved by the National Company Law Tribunal (NCLT) or competent authority, the transferee company or the new company, as the case may be, may issue equity instruments to the existing holders of the transferor company resident outside India, subject to the following conditions, namely:-

(a) the transfer or issue is in compliance with the entry routes, sectoral caps or investment limits, as the case may be, and the attendant conditionalities of investment by a person resident outside India :

Provided that where the percentage is likely to breach the sectoral caps or the attendant conditionalities, the transferor company or the transferee or new company may obtain necessary approval from the Central Government.

(b) the transferor company or the transferee company or the new company shall not engage in any sector prohibited for investment by a person resident outside India.

(2) where a scheme of merger or amalgamation of two or more Indian companies or a reconstruction by way of demerger or otherwise of an Indian company where any of the companies involved is listed on a recognised stock exchange in India, then the scheme of arrangement shall be in compliance with the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

20. Reporting requirements - The reporting requirements for any investment in India by a person resident in India shall be as specified by the Reserve Bank.

21. Pricing guidelines - (1) The pricing guidelines specified in these rules shall not be applicable for any transfer by way of sale done in accordance with Securities and Exchange Board of India regulations where the pricing is specified by Securities and Exchange Board of India.

(2) Unless otherwise prescribed in these rules, the price of equity instruments of an Indian company, -

(a) issued by such company to a person resident outside India shall not be less than :

(i) the price worked out in accordance with the Securities and Exchange Board of India guidelines in case of a listed Indian company or in case of a company going through a delisting process as per the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

(ii) the valuation of equity instruments done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation on an arm's length basis duly certified by a Chartered Accountant or a Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India or a practising Cost Accountant, in case of an unlisted Indian Company.

(b) transferred from a person resident in India to a person resident outside India shall not be less than,-

(i) the price worked out in accordance with the Securities and Exchange Board of India guidelines in case of a listed Indian company;

(ii) the price at which a preferential allotment of shares can be made under the Securities and Exchange Board of India Guidelines, as applicable, in case of a listed Indian company or in case of a company going through a delisting process as per the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

(iii) the valuation of equity instruments done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation on an arm's length basis duly certified by a Chartered Accountant or a Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India or a practising Cost Accountant, in case of an unlisted Indian company.

(c) transferred by a person resident outside India to a person resident in India shall not exceed :

(i) the price worked out in accordance with the relevant Securities and Exchange Board of India guidelines in case of a listed Indian company;

(ii) the price at which a preferential allotment of shares can be made under the Securities and Exchange Board of India Guidelines, as applicable, in case of a listed Indian company or in case of a company going through a delisting process as per the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 :

Provided that the price is determined for such duration as specified in the Securities and Exchange Board of India Guidelines, preceding the relevant date, which shall be the date of purchase or sale of shares;

(iii) the valuation of equity instruments done as per any internationally accepted pricing methodology for valuation on an arm's length basis duly certified by a Chartered Accountant or a Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India or a practising Cost Accountant, in case of an unlisted Indian company.

Explanation: The guiding principle shall be that the person resident outside India is not guaranteed any assured exit price at the time of making such investment or agreement and shall exit at the price prevailing at the time of exit.

(iv) in case of swap of equity instruments, subject to the condition that irrespective of the amount, valuation involved in the swap arrangement shall have to be made by a Merchant Banker registered with the Securities and Exchange Board of India or an investment banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the host country.

(v) where shares in an Indian company are issued to a person resident outside India in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, by way of subscription to Memorandum of Association, such investments shall be made at face value subject to entry route and sectoral caps.

(vi) in case of share warrants, their pricing and the price or conversion formula shall be determined upfront:

Provided that these pricing guidelines shall not be applicable for investment in equity instruments by a person resident outside India on a non-repatriation basis.

22. Taxes and remittances of sale proceeds - (1) Taxes - All transaction under these rules shall be undertaken through banking channels in India and subject to the payment of applicable taxes and other duties or levies in India.

(2) Remittance of sale proceeds : (a) No remittance of sale proceeds of an Indian security held by a person resident outside India shall be made otherwise than in accordance with these rules , the conditions prescribed in the relevant Schedule and as specified by the Reserve Bank.

(b) An authorised dealer may allow the remittance of sale proceeds of a security (net of applicable taxes) to the seller of shares resident outside India :

Provided that -

- (i) the security was held by the seller on repatriation basis; and
- (ii) either the security has been sold in compliance with the pricing guidelines or the Reserve Bank's approval has been obtained in other cases for sale of the security and remittance of the sale proceeds thereof.

23. Downstream investment - (1) Indian entity which has received indirect foreign investment shall comply with the entry route, sectoral caps, pricing guidelines and other attendant conditions as applicable for foreign investment.

Explanation: Downstream investment by an LLP not owned and not controlled by resident Indian citizens or owned or controlled by persons resident outside India is allowed in an Indian company operating in sectors where foreign investment up to one hundred percent is permitted under automatic route and there are no FDI linked performance conditions.

(2) With effect from the 31st day of July, 2012, downstream investment(s) made under Corporate Debt Restructuring (CDR), or other loan restructuring mechanism, or in trading book, or for acquisition of shares due to defaults in loans, by a banking company, as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) incorporated in India, which is not owned and not controlled by resident Indian citizens or owned or controlled by persons resident outside India, shall not count towards indirect foreign investment, however, their strategic downstream investment shall be counted towards indirect foreign investment for the company in which such investment is being made.

(3) Guidelines for calculating total foreign investment in Indian companies are as follows , -

(a) any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned for total foreign investment;

(b) FCCBs and DRs having underlying of instruments in the nature of debt shall not be reckoned for total foreign investment;

(c) the methodology for calculating total foreign investment shall apply at every stage of investment in Indian companies and thus in each and every Indian company;

(d) for the purpose of downstream investment, the portfolio investment held as on 31st March of the previous financial year in the Indian company making the downstream investment shall be considered for computing its total foreign investment;

(e) indirect foreign investment received by a wholly owned subsidiary of an Indian company shall be limited to the total foreign investment received by the company making the downstream investment.

(4) Downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity shall be subject to the following conditions, namely :-

(a) downstream investment shall have the approval of the Board of Directors as also a shareholders' Agreement, if any;

(b) for the purpose of downstream investment, the Indian entity making the downstream investment shall bring in requisite funds from abroad and not use funds borrowed in the domestic markets and the downstream investments may be made through internal accruals and for this purpose, internal accruals shall mean profits transferred to reserve account after payment of taxes. Further raising of debt and its utilisation shall be in compliance with the Act, rules or regulations made thereunder.

(5) Equity instrument of an Indian company held by another Indian company which has received foreign investment and is not owned and not controlled by resident Indian citizens or is owned or controlled by persons resident outside India may be transferred to-

- (a) a person resident outside India, subject to the reporting requirements as specified by the Reserve Bank.
 - (b) a person resident in India subject to adherence to pricing guidelines;
 - (c) an Indian company which has received foreign investment and is not owned and not controlled by resident Indian citizens or owned or controlled by persons resident outside India.
- (6) The first level Indian company making downstream investment shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of these rules for the downstream investment made by it at second level and so on and so forth and such first level company shall obtain a certificate to this effect from its statutory auditor on an annual basis and such compliance of these rules shall be mentioned in the Director's report in the Annual Report of the Indian company. In case statutory auditor has given a qualified report, the same shall be immediately brought to the notice of the regional office of the Reserve Bank in whose jurisdiction the Registered Office of the company is located and shall also obtain acknowledgement from the Registered Office.
- (7) The provisions (5) and (6) of rule 23 shall apply *mutatis mutandis* to a LLP.

Note: Downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity made in accordance with the guidelines in existence prior to the 13th February, 2009 shall not require any modification to conform to these rules and all such investments, after the said date, shall come under the ambit of these rules. Downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity made between the 13th February, 2009 and 21st June 2013 which is not in conformity with these rules shall have to be intimated to the Reserve Bank by 3rd October, 2013 for treating such cases as compliant with these Rules.

Explanation.- For the purposes of this rule,-

- (a) "ownership of an Indian company" shall mean beneficial holding of more than fifty percent of the equity instruments of such company and "ownership of an LLP" shall mean contribution of more than fifty percent in its capital and having majority profit share;
- (b) "company owned by resident Indian citizens" shall mean an Indian company where ownership is vested in resident Indian citizens and/ or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens and "LLP owned by resident Indian citizens" shall mean an LLP where ownership is vested in resident Indian citizens and/ or Indian entities, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens;
- (c) "company owned by persons resident outside India" shall mean an Indian company that is owned by persons resident outside India and "LLP owned by persons resident outside India" shall mean an LLP that is owned by persons resident outside India;
- (d) "control" shall mean the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreement or voting agreement and for the purpose of LLP, "control" shall mean the right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of an LLP;
- (e) "company controlled by resident Indian citizens" means an Indian company, the control of which is vested in resident Indian citizens and/ or Indian companies which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens and "LLP controlled by resident Indian citizens" shall mean an LLP, the control of which is vested in resident Indian citizens and/ or Indian entities, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens;
- (f) "company controlled by persons resident outside India" shall mean an Indian company that is controlled by persons resident outside India and "LLP controlled by persons resident outside India" shall mean an LLP that is controlled by persons resident outside India;

- (g) “downstream investment” shall mean investment made by an Indian entity which has total foreign investment in it, or an Investment Vehicle in the capital instruments or the capital, as the case may be, of another Indian entity;
- (h) “holding company” shall have the same meaning as assigned to it under Companies Act, 2013;
- (i) “indirect foreign investment” means downstream investment received by an Indian entity from,-
- (A) another Indian entity (IE) which has received foreign investment and (i) the IE is not owned and not controlled by resident Indian citizens or (ii) is owned or controlled by persons resident outside India; or
- (B) an investment vehicle whose sponsor or manager or investment manager (i) is not owned and not controlled by resident Indian citizens or (ii) is owned or controlled by persons resident outside India :
- Provided that no person resident in India other than an Indian entity can receive Indirect Foreign Investment;
- (j) “total foreign investment” means the total of foreign investment and indirect foreign investment and the same will be reckoned on a fully diluted basis;
- (k) “strategic downstream investment” means investment by banking companies incorporated in India in their subsidiaries, joint ventures and associates.

CHAPTER IX

ACQUISITION AND TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY IN INDIA

24. Acquisition and transfer of property in India by a NRI or an OCI - A NRI or an OCI may -

- (a) acquire immovable property in India other than an agricultural land or farm house or plantation property:

Provided that the consideration, if any, for transfer, shall be made out of :

- (i) funds received in India through banking channels by way of inward remittance from any place outside India ; or
- (ii) funds held in any non-resident account maintained in accordance with the provisions of the Act, rules or regulations framed thereunder:

Provided further that no payment for any transfer of immovable property shall be made either by traveller’s cheque or by foreign currency notes or by any other mode other than those specifically permitted under this clause;

- (b) acquire any immovable property in India other than agricultural land or farm house or plantation property by way of gift from a person resident in India or from an NRI or from an OCI, who in any case is a relative as defined in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013;
- (c) acquire any immovable property in India by way of inheritance from a person resident outside India who had acquired such property:-
- (i) in accordance with the provisions of the foreign exchange law in force at the time of acquisition by him or the provisions of these rules ;or
- (ii) from a person resident in India;
- (d) transfer any immovable property in India to a person resident in India;
- (e) transfer any immovable property other than agricultural land or farm house or plantation property to an NRI or an OCI.

25. Joint acquisition by the spouse of a NRI or an OCI : A person resident outside India, not being an NRI or an OCI, who is a spouse of an NRI or an OCI may acquire one immovable property (other than agricultural land or farm house or plantation property), jointly with his or her NRI or OCI spouse :

Provided that -

- (a) consideration for transfer, shall be made out of -
- (i) funds received in India through banking channels by way of inward remittance from any place outside India; or

(ii) funds held in any non-resident account maintained in accordance with the provisions of the Act and the regulations made by the Reserve Bank;

(b) no payment for any transfer of immovable property shall be made either by traveller's cheque or by foreign currency notes or by any other mode other than those specifically permitted under this clause :

Provided that the marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than two years immediately preceding the acquisition of such property :

Provided further that the non-resident spouse is not otherwise prohibited from such acquisition.

26. Acquisition of immovable property for carrying on a permitted activity - A person resident outside India who has established in India in accordance with the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a Branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016, as amended from time to time, a branch, office or other place of business for carrying on in India any activity, excluding a liaison office, may -

(a) acquire any immovable property in India, which is necessary for or incidental to carrying on such activity:

Provided that,-

(i) all applicable laws, rules, regulations, for the time being in force are duly complied with; and

(ii) the person files with the Reserve Bank a declaration in the Form IPI as specified by the Reserve Bank from time to time, not later than ninety days from the date of such acquisition;

(b) transfer by way of mortgage to an authorised dealer as a security for any borrowing, the immovable property acquired in pursuance of clause (a) of rule 26:

Provided that no person of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka or Afghanistan or China or Iran or Hong Kong or Macau or Nepal or Bhutan or Democratic People's Republic of Korea (DPRK) shall acquire immovable property, other than on lease not exceeding five years, without prior approval of the Reserve Bank.

27. Purchase or sale of immovable property by Foreign Embassies or Diplomats or Consulate Generals - A Foreign Embassy or Diplomat or Consulate General may purchase or sell immovable property in India other than agricultural land or plantation property or farm house provided :

(i) clearance from Government of India, Ministry of External Affairs is obtained for such purchase or sale; and

(ii) the consideration for acquisition of immovable property in India is paid out of funds remitted from abroad through banking channels.

28. Acquisition by a long-term visa holder - A person being a citizen of Afghanistan, Bangladesh or Pakistan belonging to minority communities in those countries, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians who is residing in India and has been granted a Long Term Visa (LTV) by the Central Government may purchase only one residential immovable property in India as dwelling unit for self-occupation and only one immovable property for carrying out self-employment subject to the following conditions, namely :-

(a) the property shall not be located in and around restricted or protected areas so notified by the Central Government and cantonment areas;

(b) the person submits a declaration to the Revenue Authority of the district where the property is located, specifying the source of funds and that he or she is residing in India on LTV;

(c) the registration documents of the property shall mention the nationality and the fact that such person is on LTV;

(d) the property of such person may be attached or confiscated in the event of his or her indulgence in anti-India activities;

(e) a copy of the documents of the purchased property shall be submitted to the Deputy Commissioner of Police (DCP) or Foreigners Registration Office (FRO) or Foreigners Regional Registration Office (FRRO) concerned and to the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division);

(f) such person shall be eligible to sell the property only after acquiring Indian citizenship, however, transfer of the property before acquiring Indian citizenship shall require prior approval of DCP or FRO or FRRO concerned.

29. Repatriation of sale proceeds - (1) A person referred to in sub-section (5) of section 6 of the Act, or his successor shall not, except with the general or specific permission of the Reserve Bank, repatriate outside India the sale proceeds of any immovable property referred to in that sub-section.

(2) In the event of sale of immovable property other than agricultural land or farm house or plantation property in India by an NRI or an OCI, the authorised dealer may allow repatriation of the sale proceeds outside India, provided the following conditions are satisfied, namely:-

(a) the immovable property was acquired by the seller in accordance with the provisions of the foreign exchange law in force at the time of acquisition or the provisions of these rules;

(b) the amount for acquisition of the immovable property was paid in foreign exchange received through banking channels or out of funds held in Foreign Currency Non-Resident Account or out of funds held in Non-Resident External Account;

(c) in the case of residential property, the repatriation of sale proceeds is restricted to not more than two such properties.

(3) In the event of failure in repayment of external commercial borrowing availed by a person resident in India under the provisions of the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, as amended from time to time, a bank which is an authorised dealer may permit the overseas lender or the security trustee (in whose favour the charge on immovable property has been created to secure the ECB) to sell the immovable property on which the said loan has been secured only to a (by the) person resident in India and to repatriate the sale proceeds towards outstanding dues in respect of the said loan and not any other loan.

30. Prohibition on transfer of immovable property in India - (1) Save as otherwise provided in the Act or rules, no person resident outside India shall transfer any immovable property in India:

Provided that:-

(a) the Reserve Bank may, for sufficient reasons, permit the transfer subject to such conditions as may be considered necessary;

(b) a bank which is an authorised dealer may, subject to the directions issued by the Reserve Bank in this behalf, permit a person resident in India or on behalf of such person to create charge on his immovable property in India in favour of an overseas lender or security trustee, to secure an external commercial borrowing availed under the provisions of the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000;

(c) an authorised dealer in India being the Indian correspondent of an overseas lender may, subject to the directions issued by the Reserve Bank in this regard, create a mortgage on an immovable property in India owned by an NRI or an OCI, being a director of a company outside India, for a loan to be availed by the company from the said overseas lender :

Provided further that :-

(i) the funds shall be used by the borrowing company only for its core business purposes overseas;

(ii) in case of invocation of charge, the Indian bank shall sell the immovable property to an eligible acquirer and remit the sale proceeds to the overseas lender.

(2) A person resident outside India who has acquired any immovable property in India in accordance with foreign exchange laws in force at the time of such acquisition or with the general or specific permission of the Reserve Bank may transfer such property to a person resident in India provided the transaction takes place through banking channels in India and provided further that the resident is not otherwise prohibited from such acquisition.

31. Prohibition on acquisition or transfer of immovable property in India by citizens of certain countries - No person being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Iran, Nepal, Bhutan, Hong Kong or Macau or Democratic People's Republic of Korea (DPRK) without prior permission of the Reserve Bank shall acquire or transfer immovable property in India, other than lease not exceeding five years :

Provided that this prohibition shall not apply to an OCI.

Explanation: For the purpose of this rule, the term “citizen” shall include natural persons and legal entities.

32. Miscellaneous - Any transaction involving acquisition or transfer of immovable property under these rules shall be undertaken:-

- (a) through banking channels in India;
- (b) subject to payment of applicable taxes and other duties or levies in India.

33. Savings - Any existing holding of immovable property in India by a person resident outside India made in accordance with the policy in existence at the time of such acquisition would not require any modifications to conform to these rules.

SCHEDULE I

(See rule 6(a))

Purchase or sale of equity instruments of an Indian company by a person resident outside India

(1) Purchase or sale of equity instruments of an Indian company by a person resident outside India

- (a) An Indian company may issue equity instruments to a person resident outside India subject to entry routes, sectoral caps and attendant conditionalities prescribed in this Schedule.
- (b) A person resident outside India may purchase equity instruments of a listed Indian company on a stock exchange in India:

Provided that -

- (i) the person resident outside India making the investment has already acquired control of such company in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and continues to hold such control;
- (ii) the amount of consideration may be paid as per the mode of payment specified by the Reserve Bank or out of the dividend payable by Indian investee company in which the person resident outside India has acquired and continues to hold the control in accordance with SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 provided the right to receive dividend is established and the dividend amount has been credited to a specially designated non-interest bearing rupee account for acquisition of shares on the recognised stock exchange.
- (c) A wholly owned subsidiary set up in India by a non-resident entity, operating in a sector where 100 percent foreign investment is allowed in the automatic route and there are no FDI linked performance conditions, may issue equity instruments to the said non-resident entity against pre-incorporation or pre-operative expenses incurred by the said non-resident entity up to a limit of five percent of its authorised capital or USD 500,000 whichever is less, subject to the condition that within thirty days from the date of issue of equity instruments but not later than one year from the date of incorporation or such time as the Reserve Bank permits, the Indian company shall report the transaction to the Reserve Bank as per the reporting requirements as specified by the Reserve Bank.
- (d). An Indian company may issue, subject to compliance with the conditions prescribed by the Central Government and/or the Reserve Bank from time to time, equity instruments to a person resident outside India, if the Indian investee company is engaged in an automatic route sector, against,-
 - (i) swap of equity instruments; or
 - (ii) import of capital goods or machinery or equipment (excluding second-hand machinery); or
 - (iii) pre-operative or pre-incorporation expenses (including payments of rent etc.) :

Provided that the Government approval shall be obtained if the Indian investee company is engaged in a sector under Government route and the applications for approval shall be made in the manner prescribed by the Central Government from time to time.

(e) An Indian company may issue equity shares against any funds payable by it to a person resident outside India, the remittance of which is permitted under the Act or the rules and regulations framed or directions issued thereunder or does not require prior permission of the Central Government or the Reserve Bank under the Act or the rules and regulations framed or directions issued thereunder or has been permitted by the Reserve Bank under the Act or the rules and regulations framed or directions issued thereunder:

Provided that in case where permission has been granted by the Reserve Bank for making remittance, the Indian company may issue equity shares against such remittance provided all regulatory actions with respect to the delay or contravention under the Act or the rules or the regulations framed thereunder have been completed.

(f) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

(2) Sectors prohibited for FDI.-

(a) Lottery business including Government or private lottery, online lotteries, etc.

(b) Gambling and betting including casinos, etc.

(c) Chit funds

(d) Nidhi company

(e) Trading in Transferable Development Rights

(f) Real estate business or construction of farm houses

Explanation: For the purpose of this rule, 'real estate business shall not include development of townships, construction of residential or commercial premises, roads or bridges and Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the SEBI (REITs) Regulations, 2014.

(g) Manufacturing of cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.

(h) Activities or sectors not open to private sector investment e.g. (I) Atomic energy and (II) Railway operations (other than permitted activities mentioned in paragraph (3) of Schedule I)

(i) Foreign technology collaborations in any form including licensing for franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for lottery business and gambling and betting activities.

(3) Permitted sectors, entry routes and sectoral caps for total foreign investment

Unless otherwise specified in these Rules or the Schedules, the entry routes and sectoral caps for the total foreign investment in an Indian entity shall be as follows, namely :-

(a) Entry routes.-

(i) "automatic route" means the entry route through which investment by a person resident outside India does not require the prior approval of the Reserve Bank or the Central Government;

(ii) "government route" means the entry route through which investment by a person resident outside India requires prior Government approval and foreign investment received under this route shall be in accordance with the conditions stipulated by the Government in its approval.

(iii) Aggregate foreign portfolio investment up to forty-nine percent of the paid-up capital on a fully diluted basis or the sectoral or statutory cap, whichever is lower, shall not require Government approval or compliance of sectoral conditions as the case may be, if such investment does not result in transfer of ownership and control of the resident Indian company from resident Indian citizens or transfer of ownership or control to persons resident outside India and other investments by a person resident outside India shall be subject to the conditions of Government approval and compliance of sectoral conditions as laid down in these rules.

(b) Sectoral caps.—

(i) Sectoral cap for the sectors or activities specified in the table is the limit indicated against each sector. The total foreign investment shall not exceed the sectoral or statutory cap.

(ii) Foreign investment in the following sectors or activities is subject to applicable laws or regulations, security and other conditionalities.

(iii) In sectors or activities not listed below or not prohibited under paragraph (2) of Schedule I of these rules, foreign investment is permitted up to one hundred percent on the automatic route, subject to applicable laws or regulations, security and other conditionalities :

Provided that foreign investment in financial services other than those indicated under serial number “F” below would require prior approval of the Government .

(iv) Wherever there is a requirement of minimum capitalisation, it shall include premium received along with the face value of the equity instrument, only when it is received by the company upon issue of such instruments to the person resident outside India and the amount paid by the transferee during post-issue transfer beyond the issue price of the capital instrument, shall not be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.

(v) (A) Foreign Investment in investing companies not registered as Non-Banking Financial Companies with the Reserve Bank and in core investment companies (CICs), both engaged in the activity of investing in the capital of other Indian entities, shall require prior approval of the Government .

Note: Compliance to these rules by the core investment companies is in addition to the compliance of the regulatory framework prescribed to such companies as NBFCs under the Reserve Bank of India Act, 1934 and regulations framed thereunder.

(v) (B) Foreign investment in investing companies registered as Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with the Reserve Bank, shall be under 100% automatic route.

(vi) For undertaking activities which are under automatic route and without FDI linked performance conditions, an Indian company which does not have any operations and also has not made any downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity, may receive investment in its equity instruments from persons resident outside India under automatic route, however, approval of the Government shall be required for such companies for undertaking activities which are under Government route and as and when such a company commences business or makes downstream investment that is treated as indirect foreign investment for the investee entity, it shall have to comply with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps.

(vii) The onus of compliance with the sectoral or statutory caps on such foreign investment and attendant conditions, if any, shall be on the company receiving foreign investment.

(viii) Wherever the person resident outside India who has made foreign investment specifies a particular auditor or audit firm having international network for the audit of the Indian investee company, then audit of such investee company shall be carried out as joint audit wherein one of the auditors is not part of the same network.

Table

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
1.	Agriculture and Animal Husbandry		
1.1	(a) Floriculture, Horticulture and Cultivation of vegetables and mushrooms under controlled conditions; (b) Development and production of seeds and planting material; (c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture,	100%	Automatic

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	Aquaculture and Apiculture; and (d) Services related to agro and allied sectors. Note: Other than the above, foreign investment is not allowed in any other agricultural sector or activity.		
1.2	Other Conditions		
	The term 'under controlled conditions' covers the following: 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically.		
2.	Plantation		
2.1	(a) Tea sector including tea plantations (b) Coffee plantations (c) Rubber plantations (d) Cardamom plantations (e) Palm oil tree plantations (f) Olive oil tree plantation Note: Foreign investment is not allowed in any plantation sector/ activity other than those listed above.	100%	Automatic
2.2	Other Conditions		
	Prior approval of the State Government concerned is required in case of any future land use change.		
3.	Mining		
3.1	Mining and Exploration of metal and non-metal ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	100%	Automatic
3.2	Coal and Lignite		
	(a) Coal and Lignite mining for captive consumption by power projects, iron and steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973. (b) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.	100%	Automatic
3.3	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	activities		
	(a) Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	100%	Government
3.4	Other Conditions		
	(a) Foreign investment for separation of titanium bearing minerals and ores shall be subject to the following conditions: (i) Value addition facilities are set up within India along with transfer of technology; (ii) Disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987. (b) Foreign investment will not be allowed in mining of "prescribed substances" listed in the Notification No. S.O. 61(E), dated 18.1.2006, issued by the Department of Atomic Energy. Clarification: (i) For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition. Ilmenite can be processed to produce Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product. (ii) The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of this Rules can be achieved, the conditions prescribed at (a)(i) above shall be deemed to be fulfilled.		
4.	Petroleum and Natural Gas		
4.1	Exploration activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas/ pipelines, LNG Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies.	100%	Automatic
4.2	Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSUs), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.	49%	Automatic
5.	Manufacturing		
5.1	A manufacturer is permitted to sell its products manufactured in India through wholesale and/ or retail, including through e-commerce without Government approval. Notwithstanding the provisions of these Rules on trading sector, 100 percent foreign investment under the government approval route is allowed for trading, including through e-commerce, in respect of food products manufactured and/ or produced in India. Applications for foreign investment in food products retail trading shall be processed in the Department of Industrial Policy and Promotion before being considered by the Government		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	for approval.		
6.	Defence		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951; and Manufacturing of small arms and ammunition under the Arms Act, 1959	100%	Automatic route up to 49% Government route beyond 49% wherever it is likely to result in access to modern technology or for other reasons to be recorded.
6.2	Other Conditions		
	(a) Fresh foreign investment within the permitted automatic route, in a company not seeking industrial license, resulting in change in the ownership pattern or transfer of stake by existing investor to new foreign investor, shall require Government approval. (b) Licence applications will be considered and licences shall be given by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs. (c) Foreign investment in this sector is subject to security clearance and guidelines of the Ministry of Defence. (d) Investee company should be structured to be self-sufficient in areas of product design and development. The investee/ joint venture company along with manufacturing facility, should also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India.		
7.	Broadcasting		
7.1	Broadcasting Carriage Services		
7.1.1	(a) Teleports (setting up of up-linking HUBs/ Teleports); (b) Direct to Home (DTH); (c) Cable Networks (Multi System Operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking up-gradation of networks towards digitalization and addressability); (d) Mobile TV; (e) Head-end-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)	100%	Automatic
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking up-gradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs)).	100%	Automatic
7.1.3	Note: Infusion of fresh foreign investment for sectors specified in 7.1.1 and 7.1.2 above, beyond 49 percent in a company not seeking license/ permission from sectoral Ministry, resulting in change in the ownership pattern or transfer of stake by existing investor to new foreign investor, will require Government approval		
7.2	Broadcasting Content Services		
7.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio), subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information and Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.	49%	Government

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
7.2.2	Up-Linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	49%	Government
7.2.3	Up-linking of Non-'News & Current Affairs' TV Channels/ Down-linking of TV Channels	100%	Automatic
7.3	Other Conditions		
	(a) Foreign investment in companies engaged in all the afore-stated services shall be subject to relevant regulations and such terms and conditions, as may be specified from time to time, by the Ministry of Information and Broadcasting. (b) Foreign investment in the afore-stated broadcasting carriage services shall be subject to the terms and conditions as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting, from time to time, in this regard. (c) Licensee shall ensure that broadcasting service installation carried out by it shall not become a safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or regulations and public policy. (d) In the I and B sector where the sectoral cap is up to 49 percent, the company should be owned and controlled by resident Indian citizens or Indian companies which are owned and controlled by resident Indian citizens. (i) For this purpose, the equity held by the largest Indian shareholder shall be at least 51 percent of the total equity, excluding the equity held by Public Sector Banks and Public Financial Institutions, as defined in section 4A of the Companies Act, 1956 or Section 2 (72) of the Companies Act, 2013, as the case may be and the term 'largest Indian shareholder' used in this clause, shall include any or a combination of the following, namely :— (1) In the case of an individual shareholder, (aa) The individual shareholder, (bb) A relative of the shareholder within the meaning of Section 2 (77) of Companies Act, 2013. (cc) A company or group of companies in which the individual shareholder or Hindu Undivided Family to which he belongs has management and controlling interest. (2) In the case of an Indian company, (aa) The Indian company (bb) A group of Indian companies under the same management and ownership control. (3) For this purpose, "Indian company" shall be a company which must have a resident Indian or a relative as defined under section 2 (77) of Companies Act, 2013/ HUF, either singly or in combination holding at least 51percent of the shares. (4) Provided that, in case of a combination of all or any of the entities mentioned in sub-clauses (d)(i) above, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company.		
8.	Print Media		
8.1	Publishing of newspaper and periodicals dealing with news and current affairs	26%	Government
8.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs	26%	Government
8.2.1	Other conditions		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(a) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, shall be defined as a periodical publication, brought out on non-daily basis, containing public news or comments on public news. (b) Foreign investment shall also be subject to the Guidelines for Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs issued by the Ministry of Information and Broadcasting on 4-12-2008.		
8.3	Publishing or printing of Scientific and Technical Magazine or specialty journals or periodicals, subject to compliance with the legal framework as applicable and guidelines issued in this regard from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.	100%	Government
8.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%	Government
8.4.1	Other conditions:		
	(a) Foreign investment shall be made by the owner of the original foreign newspapers whose facsimile edition is proposed to be brought out in India. (b) Publication of facsimile edition of foreign newspapers can be undertaken only by an entity incorporated or registered in India under the provisions of the Companies Act, 2013. (c) Publication of facsimile edition of foreign newspaper shall also be subject to the Guidelines for publication of newspapers and periodicals dealing with news and current affairs and publication of facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry of Information and Broadcasting on 31-3-2006.		
9.	Civil Aviation		
9.1	The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Non-Scheduled domestic passenger airlines, Helicopter services or Seaplane services, Ground Handling Services, Maintenance and Repair organizations, Flying training institutes, and Technical training institutions. For the purposes of the Civil Aviation sector: (a) "Airport" means a landing and taking off area for aircrafts, usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (2) of section 2 of the Aircraft Act, 1934; (b) "Aerodrome" means any definite or limited ground or water area intended to be used, either wholly or in part, for the landing or departure of aircraft, and includes all buildings, sheds, vessels, piers and other structures thereon or pertaining thereto; (c) "Air transport service" means a service for the transport by air of persons, mails or any other thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoever, whether such service consists of a single flight or series of flights; (d) "Air Transport Undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward; (e) "Aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment; (f) "Helicopter" means a heavier than air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axis; (g) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public;		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(h) "Non-Scheduled air transport service" means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines; (i) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation; (j) "Seaplane" means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting solely on water; (k) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) traffic handling both of which shall include the activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circulars from time to time, and (iii) any other activity specified by the Central Government to be a part of either ramp handling or traffic handling.		
9.2	Airports		
	(a) Greenfield projects	100%	Automatic
	(b) Existing projects	100%	Automatic
9.3	Air Transport Services		
	(a) (i) Scheduled Air Transport Service/ Domestic Scheduled Passenger Airline (ii) Regional Air Transport Service	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%(Automatic up to 100% for NRI's and OCI's)
	(b) Non-Scheduled Air Transport Service	100%	Automatic
	(c) Helicopter service or seaplane services requiring Directorate General of Civil Aviation approval	100%	Automatic
9.4	Other Services under Civil Aviation sector		
	(a) Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance	100%	Automatic
	(b) Maintenance and Repair organizations; flying training institutes and technical training institutions	100%	Automatic
9.5	Other Conditions		
	(a) Air Transport Services shall include Domestic Scheduled Passenger Airlines, Non-Scheduled Air Transport Services, helicopter and seaplane services. (b) Foreign airlines are allowed to make foreign investment in Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes mentioned above. (c) Foreign airlines are allowed to invest in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport, services up to the limit 49 percent of the paid up capital of the Indian investee company. Such foreign investment would be subject to the following conditions, namely,;— (i) It shall be under the Government approval route. (ii) The foreign investment shall comply with the relevant regulations of Securities and Exchange Board of India as well as other applicable rules and regulations. (iii) A Scheduled Operator's Permit may be granted only to a company:		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(1) that is registered and has its principal place of business within India; (2) the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and (3) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian citizens. (iv) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such foreign investment shall be cleared from security view point before deployment; and (v) All technical equipment that might be imported into India as a result of such foreign investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation. (d) In addition to the above conditions, foreign investment in M/s Air India Limited shall be subject to the following conditions: (i) Foreign investment in M/s Air India Ltd., including that of foreign airline(s), shall not exceed 49% either directly or indirectly. (ii) Substantial ownership and effective control of M/s Air India Ltd. shall continue to be vested in Indian Nationals.” Note: (4) The sectoral caps or entry routes, mentioned at paragraph 9.3(a) and 9.3(b) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines. (5) The dispensation for NRIs and OCIs regarding foreign investment up to 100% shall also be applicable in respect of the investment regime specified at 9.5(c) above. (6) The investee company additionally shall have to follow guidelines issued by the concerned ministry of the Central Government.		
10	Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure		
10.1	Construction-development projects (which shall include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships)	100%	Automatic
10.2	Other Conditions		
10.2	(a) Each phase of the construction development project shall be considered as a separate project. (b) The investor shall be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage. (c) Notwithstanding anything contained at (b) above, a person resident outside India shall be permitted to exit and repatriate foreign investment before the completion of project under automatic route, provided that a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche of foreign investment has been completed. Further, transfer of stake from a person resident outside India to another person resident outside India, without repatriation of foreign investment will neither be subject to any lock-in period nor to any government approval. (d) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government or Municipal or Local Body concerned.		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(e) The Indian investee company shall be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" shall mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage, have been made available. (f) The Indian investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building or layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/ bye-Laws/ regulations of the State Government or Municipal or Local Body concerned. (g) The State Government or Municipal or Local Body concerned, which approves the building or development plans, shall monitor compliance of the above conditions by the developer. Note: (1) Foreign investment is not permitted in an entity which is engaged or proposes to engage in real estate business, construction of farm houses and trading in transferable development rights (TDRs). (2) Condition of lock-in period shall not apply to Hotels and Tourist Resorts, Hospitals, Special Economic Zones (SEZs), Educational Institutions, Old Age Homes and investment by NRIs or OCIs. (3) Completion of the project shall be determined as per the local bye-laws/ rules and other regulations of State Governments. (4) Foreign investment up to 100 percent under automatic route is permitted in completed projects for operating and managing townships, malls/ shopping complexes and business centres. Consequent to such foreign investment, transfer of ownership and/ or control of the investee company from persons resident in India to persons resident outside India is also permitted, however, there shall be a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche of foreign investment and transfer of immovable property or part thereof is not permitted during this period. (5) "Transfer", in relation to this sector, includes,— (a.) the sale, exchange or relinquishment of the asset; or (b.) the extinguishment of any rights therein; or (c.) the compulsory acquisition thereof under any law; or (d.) any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882) ; or (e.) any transaction, by acquiring capital instruments in a company or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property. (6) Real estate business' means dealing in land and immovable property with a view to earning profit therefrom and does not include development of townships, construction of residential/ commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships; <i>Explanation: —</i> (a) Investment in units of Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the Securities and Exchange Board of India (REITs) regulations 2014 shall also be excluded from the definition of "real estate business". (b) Earning of rent income on lease of the property, not amounting to transfer, shall not amount to real estate		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	business. (c) Transfer in relation to real estate includes, (i) the sale, exchange or relinquishment of the asset; or (ii) the extinguishment of any rights therein; or (iii) the compulsory acquisition thereof under any law; or (iv) any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882); or (v) any transaction, by acquiring capital instruments in a company or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring, or enabling the enjoyment of, any immovable property. “(7) Real estate broking services shall be excluded from the definition of “real estate business” and 100% foreign investment is allowed in real estate broking services under automatic route.		
11.	Industrial Parks	100%	Automatic
11.1	For the purpose of this sector: (a) "Industrial Park" is a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built up space or a combination with common facilities, is developed and made available to all the allottee units for the purposes of industrial activity. (b) “Infrastructure” refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads), railway line/ sidings including electrified railway lines and connectivity to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air conditioning. (c) “Common Facilities” refer to the facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), railway line/ sidings including electrified railway lines and connectivity to the main railway line, water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention/ conference halls, parking, travel desks, security service, first aid centre, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park. (d) "Allocable area" in the Industrial Park means— (i) in the case of plots of developed land - the net site area available for allocation to the units, excluding the area for common facilities. (ii) in the case of built up space - the floor area and built-up space utilized for providing common facilities. (iii) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built-up space utilized for providing common facilities. (e) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity; gas and water supply; post and telecommunications; software publishing, consultancy and supply; data processing, database activities and distribution of electronic content; other computer related activities; basic and applied research and development on bio-technology, pharmaceutical sciences or life sciences, natural sciences and engineering; business and management consultancy activities; and architectural, engineering and other technical activities.		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
11.2	Foreign investment in Industrial Parks shall not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 10 above, provided the Industrial Parks meet with the under-mentioned conditions: (a) it shall comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50 percent of the allocable area; (b) the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66 percent of the total allocable area.		
12.	Satellites - Establishment and operation		
	Satellites Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space/ ISRO	100%	Government
13.	Private Security Agencies	49%	Government
14.	Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-I)		
14.1	All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, Unified Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/ International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), all types of ISP licenses, Voice Mail/ Audiotex/ UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.	100%	Automatic up to 49%; Government route beyond 49%
14.2	Other Conditions		
	The licensing and security conditions as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time, shall be observed by licensee as well as investors except for foreign investment in "Other Service Providers", which is allowed up to 100 percent under the automatic route.		
15.	Trading		
15.1	Cash and Carry Wholesale Trading/ Wholesale Trading (including sourcing from MSEs)	100%	Automatic
15.1.1	Definition: (a) Cash and Carry Wholesale trading (WT)/ Wholesale trading, shall mean sale of goods or merchandise to retailers, industrial, commercial, institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers. (b) Wholesale trading shall, accordingly, imply sales for the purpose of trade, business and profession, as opposed to sales for the purpose of personal consumption. The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not shall be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading shall include resale, processing and thereafter sale, bulk imports with export/ ex-bonded warehouse business sales and B2B e-Commerce.		
15.1.2	Other Conditions		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(a) For undertaking 'WT', requisite licenses/ registration/ permits, as specified under the relevant Acts or Regulations or Rules or Orders of the State Government or Government Body or Government Authority or Local Self-Government Body under that State Government shall be obtained. (b) Except in cases of sales to Government, sales made by the wholesaler shall be considered as 'cash and carry wholesale trading/ wholesale trading' with valid business customers, only when WT is made to the following entities: (i) Entities holding sales tax or VAT registration or service tax or excise duty or Goods and Services Tax (GST) registration; or (ii) Entities holding trade licenses i.e. a license or registration certificate or membership certificate or registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority or Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity or person holding the license or registration certificate or membership certificate, as the case may be, is itself or himself or herself engaged in a business involving commercial activity; or (iii) Entities holding permits or license etc. for undertaking retail trade (like tehbazari and similar license for hawkers) from Government Authorities or Local Self Government Bodies; or (iv) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self-consumption. Note: An Entity, to whom WT is made, may fulfil any one of the 4 conditions at (b)(i) to (iv) above. (c) Full records indicating all the details of such sales like name of entity, kind of entity, registration/ license/ permit etc. number, amount of sale etc. shall be maintained on a day to day basis. (d) WT of goods shall be permitted among companies of the same group. However, such WT to group companies taken together shall not exceed 25 percent of the total turnover of the wholesale venture. (e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations. (f) A wholesale or cash and carry trader can undertake single brand retail trading, subject to the conditions mentioned in para 15.3. An entity undertaking wholesale/ cash and carry as well as retail business shall be mandated to maintain separate books of accounts for these two arms of the business and duly audited by the statutory auditors. Conditions under these rules for wholesale or cash and carry business and for retail business have to be separately complied with by the respective business arms.		
15.2	E-Commerce		
15.2.1	B2B E-commerce activities	100%	Automatic
	Such companies would engage only in Business to Business (B2B) e-commerce and not in retail trading, inter alia implying that existing restrictions on FDI in domestic trading would be applicable to e-commerce as well.		
15.2.2	Market place model of e-commerce	100 %	Automatic
15.2.3	Other Conditions:		
	(a) 'E-commerce' means buying and selling of goods and services including digital products over digital & electronic network; (b) 'E-commerce entity' means a company incorporated under Companies Act 1956 or the Companies Act, 2013 (c) 'Inventory based model of e-commerce' means an e-commerce activity where inventory of goods and		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	services is owned by e-commerce entity and is sold to the consumers directly; (d) 'Market place model of e-commerce' means providing of an information technology platform by an e-commerce entity on a digital and electronic network to act as a facilitator between buyer and seller. (e) Digital and electronic network shall include network of computers, television channels and any other internet application used in automated manner such as web pages, extranets, mobiles etc. (f) Marketplace e-commerce entity shall be permitted to enter into transactions with sellers registered on its platform on B2B basis. (g) E-commerce marketplace may provide support services to sellers in respect of warehousing, logistics, order fulfilment, call centre, payment collection and other services. (h) E-commerce entity providing a marketplace shall not exercise ownership over the inventory i.e. goods purported to be sold. <i>Explanation:</i> Inventory of a vendor shall be deemed to be controlled by e-commerce marketplace entity if more than 25% of purchases of such vendor are from the marketplace entity or its group companies which shall render the business into inventory based model. (i) An entity having equity participation by e-commerce marketplace entity or its group companies or having control on its inventory by e-commerce marketplace entity or its group companies, shall not be permitted to sell its products on the platform run by such marketplace entity.' (j) Goods/ services made available for sale electronically on website shall clearly provide name, address and other contact details of the seller. Post sales, delivery of goods to the customers and customer satisfaction shall be responsibility of the seller. (k) Payments for sale may be facilitated by the e-commerce entity in conformity with the guidelines issued by the Reserve Bank in this regard. (l) Any warranty or guarantee of goods and services sold shall be the responsibility of the seller. (m) E-commerce entities providing marketplace shall not directly or indirectly influence the sale price of goods or services and shall maintain level playing field. Services should be provided by e-commerce marketplace entity or other entities in which e-commerce marketplace entity has direct or indirect equity participation or common control, to vendors on the platform at arm's length and in a fair and non-discriminatory manner. <i>Explanation:</i> Such services shall include but not limited to fulfilment, logistics, warehousing, advertisement or marketing, payments, financing etc. Cash back provided by group companies of marketplace entity to buyers shall be fair and non-discriminatory. For the purposes of this clause, provision of services to any vendor on such terms which are not made available to other vendors in similar circumstances will be deemed unfair and discriminatory. (n) Guidelines on cash and carry wholesale trading as given in Sl. No. 15.1.2 above shall apply to B2B e-commerce activities. (o) No e-commerce marketplace entity shall mandate any seller to sell any of their product exclusively on its platform. (p) All existing investments shall have to be in compliance with the above conditions from the date of issue of this Notification. Note: Foreign investment is not permitted in inventory based model of e-commerce.		
15.2.4	Sale of services through e-commerce shall be under automatic route subject to the sector specific conditions,		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	applicable laws/ regulations, security and other conditionalities.		
15.3	Single Brand Product Retail Trading Foreign investment in Single Brand Product Retail Trading (SBRT) is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices.	100%	Automatic up to 49%; Government route beyond 49%
15.3.1	Other conditions		
	(a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only. (b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products shall be sold under the same brand in one or more countries other than India. (c) 'Single Brand' product-retail trading shall cover only products which are branded during manufacturing. (d) A person resident outside India, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, either directly by the brand owner or through a legally tenable agreement executed between the Indian entity undertaking single brand retail trading and the brand owner. (e) In respect of proposals involving foreign investment beyond 51 percent, sourcing of 30 percent of the value of goods purchased, shall be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing shall be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company shall be required to maintain. The procurement requirement is to be met in the first instance as an average of five years total value of goods purchased beginning 1st April of the year of the commencement of the business. Thereafter it shall be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of foreign investment for the purpose of carrying out single brand product retail trading. (f) Subject to the conditions mentioned in this Para, a single brand retail trading entity operating through brick and mortar stores, is permitted to undertake retail trading through e-commerce. (g) Single brand retail trading entity shall be permitted to set off its incremental sourcing of goods from India for global operations during initial 5 years, beginning 1st April of the year of the opening of first store, against the mandatory sourcing requirement of 30% of purchases from India. For this purpose, incremental sourcing shall mean the increase in terms of value of such global sourcing from India for that single brand (in INR terms) in a particular financial year from India over the preceding financial year, by the non-resident entities undertaking single brand retail trading, either directly or through their group companies. After completion of this 5 years period, the SBRT entity shall be required to meet the 30% sourcing norms directly towards its India's operation, on an annual basis. Note: (1) Conditions mentioned at (b) and (d) above shall not be applicable for undertaking SBRT of Indian brands. (2) Indian brands should be owned and controlled by resident Indian citizens and/ or companies which are owned and controlled by resident Indian citizens. (3) Sourcing norms shall not be applicable up to three years from commencement of the business i.e. opening of the first store for entities undertaking single brand retail trading of products having 'state-of-art' and 'cutting-edge'		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	technology and where local sourcing is not possible. Thereafter, condition mentioned at 15.3.1(e) above shall be applicable. A Committee under the Chairmanship of Secretary, DPIIT, with representatives from NITI Aayog, concerned Administrative Ministry and independent technical expert(s) on the subject shall examine the claim of applicants on the issue of the products being in the nature of 'state-of-art' and 'cutting-edge' technology where local sourcing is not possible and give recommendations for such relaxation.		
15.4	Multi Brand Retail Trading (MBRT)	51%	Government
15.4.1	Other Conditions		
	(a) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, can be unbranded. (b) Minimum amount to be brought in as foreign investment would be USD 100 million. (c) At least 50 percent of the total foreign investment brought in the first tranche of USD 100 million, shall be invested in 'back-end infrastructure' within three years, where 'back-end infrastructure' shall include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure shall include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, shall not be counted for purposes of back-end infrastructure. Subsequent investment in the back-end infrastructure would be made by the MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements. (d) At least 30 percent of the value of procurement of manufactured or processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium industries, which have a total investment in plant and machinery not exceeding USD2 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. The 'small industry' status shall be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such industry shall continue to qualify as a 'small industry' for this purpose, even if it outgrows the said investment of USD2 million during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers co-operatives shall also be considered in this category. The procurement requirement shall have to be met, in the first instance, as an average of five years total value of the manufactured/ processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of foreign investment is received. Thereafter, it shall have to be met on an annual basis. (e) Self-certification is required by the company, to ensure compliance of the conditions at serial nos. (b), (c) and (d) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors. (f) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the respective State Governments, and may also cover an area of 10 kms. Around the municipal or urban agglomeration limits of such cities; retail locations shall be restricted to conforming areas as per the Master or Zonal Plans of the concerned cities and provision shall be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking. (g) Government shall have the first right to procure agricultural products. (h) The above policy is an enabling policy only and the State Governments or Union Territories shall be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States or Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow foreign investment in MBRT under this policy. The States or Union Territories which have conveyed their agreement are mentioned at 15.4.2. Such agreement, in future, to permit establishment of retail outlets under this policy, would be conveyed to the Government of India through the Department of Industrial Policy and Promotion and additions shall be made to		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	the said list. The establishment of the retail sales outlets shall be in compliance of applicable State/ Union Territory laws or regulations, such as the Shops and Establishments Act etc. (i) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, shall not be permissible, for companies with foreign investment engaged in multi-brand retail trading. (j) Applications shall be processed in the Department of Industrial Policy and Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered for Government approval.		
15.4.2	States or Union territories are Andhra Pradesh, Assam, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Rajasthan, Uttarakhand, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union territories)		
15.5	Duty Free Shops	100%	Automatic
15.5.1	Other Conditions:		
	(a) Duty Free Shops would mean shops set up in custom bonded area at International Airports or International Seaports and Land Custom Stations where there is transit of international passengers. (b) Foreign investment in Duty Free Shops is subject to compliance of conditions stipulated under the Customs Act, 1962 and other laws, rules and regulations. (c) Duty Free Shop entity shall not engage into any retail trading activity in the Domestic Tariff Area of the country.		
16	Pharmaceuticals		
16.1	Greenfield	100%	Automatic
16.2	Brownfield	100%	Automatic up to 74%; Government route beyond 74%
16.3	Other Conditions		
	(a) 'Non-compete' clause shall not be allowed except in special circumstances with the Government approval. (b) The prospective investor and the prospective investee are required to provide a certificate given at 16.4 along with the application submitted for Government approval. (c) Government approval may incorporate appropriate conditions for foreign investment in brownfield cases. (d) Foreign investment in brownfield pharmaceuticals, irrespective of entry route, is further subject to the following conditions : (i) The production level of National List of Essential Medicines (NLEM) drugs and/ or consumables and their supply to the domestic market at the time of induction of foreign investment, being maintained over the next five years at an absolute quantitative level. The benchmark for this level would be decided with reference to the level of production of NLEM drugs and/ or consumables in the three financial years, immediately preceding the year of induction of foreign investment. Of these, the highest level of production in any of these three years shall be taken as the level. (ii) Research and Development (R&D) expenses being maintained in value terms for 5 years at an absolute quantitative level at the time of induction of foreign investment. The benchmark for this level would be decided with reference to the highest level of R&D expenses which has been incurred in any of the three financial years immediately preceding the year of induction of foreign investment.		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(iii) The administrative Ministry shall be provided complete information pertaining to the transfer of technology, if any, along with induction of foreign investment into the investee company. (iv) The administrative Ministry (s) i.e. Ministry of Health and Family Welfare, Department of Pharmaceuticals or any other regulatory Agency/Development as notified by Central Government from time to time, shall monitor the compliance of conditionalities. Note : (1) Foreign investment up to 100% under the automatic route is permitted for manufacturing of medical devices. The abovementioned conditions shall, therefore, not be applicable to greenfield as well as brownfield projects of this industry. (2) Medical device means :- (a) Any instrument, apparatus, appliance, implant, material or other article, whether used alone or in combination, including the software, intended by its manufacturer to be used specially for human beings or animals for one or more of the specific purposes of:- (aa) Diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of any disease or disorder; (ab) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or assistance for, any injury or disability; (ac) investigation, replacement or modification or support of the anatomy or of a physiological process; (ad) supporting or sustaining life; (ae) disinfection of medical devices; (af) control of conception; and which does not achieve its primary intended action in or on the human body or animals by any pharmacological or immunological or metabolic means, but which may be assisted in its intended function by such means; (b) an accessory to such an instrument, apparatus, appliance, material or other article; (c) "in-vitro diagnostic device which is a reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, equipment or system, whether used alone or in combination thereof intended to be used for examination and providing information for medical or diagnostic purposes by means of examination of specimens derived from the human bodies or animals.		
16.4	Certificate to be furnished by the Prospective Investor as well as the Prospective Recipient Entity It is certified that the following is the complete list of all inter-se agreements, including the shareholders agreement, entered into between foreign investor(s) and investee brownfield pharmaceutical entity 1. 2. 3. (copies of all agreements to be enclosed) It is also certified that none of the inter-se agreements, including the shareholders agreement, entered into		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	between foreign investor(s) and investee brownfield pharmaceutical entity contain any non-compete clause in any form whatsoever. It is further certified that there are no other contracts/agreements between the foreign investor(s) and investee brownfield pharma entity other than those listed above. The foreign investor(s) and investee brownfield pharma entity undertake to submit to the FIPB any inter-se agreements that may be entered into between them subsequent to the submission and consideration of this application.		
17	Railway Infrastructure		
17.1	Construction, operation and maintenance of the following: (i) Suburban corridor projects through PPP, (ii) high-speed train projects, (iii) Dedicated freight lines, (iv) Rolling stock including train sets, and locomotives/ coaches manufacturing and maintenance facilities, (v) Railway Electrification, (vi) Signalling systems, (vii) Freight terminals, (viii) Passenger terminals, (ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/ sidings including electrified railway lines and connectivity to main railway line and (x) Mass Rapid Transport Systems.	100%	Automatic
17.2	Other Conditions		
	(a) Foreign investment in this sector open to private-sector participation is subject to sectoral guidelines of Ministry of Railways. (b) Proposals involving foreign investment beyond 49 percent sensitive areas from security point of view, will be brought by the Ministry of Railways before the Cabinet Committee on Security (CCS) for consideration on a case to case basis.		
F	FINANCIAL SERVICES Investment in financial services, other than those indicated below, would require prior Government approval.		
F.1	Asset Reconstruction Companies	100%	Automatic
F.1.1	Other Conditions		
	(a) Investment limit of a sponsor in the shareholding of an ARC shall be governed by the provisions of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Similarly, investment by institutional or non-institutional investors shall also be governed by the said Act. (b) FPIs can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs. FPIs may be allowed to invest up to 100 percent of each tranche in SRs issued by ARCs, subject to directions/ guidelines of Reserve Bank. Such investment shall be within the relevant regulatory cap as applicable. (c) All investments shall be subject to provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.		
F.2	Banking - Private sector	74%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%
F.2.1	Other conditions:		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(a) At all times, at least 26 percent of the paid up capital shall have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank. (b) In case of NRIs individual holdings is restricted to 5 percent of the total paid up capital both on repatriation and non-repatriation basis and aggregate limit cannot exceed 10 percent of the total paid up capital both on repatriation and non-repatriation basis. However, NRI holdings shall be allowed up to 24 percent of the total paid up capital both on repatriation and non-repatriation basis subject to a special resolution to this effect passed by the banking company's general body. (c) Applications for foreign investment in private banks having joint venture or subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) in order to ensure that the 49 percent limit of investment applicable for the insurance sector is not breached. (d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents shall require approval of the Reserve Bank and/or the Government, wherever applicable. (e) The policies and procedures prescribed by RBI and other institutions such as Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs and IRDAI on these matters shall apply. (f) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of capital instruments of a private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 percent or more of the paid up capital of the private bank shall apply to foreign investment as well. (g) Setting up of a subsidiary by foreign banks: (i) Foreign banks shall be permitted to either have branches or subsidiaries but not both. (ii) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria shall be allowed to hold 100 percent paid-up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India. (iii) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 percent in a private bank. (iv) A foreign bank shall be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank shall be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 percent of the paid-up capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (c) above. (v) A subsidiary of a foreign bank shall be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks. (vi) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank shall be issued separately by RBI. (vii) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India shall have to be made to the RBI. (h) The present limit of 10 percent on voting rights in respect banking companies may be noted by the potential investor. (i) All investments shall be subject to the guidelines prescribed for the banking sector under the Banking Regulation Act, 1949 and the Reserve Bank of India Act, 1934.		
F.3	Banking - Public Sector		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
F.3.1	Banking - Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts, 1970/ 80. This ceiling is also applicable to the State Bank of India.	20%	Government
F.4	Infrastructure Companies in the Securities Market		
F.4.1	Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, commodity derivative exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with Securities and Exchange Board of India Regulations.	49%	Automatic
F.4.2	Other conditions:		
	(a) Foreign investment, including investment by FPIs, shall be subject to the Guidelines or Rules or Regulations issued by the Central Government, Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank from time to time. (b) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or in the concerned Regulations issued by Securities and Exchange Board of India shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts or Regulations.		
F.5	Commodities Spot Exchange	49%	Automatic
F.5.1	Investment shall be subject to guidelines prescribed by the Central or State Government.		
F.6	Power Exchanges		
	Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010.	49%	Automatic
F.6.1	Other conditions		
	(a) A person resident outside India including persons acting in concert should not hold more than 5 percent. (b) The investment shall be in compliance with Securities and Exchange Board of India Regulations, other applicable laws/ rules/ regulations, security and other conditionalities.		
F.7	Credit Information Companies	100%	Automatic
F.7.1	Other conditions		
	(a) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 and regulatory clearance from the Reserve Bank. (b) FPI investment shall be permitted subject to the following conditions: (i) A single entity shall directly or indirectly hold below 10 percent equity; (ii) Any acquisition in excess of 1 percent shall have to be reported to Reserve Bank as a mandatory requirement; and (iii) FPIs investing in Credit Information Companies shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding.		
F.8	Insurance		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
F.8.1	(a) Insurance Company (b) Insurance Brokers (c) Third Party Administrators (d) Surveyors and Loss Assessors (e) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).	49%	Automatic
F.8.2	Other Conditions		
	(a) Foreign investment in this sector shall be subject to compliance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and subject to necessary license or approval from the Insurance Regulatory and Development Authority of India for undertaking insurance and related activities. (b) An Indian Insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times with resident Indian entities as determined by the Central Government or Insurance Regulatory and Development Authority of India as per the rules/ regulation issued. (c) Where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e., non-insurance related) business must remain above 50 percent of their total revenues in any financial year. (d) The provisions of paragraphs F.2.1 relating to 'Banking-Private Sector', shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. (e) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015 issued by Department of Financial Services and regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.		
F.9	Pension Sector	49%	Automatic
F.9.1	Other conditions		
	(a) Foreign investment in this sector shall be in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013. (b) Foreign investment in Pension Funds shall be subject to the condition that entities investing in capital instruments issued by an Indian Pension Fund as per Section 24 of the PFRDA Act, 2013 shall obtain necessary registration from the PFRDA and comply with other requirements as per the PFRDA Act, 2013 and Rules and Regulations framed under it for so participating in Pension Fund Management activities in India. (c) An Indian pension fund shall ensure that its ownership and control remains at all times with resident Indian entities as determined by the Government of India/ PFRDA as per the rules or regulation issued by them.		
F.10	Other Financial Services	100%	Automatic
F.10.1	Other Conditions		

Sl. No(1)	Sector/ Activity (2)	Sectoral Cap(3)	Entry Route (4)
	(a) Other Financial Services shall mean financial services activities regulated by financial sector regulators, viz., Reserve Bank, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Pension Fund Regulatory and Development Authority, National Housing Bank or any other financial sector regulator as may be notified by the Government of India. (b) Foreign investment in 'Other Financial Services' activities shall be subject to conditionalities, including minimum capitalization norms, as specified by the concerned Regulator/Government Agency (c) 'Other Financial Services' activities need to be regulated by one of the Financial Sector Regulators. In all such financial services activity which are not regulated by any Financial Sector Regulator or where only part of the financial services activity is regulated or where there is doubt regarding the regulatory oversight, foreign investment up to 100 percent will be allowed under Government approval route subject to conditions including minimum capitalization requirement, as may be decided by the Government. (d) Any activity which is specifically regulated by an Act, the foreign investment limits shall be restricted to those levels/ limit that may be specified in that Act, if so mentioned. (e) Downstream investments by any of these entities engaged in "Other Financial Services" that is treated as indirect foreign investment for the investee entity shall be subject to these rules.		

SCHEDULE II

(See rule 10(1))

Investments by Foreign Portfolio Investors

(1) Purchase or sale of equity instruments by Foreign Portfolio Investors

(a) Purchase and sale of equity instruments.-

A FPI may purchase or sell equity instruments of an Indian company listed or to be listed on a recognised stock exchange in India subject to the following conditions, namely:-

(i) The total holding by each FPI or an investor group, shall be less than 10 percent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or less than 10 percent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants issued by an Indian company and the total holdings of all FPIs put together, including any other direct and indirect foreign investments in the Indian company permitted under these rules, shall not exceed 24 per cent of paid-up equity capital on a fully diluted basis or paid up value of each series of debentures or preference shares or share warrants. The said limit of 10 percent and 24 percent shall be called the individual and aggregate limit, respectively.

(ii) With effect from the 1st April, 2020, the aggregate limit shall be the sectoral caps applicable to the Indian company as laid out in sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Schedule I of these rules, with respect to its paid-up equity capital on a fully diluted basis or such same sectoral cap percentage of paid up value of each series of debentures or preference shares or share warrants:

Provided that the aggregate limit as provided above may be decreased by the Indian company concerned to a lower threshold limit of 24% or 49% or 74% as deemed fit, with the approval of its Board of Directors and its General Body through a resolution and a special resolution, respectively before 31st March, 2020:

Provided further, that the Indian company which has decreased its aggregate limit to 24% or 49% or 74%, may increase such aggregate limit to 49% or 74% or the sectoral cap or statutory ceiling respectively as deemed fit, with the approval of its Board of Directors and its General Body through a resolution and a special resolution, respectively:

Provided also that once the aggregate limit has been increased to a higher threshold, the Indian company cannot reduce the same to a lower threshold:

Provided also that the aggregate limit with respect to an Indian company in a sector where FDI is prohibited shall be 24 per cent.

Explanation: In case, two or more FPI's including foreign Governments/their related entities are having common ownership, directly or indirectly, of more than fifty percent or common control, all such FPI's shall be treated as forming part of an investor group. Control includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.

(iii) The FPIs investing in breach of the prescribed limit shall have the option of divesting their holdings within 5 trading days from the date of settlement of the trades causing the breach. In case the FPI chooses not to divest, then the entire investment in the company by such FPI and its investor group shall be considered as investment under Foreign Direct Investment (FDI) and the FPI and its investor group shall not make further portfolio investment in the company concerned. The FPI, through its designated custodian, shall bring the same to the notice of the depositories as well as the concerned company for effecting necessary changes in their records, within 7 trading days from the date of settlement of the trades causing the breach. The breach of the said aggregate or sectoral limit on account of such acquisition for the period between the acquisition and sale or conversion to FDI within the prescribed time, shall not be reckoned as a contravention under these Rules.

(iv) The investment by foreign Government agencies shall be clubbed with the investment by the foreign Government or its related entities for the purpose of calculation of 10 percent limit for FPI investments in a single company, if they form part of an investor group. However, certain foreign Government agencies and its related entities may be exempt from such clubbing requirements and other investment conditions either by way of an agreement or treaty with other sovereign governments or by an order of the Central Government.

(v) A FPI may purchase equity instruments of an Indian company through public offer or private placement, subject to the individual and aggregate limits specified under this Schedule:

Provided that -

(A) in case of public offer, the price of the shares to be issued is not less than the price at which shares are issued to residents, and

(B) in case of issue by private placement, the price is not less than- (a) the price arrived in terms of guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, or (b) the fair price worked out as per any internationally accepted pricing methodology for valuation of shares on arm's length basis, duly certified by a Merchant Banker or Chartered Accountant or a practicing Cost Accountant, as applicable registered with the Securities and Exchange Board of India

(vi) A FPI may, undertake short selling as well as lending and borrowing of securities subject to such conditions as may be stipulated by the Reserve Bank and the Securities and Exchange Board of India from time to time.

(vii) Investments made under this Schedule shall be subject to the limits and margin requirements specified by the Reserve Bank or the Securities and Exchange Board of India as well as the stipulations regarding collateral securities as specified by the Reserve Bank from time to time.

(b) Purchase or sale of securities other than equity instruments by FPIs.-

(i) A FPI may purchase units of domestic mutual funds or Category III Alternative Investment Fund or offshore fund for which no objection is issued in accordance with the SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996, which in turn invest more than 50 percent in equity instruments on repatriation basis subject to the terms and conditions specified by the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank.

(ii) An FPI may purchase units of REITs and InVITs on repatriation basis subject to the terms and conditions specified by the Securities and Exchange Board of India.

- (2) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

SCHEDULE III

(See rule 12(1))

Investments by Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on repatriation basis

(1) Purchase or sale of equity instruments of a listed Indian company

A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may purchase or sell equity instruments of a listed Indian company on repatriation basis, on a recognized stock exchange in India, subject to the following conditions, namely :-

- (a) NRIs or OCIs may purchase and sell equity instruments through a branch designated by an Authorized Dealer for the purpose;
- (b) The total holding by any individual NRI or OCI shall not exceed 5 percent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or shall not exceed 5 percent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants issued by an Indian company and the total holdings of all NRIs and OCIs put together shall not exceed ten percent of the total paid-up equity capital on a fully diluted basis or shall not exceed ten percent of the paid-up value of each series of debentures or preference shares or share warrants:

Provided that the aggregate ceiling of 10 percent may be raised to 24 percent if a special resolution to that effect is passed by the General Body of the Indian company.

(2) Purchase or sale of units of domestic mutual funds

A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may without limit purchase or sell units of domestic mutual funds which invest more than 50 percent in equity.

(3) Purchase or sale of shares in public sector enterprises

A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may, without limit purchase or sell shares in public sector enterprises being disinvested by the Central Government, provided the purchase is in accordance with the terms and conditions stipulated in the notice inviting bids.

(4) Subscription to National Pension System.-

A NRI or an OCI may subscribe to the National Pension System governed and administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), provided such person is eligible to invest as per the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act. The annuity/ accumulated saving will be repatriable:

Provided that NRIs or OCIs may offer such instruments as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the recognised Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as prescribed in sub-clause (2) of clause 12 of these Rules.

- (5) The mode of payment and attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

SCHEDULE IV

(See rule 12(2))

Investment by NRI or OCI on non-repatriation basis

A. Purchase or sale of equity instruments of an Indian company or units or contribution to the capital of a LLP by Non-Resident Indian (NRI) or Overseas Citizen of India (OCI) on Non-repatriation basis.

- (1) Purchase or sale of equity instruments or convertible notes or units or contribution to the capital of a LLP.**

(a) A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI), including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by NRIs or OCIs, may purchase or contribute, as the case may be, on non-repatriation basis the following, namely:-

(i) a equity instrument issued by a company without any limit either on the stock exchange or outside it;

(ii) units issued by an investment vehicle without any limit, either on the stock exchange or outside it;

(iii) The capital of a Limited Liability Partnership without any limit;

(iv) convertible notes issued by a startup company in accordance with these rules.

(b) The investment detailed at sub-paragraph (a) of paragraph (1) above shall be deemed to be domestic investment at par with the investment made by residents.

(2) Purchase or sale of units of domestic mutual funds

A Non-resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may without limit purchase or sell units of domestic mutual funds on non-repatriation basis which invest more than 50% in equity.

(3) Prohibition on purchase of equity instruments of certain companies.

Notwithstanding anything contained in paragraph 1, a NRI or an OCI including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by NRIs or OCIs, shall not make any investment, under this Schedule, in equity instruments or units of a Nidhi company or a company engaged in agricultural or plantation activities or real estate business or construction of farm houses or dealing in transfer of development rights.

Explanation: Real estate business shall have the same meaning as specified in sub-paragraph (b) of paragraph (3) of Schedule 1.

(4) The mode of payment and attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

B. Investment in a firm or a proprietary concern.

(1) Contribution to capital of a firm or a proprietary concern.

A NRI or an OCI may invest on a non-repatriation basis, by way of contribution to the capital of a firm or a proprietary concern in India provided such firm or proprietary concern is not engaged in any agricultural or plantation activity or print media or real estate business.

Explanation: Real estate business shall have the same meaning as specified in sub paragraph (b) of paragraph (3) of Schedule I.

(2) The mode of payment and attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

SCHEDULE V

(See Rule (14))

Investment by other non-resident investors

Permission to other non-resident investors for purchase of securities

(1) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds, Pension Funds and Foreign Central Banks may purchase securities subject to such terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank and the Securities and Exchange Board of India.

(2) "Eligible Foreign Entity (EEE)" as defined in SEBI circular dated the 9th October 2018 and having actual exposure to Indian physical commodity market may participate in domestic commodity derivative markets in accordance with framework specified by the Securities and Exchange Board of India.

(3) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank.

SCHEDULE VI

(See rule 6(b))

Investment in a Limited Liability Partnership (LLP)

(a) A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India (other than an entity incorporated in Pakistan or Bangladesh), not being a Foreign Portfolio Investor (FPI) or a Foreign Venture Capital Investor (FVCI), may contribute to the capital of an LLP operating in sectors or activities where foreign investment up to 100 per cent is permitted under automatic route and there are no FDI linked performance conditions.

(b) Investment by way of “profit share” shall fall under the category of reinvestment of earnings.

(c) Investment in a LLP is subject to the compliance of the conditions of Limited Liability Partnership Act, 2008.

(d) A company having foreign investment, engaged in a sector where foreign investment up to 100 percent is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions, may be converted into a LLP under the automatic route.

(e) A LLP having foreign investment, engaged in a sector where foreign investment up to 100 per cent is permitted under the automatic route and there are no FDI linked performance conditions, may be converted into a company under the automatic route.

(f) Investment in a LLP either by way of capital contribution or by way of acquisition or transfer of profit shares, should not be less than the fair price worked out as per any valuation norm which is internationally accepted or adopted as per market practice (hereinafter referred to as “fair price of capital contribution or profit share of a LLP”) and a valuation certificate to that effect shall be issued by the Chartered Accountant or by a practising Cost Accountant or by an approved valuer from the panel maintained by the Central Government.

(g) In case of transfer of capital contribution or profit share from a person resident in India to a person resident outside India, the transfer shall be for a consideration not less than the fair price of capital contribution or profit share of a LLP. Further, in case of transfer of capital contribution or profit share from a person resident outside India to a person resident in India, the transfer shall be for a consideration which is not more than the fair price of the capital contribution or profit share of an LLP.

(h) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank .

SCHEDULE VII

(See rule 16)

Investment by a Foreign Venture Capital Investor (FVCI)

(1) Subject to the terms and conditions as may be laid down by the Central Government, a Foreign Venture Capital Investor (FVCI) may purchase, - -

(i) securities, issued by an Indian company engaged in any sector mentioned in paragraph (4) of this Schedule and whose securities are not listed on a recognised stock exchange at the time of issue of the said securities;

(ii) units of a Venture Capital Fund (VCF) or of a Category I Alternative Investment Fund (Cat-I AIF) or units of a scheme or of a fund set up by a VCF or by a Cat-I AIF.

(iii) equity or equity linked instrument or debt instrument issued by an Indian ‘start-up’ irrespective of the sector in which the start-up is engaged. The definition of ‘start-up’ shall be as per Department for Promotion of Industry and Internal Trade’s Notification No. G.S.R. 364(E), dated the 11th April, 2018 :

Provided that if the investment is in equity instruments, then the sectoral caps, entry routes and attendant conditions shall apply.

(2) A FVCI may purchase the securities or instruments mentioned above either from the issuer of these securities/instruments or from any person holding these securities or instruments. The FVCI may invest in securities on a recognised stock exchange subject to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (FVCI) Regulations, 2000.

(3) The FVCI may acquire, by purchase or otherwise, from, or transfer, by sale or otherwise, to, any person resident in or outside India, any security or instrument it is allowed to invest in, at a price that is mutually acceptable to the buyer and the seller/ issuer. The FVCI may also receive the proceeds of the liquidation of VCFs or of Cat-I AIFs or of schemes or funds set up by the VCFs or Cat-I AIFs.

(4) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank of India

(5) List of sectors in which a Foreign Venture Capital Investor is allowed to invest is as follows :-

- (a) biotechnology;
- (b) IT related to hardware and software development;
- (c) nanotechnology;
- (d) seed research and development;
- (e) research and development of new chemical entities in pharmaceutical sector.
- (f) dairy industry;
- (g) poultry industry;
- (h) production of bio-fuels;
- (i) hotel-cum-convention centres with seating capacity of more than three thousand;
- (j) Infrastructure sector. The term "Infrastructure Sector" has the same meaning as given in the Harmonised Master List of Infrastructure sub-sectors approved by Government of India vide notification F. No. 13/06/2009- INF, dated the March 27, 2012 as amended or updated.

SCHEDULE VIII

(See Rule 6(c))

Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle

(1) A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India (other than an entity incorporated in Pakistan or Bangladesh) may invest in units of Investment Vehicles.

(2) A person resident outside India who has acquired or purchased units in accordance with this Schedule may sell or transfer in any manner or redeem the units as per regulations framed by the Securities and Exchange Board of India or directions issued by the Reserve Bank.

(3) An Investment vehicle may issue its units to a person resident outside India against swap of equity instruments of a Special Purpose Vehicle (SPV) proposed to be acquired by such Investment Vehicle.

(4) Investment made by an Investment Vehicle into an Indian entity shall be reckoned as indirect foreign investment for the investee Indian entity if the Sponsor or the Manager or the Investment Manager (i) is not owned and not controlled by resident Indian citizens or (ii) is owned or controlled by persons resident outside India.

Provided that for sponsors or managers or investment managers organised in a form other than companies or LLPs, Securities and Exchange Board of India shall determine whether the sponsor or manager or investment manager is foreign owned and controlled.

Explanation: “Control” of the AIF should be in the hands of “sponsors” and “managers or investment managers”, with the general exclusion to others. In case the “sponsors” and “managers or investment managers” of the AIF are individuals, for the treatment of down- stream investment by such AIF as domestic, “sponsors” and “manager or investment managers” should be resident Indian citizens.

(5) An Alternative Investment Fund Category III which has received any foreign investment shall make portfolio investment in only those securities or instruments in which a FPI is allowed to invest under the Act or rules or regulations made thereunder.

(6) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be specified by the Reserve Bank .

SCHEDULE IX

(See rule 6(d))

Investment in Depository Receipts by a person resident outside India

(1) Issue or transfer of eligible instruments to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts by eligible person(s).-

(a) Any security or unit in which a person resident outside India is allowed to invest under these rules shall be eligible instruments for issue of Depository Receipts in terms of Depository Receipts Scheme, 2014 (DR Scheme, 2014).

(b) A person shall be eligible to issue or transfer eligible instruments to a foreign depository for the purpose of issuance of depository receipts in accordance with the DR Scheme, 2014 and guidelines issued by the Central Government in this regard.

(c) A domestic custodian may purchase eligible instruments on behalf of a person resident outside India, for the purpose of converting the instruments so purchased into depository receipts in terms of DR Scheme, 2014.

(d) The aggregate of eligible instruments which may be issued or transferred to foreign depositories, along with eligible instruments already held by persons resident outside India, shall not exceed the limit on foreign holding of such eligible instruments under the Act, rules or regulations framed thereunder.

(e) The eligible instruments shall not be issued or transferred to a foreign depository for the purpose of issuing depository receipts at a price less than the price applicable to a corresponding mode of issue or transfer of such instruments to domestic investors under the applicable laws.

(2) Saving.-

Depository Receipts issued under the Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of DR Scheme 2014 and have to comply with the provisions specified in this Schedule.

SCHEDULE X

(See rule 10(2))

Issue of Indian Depository Receipts

(1) Issue of IDRs.-Companies incorporated outside India may issue IDRs through a Domestic Depository, to persons resident in India and outside India, subject to the following conditions:

(a) the issue of IDRs is in compliance with the Companies (Registration of Foreign Companies) Rules, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

(b) any issue of IDRs by financial or banking companies having presence in India, either through a branch or subsidiary, shall require prior approval of the sectoral regulator(s);

(c) IDRs shall be denominated in Indian rupee only;

(d) the proceeds of the issue of IDRs shall be immediately repatriated outside India by the companies issuing such IDRs.

(2) Purchase or sale of IDRs.-

A FPI or a NRI or an OCI may purchase, hold, or sell IDRs, subject to the following terms and conditions, namely:-

(a) the mode of payment and attendant conditions for remittance of sale or maturity proceeds shall be as specified by the Reserve Bank;

(b) limited two way fungibility of IDRs shall be permissible subject to the terms and conditions stipulated by the Reserve Bank in this regard;

(c) IDR shall not be redeemable into underlying equity shares before the expiry of one year from the date of issue;

(d) Redemption or conversion of IDRs into underlying equity shares of the issuing company shall be in compliance with the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004.

[F.No. 1/14/EM/2015]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.